सत्यमेव जयते

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट

2014 - 15

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2014-15

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
www.mdws.gov.in

विषय सूची

क.स.	अध्याय		पृष्ठ सं.
1	**मंत्रालय के बारे में**		**1-6**
2	**राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम**		**7**
	2.1	**राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)**	9
		2.1.1 भारत निर्माण	9
		2.1.2 एनआरडीडब्लूपी के घटक	10
		2.1.3 निधि आबंटन के लिए मानदंड	11
		2.1.4 ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन	12
		2.1.5 वर्तमान स्थिति	14
		2.1.6 ग्रामीण जलापूर्ति में वित्तपोषण	15
		2.1.7 एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत वित्तीय कार्य–निष्पादन	17
		2.1.8 एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत वास्तविक कार्य–निष्पादन	21
		2.1.9 बढ़ती हुई अपेक्षाएं – लक्ष्य	21
		2.1.10 वार्षिक कार्य योजना (एएपी) : 2015–16 के लिए योजना	22
		2.1.11 अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी), जनजाति उपयोजना (टीएसपी), वामपंथ उग्रवाद (एलडब्लूई) प्रभावित जिलों तथा अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) के लिए योजना	23
		2.1.12 समेकित कार्य योजना (आईएपी) जिलों में सौर द्वारा चालित दोहरे पंप	26
		2.1.13 पूर्वोत्तर राज्यों में एनआरडीडब्लूपी की प्रगति	27
	2.2	**जल गुणवत्ता कार्यक्रम (डब्लू क्यू)**	27
		2.2.1 पेयजल गुणवत्ता हेतु अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (आईसीडीडब्लूक्यू) की स्थापना	27
		2.2.2 सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों के माध्यम से देश में फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम एवं अन्य भारी/ विषैली धातुओं तथा कीटनाशकों/ उर्वरक प्रभावित ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए योजना	28
		2.2.3 जल गुणवत्ता निगरानी और जांच	30

क.स.	अध्याय		पृष्ठ सं.
	2.2.4	जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएँ	31
	2.2.5	हाइड्रो–जियो मॉर्फोलॉजिकल मानचित्र (एमजीएम)	32
	2.2.6	जल गुणवत्ता संदूषकों के शोधन के लिए प्रौद्योगिकियां	33
	2.2.7	जेई/एईएस का न्यूनीकरण	34
	2.2.8	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सुरक्षा परियोजना	36
	2.2.9	सहायक गतिविधियां और निगरानी एवं मूल्यांकन ढाँचा	40
3.0	**स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)**		**45**
	3.1	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरूआत	47
	3.2	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रावधान	49
	3.3	स्वच्छता कवरेज	50
	3.4	वार्षिक प्रगति रिपोर्ट – वास्तविक	50
	3.5	वार्षिक प्रगति रिपोर्ट – वित्तीय	51
	3.6	2014–15 के दौरान शुरू की गई महत्वपूर्ण गतिविधियॉ	54
	3.7	पूर्वोत्तर राज्यों में एसबीएम (जी) की गतिविधियॉ	54
	3.8	अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) तथा जनजाति उप–योजना (टीएसपी)	56
	3.9	सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण (आईईसी)	57
	3.10	सहायक संगठनों की भूमिका	58
	3.11	एसबीएम (जी) का अन्य योजनाओं के साथ तालमेल	61
	3.12	एसबीएम (जी) के अंतर्गत निगरानी एवं मूल्यांकन (एम एंड ई)	66
	3.13	मानव संसाधन विकास (एचआरडी)	67
	3.14	अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)	67
4.0	**राज्य मंत्रियों तथा सचिवों के साथ समीक्षा बैठकें/महत्वपूर्ण सेमिनार/प्रदर्शनियां**		**69**
	4.1	राज्य मंत्रियों तथा सचिवों के साथ समीक्षा बैठकें/सम्मेलन	71
	4.2	सृजन भारती – इंडोवेशन	74

क.स.	अध्याय		पृष्ठ सं.
	4.3	समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस)	76
	4.4	नई पहलें	78
5	**प्रशासन**		**85**
	5.1	संगठन	87
	5.2	संचालन एवं अनुरक्षण गतिविधियां	87
	5.3	सतर्कता एवं शिकायत निवारण तंत्र	87
	5.4	राजभाषा हिन्दी से संबंधित गतिविधियां	88
6	**अनुलग्नक**		**91**
	संगठनात्मक चार्ट		**92**
7	**एनआरडीडब्ल्यूपी (अनुलग्नक I से II तक)**		**93-96**
8	**एसबीएम (जी) (अनुलग्नक III से VI तक)**		**97-104**
9	**अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग का प्रतिनिधित्व (अनुलग्नक VII)**		**105**
10	**विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व (अनुलग्नक VIII)**		**106**
11	**नागरिक (ग्राहक चार्टर (अनुलग्नक IX)**		**107-121**
12	**आर एफ डी (परिणय–कार्यढाँचा दस्तावेज (अनुलग्नक X)**		**122-182**

संक्षिप्ताक्षर
(शब्दावली)

एएपी	:	वार्षिक कार्य योजना
एपीएल	:	गरीबी रेखा से ऊपर
एआरडब्लूएसपी	:	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम
एडीबी	:	एशियाई विकास बैंक
एएसएचए	:	मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता
एईएस	:	तीव्र एनसेफेलाइटस सिंड्रोम
बीपी	:	ब्लाक पंचायत
बीपीएल	:	गरीबी रेखा से नीचे
बीआरसी	:	ब्लाक संसाधन केंद्र
सीसीडीयू	:	संचार एवं क्षमता विकास इकाई
सीजीडब्ल्यूबी	:	केन्द्रीय भू–जल बोर्ड
सीएसआईआर	:	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीआरएसपी	:	केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
सीबीओ	:	समुदाय–आधारित संगठन
सीपीजीआरएएमएससिस्टम	:	केन्द्रीय जनशिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली
डीडीपी	:	मरूस्थल विकास कार्यक्रम
डीडीडब्ल्यूएस	:	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
डीपीएपी	:	सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
डीआरडीए	:	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी
डीडब्ल्यूएसएम	:	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन
ईसीबीआई	:	बाह्य क्षमता निर्माण पहल
ईपीसी	:	इंजीनियरी, प्राप्ति एवं निर्माण
एफटीके	:	फील्ड जाँच किटें
जीपी	:	ग्राम पंचायत
जीएसडीए	:	भू–जल सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी
एचएडीपी	:	पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम
एचजीएम	:	भू–जल संदर्शी हाइड्रो–जियोलोजीकल मानचित्र
एचआरडी	:	मानव संसाधन विकास
एचएच	:	श्रवण विकलांग
आईएपी	:	समेकित कार्य योजना

आईआरसी	:	अन्तर्राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र
आईसीडीडब्लूक्यू	:	पेयजल गुणवत्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र
आईआईटीएफ	:	भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र
आईईसी	:	सूचना, शिक्षा एवं संचार
आईएचएचएल	:	वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय
आईएमआईएस	:	समेकित प्रबंधन आसूचना प्रणाली
आईडब्ल्यूएमपी	:	समेकित वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम
आईटी	:	सूचना प्रौद्योगिकी
जेई	:	जापानी एनसेफेलाइटस
केआरसी	:	मुख्य संसाधन केन्द्र
एलपीसीडी	:	लिटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन
एलडब्लूई	:	वामपंथ उग्रवाद
एलएसके	:	एकमुश्तटर्न–की
एम एंड ई	:	निगरानी एवं मूल्यांकन
एमजीएनआरईजीएस	:	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमपीआर	:	मासिक प्रगति रिपोर्ट
एमएनआरई	:	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमडीजी	:	मिलेनियम विकास लक्ष्य
एमआईएस	:	निगरानी सूचना प्रणाली
एमसीडी	:	अल्पसंख्यक बहुल जिले
एमवीएस	:	बहु–ग्राम योजना
एमडीडब्ल्यूएस	:	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
एमएचएम	:	मासिक धर्म वैयक्तिक साफ–सफाई प्रबंधन
एनईईआरआई	:	राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान
एनजीओ	:	गैर–सरकारी संगठन
एनजीपी	:	निर्मल ग्राम पुरस्कार
एनआईसी	:	राष्ट्रीय आसूचना केंद्र
एनआरडीडब्ल्यूपी	:	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एंड एसपी: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं जाँच कार्यक्रम

एनआरएससी	:	राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र
एनएसएसओ	:	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन
एनडब्लूपी	:	राष्ट्रीय जल नीति
ओ एंड एम	:	प्रचालन एवं अनुरक्षण
ओएलआईसी	:	राजभाषा कार्यान्वयन समिति
ओएच	:	अस्थि विकलांग
पीएचईडी	:	जन स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग
पीआरआई	:	पंचायती राज संस्थान
आर एंड डी	:	अनुसंधान एवं विकास
आर एंड डीएसी	:	अनुसंधान एवं विकास परामर्शदात्री समिति
आरजीएनडीडब्ल्यूएम	:	राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन
एससीएसपी	:	अनुसूचित जाति उप–योजना
एसडब्ल्यूएसएम	:	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
एसबीएम (जी)	:	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
एसएचजी	:	स्वः सहायता समूह
एसएसए	:	सर्व शिक्षा अभियान
टीएनए	:	प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन
टीएससी	:	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान
टीएसपी	:	जनजाति उप–योजना
यूनीसेफ	:	संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष
यूटी	:	संघ शासित प्रदेश
वीएच	:	नेत्र विकलांग
डब्ल्यूक्यूएम एंड एस	:	जल गुणवत्ता निगरानी एवं जाँच
डब्लूएटीएसएएन	:	जल एवं स्वच्छता
डब्ल्यूएसपी	:	जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम
डब्ल्यूएसएसओ	:	जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन
जेडपी	:	जिला पंचायत/ परिषद

मंत्रालय
के बारे में

मंत्रालय के बारे में

वर्ष 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय में पेयजल आपूर्ति विभाग (डीडब्लूएस) बनाया गया था, जिसे बाद में 2010 में पुनः पेयजल एवं स्व्च्छता विभाग नाम दिया गया था। ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने दिनांक 13 जुलाई, 2011 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय बनाया और एक पृथक मंत्रालय के रूप में इसे अधिसूचित किया।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय देश में सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल हेतु चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) एवं स्वच्छता हेतु चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एसबीएम (जी) के लिए समग्र नीति बनाने, योजना बनाने, उसके लिए वित्तपोषण का कार्य करने और समन्वयन का कार्य करने के लिए नोडल मंत्रालय है।

1.1 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य देश की ग्रामीण आबादी को पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। एनआरडीडब्ल्यूपी भारत निर्माण का एक घटक है जो अवस्थापना के सृजन पर ध्यान संकेन्द्रित करता है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के सफल संचालन के लिए अवस्थापना एवं क्षमताओं के विकास हेतु एक वातावरण पैदा हुआ है तथा इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था हुई है।

1.2 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में भारत में ग्रामीण स्वच्छता क्षेत्र में वर्ष 1954 के आरंभ में एक पहल शुरू की गई थी। भारत सरकार ने 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सीआरएसपी) के रूप में एक ढांचागत योजना शुरू की थी जिसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण लोगों की जीवन शैली के स्तर को बेहतर बनाना तथा महिलाओं को निजला एवं गरिमा प्रदान करना था! ''सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान'' (टीएससी), ''मांग जनित'' दृष्टिकोण के साथ 1999 से शुरू किया गया था जिसमें ग्रामीण लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण (आईईसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी), क्षमता विकास गतिविधियों और स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग सृजन पर अधिक बल दिया गया था। ''निर्मल भारत अभियान'' (एनबीए) जो सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) का उत्तरवर्ती कार्यक्रम था, को 01.04.2012 से शुरू किया गया जिसका उद्देश्य निर्मल ग्रामों का सृजन करना तथा महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ तालमेल के जरिए उन्हें अधिक प्रोत्साहन प्रदान करना था। यद्यपि ये कार्यक्रम काफी हद तक सफल रहे, तथापि अभी भी ग्रामीण आबादी का एक बड़ा भाग शेष है जिसे शौचालय की सुविधा प्राप्त नहीं हुई है।

महत्वपूर्ण रूप से इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने तथा स्वच्छता के मुद्दे पर राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट करने हेतु भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम में 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरूआत की गई। नई कार्यनीति का फोकस राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर राज्य सरकारों को छूट देकर अपनी कार्यान्वयन नीति एवं तंत्र पर निर्णय लेने हेतु ''स्वच्छ भारत'' की ओर अग्रसर होना है। इसमें राज्यों को कार्यान्वयन रूपरेखा (फ्रेमवर्क) विकसित करने हेतु समर्थ बनाने पर ध्यान संकेन्द्रित किया गया है जिससे कि वे मिशन के अंतर्गत प्रावधानों का प्रभावी रूप से उपयोग कर सकें तथा इन पहलों के प्रभाव को बढ़ा सकें।

1.3 विजन

ग्रामीण भारत में सभी के लिए हर समय स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति कराना।

1.4 लक्ष्य

- प्रत्येक ग्रामीण को पीने, खाना बनाने और अन्य घरेलू मूलभूत जरूरतों के लिए निरंतर आधार पर पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। इस मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में जल गुणवत्ता के मानक पूरे किए जाने चाहिए और जल हर समय और सभी स्थितियों में सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए।

- 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त भारत की स्थिति प्राप्ति करना है।

1.5 उद्देश्य

(क) सभी परिवारों को एक यथोचित दूरी पर स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल तक पहुँच एवं उसे उपयोग हेतु उपलब्ध कराना संभव बनाना।

(ख) समुदायों को उनके पीने के पानी के स्रोतों की जाँच करने एवं उस पर निगरानी रखने हेतु सक्षम बनाना।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि समुदाय आधारित पेयजल आपूर्ति प्रणाली के लिए योजना बनाते समय पेयजल आपूर्ति के संबंध में पीने के पानी का पीने योग्य होना, विश्वसनीयता, उसकी निरंतर उपलब्धता, जल प्राप्त करना, सुविधा–जनक होना, समानता एवं उपभोक्ताओं की पसंद – ये सभी मार्गदर्शी सिद्वांत होंगे।

(घ) पेयजल की सुविधा, विशेष रूप से पाइप द्वारा जल आपूर्ति की सुविधा उन ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराना जहां प्राथमिकता के आधार पर खुले में शौच की प्रथा से मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर ली गई हो।

(ड.) यह सुनिश्चित करना कि सभी सरकारी स्कूलों और आंगनवाडियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो।

(च) पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय समुदायों को उनके गांवों में स्वयं के पेयजल स्रोतों और प्रणालियों का प्रबन्धन करने हेतु समर्थ बनाने में सहायता देना एवं इस हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना।

(छ) सूचना में पारदर्शिता लाने और सजग निर्णय लेने हेतु पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराई गई सूचना के साथ ऑनलाइन रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराना।

(ज) प्रत्येक बसावट में अनुसूचित जाति/अनुजनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग, छोटे और सुविधाहीन किसानों और महिला प्रमुख परिवारों सहित बीपीएल परिवारों और निर्धारित एपीएल परिवारों में स्वच्छता की सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

(झ) स्वच्छता एवं जलापूर्ति के प्रति संयुक्त दृष्टिकोण अपनाना जिसके परिणामस्वरूप स्वच्छ भारत प्रगामी रूप से आगे बढ़ेगा और सभी सरकारी स्कूलों के शौचालयों में निरन्तर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

(ञ) व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक पैमाने पर सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण अभियान शुरू करना जिससे कि शौचालयों के उपयोग, स्थायित्व एवं पर्याप्त प्रचालन और रख–रखाव को सुनिश्चित किया जाएगा।

(ट) सभी ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य शुरू करना।

1.6 कार्यनीति–परक योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता हेतु कार्यनीति–परक योजना में निम्नांकित समय सीमा रखी गई है:

1.6.1 वर्ष 2017 तक

(क) पेयजल सुविधाएँ

यह सुनिश्चित करना कि

- कम से कम 50% ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाए;

- कम से कम 35% ग्रामीण परिवारों को एक घरेलू कनेक्शन के साथ पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध हो, 20% से कम परिवार सार्वजनिक नलों का उपयोग करें और 45% से भी कम हैण्डपंपों अथवा स्वच्छ और पर्याप्त जल के अन्य निजी स्रोतों का उपयोग करें।

- प्रतिदिन जल की गुणवत्ता और जलापूर्ति के घंटों के हिसाब से सभी सेवाएँ तयशुदा मानदण्डों के अनुसार पूरी की जाएँ।

1.6.2 वर्ष 2019 तक

(ख) ग्रामीण स्वच्छता सुविधाएँ

2 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त भारत की स्थिति प्राप्त करना।

1.6.3 वर्ष 2022 तक

(क) पेयजल सुविधाएँ

यह सुनिश्चित करना कि

- कम से कम 90% ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ;

- कम से कम 80% ग्रामीण परिवारों में एक घेरलू कनैक्शन के साथ पाइप द्वारा जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध हो, 10% से भी कम लोग सार्वजनिक नलों का और 10% से भी कम लोग हैण्डपंपों अथवा जल के अन्य स्वच्छ स्रोतों एवं पर्याप्त मात्रा में निजी जल स्रोतों का उपयोग करें।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

" ग्रामीण पेयजल आपूर्ति " राज्य का विषय है, अन्य विषयों में यह विषय भी भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल है जिसे राज्यों द्वारा पंचायतों को सौंपा जा सकता है। अतः ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की भागीदारी होना इस क्षेत्र में फोकस के अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है।

भारत सरकार ने " समस्या–ग्रस्त ग्रामों " में पेयजल आपूर्ति के कवरेज को बढ़ाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने हेतु त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के माध्यम से जल क्षेत्र में अपनी प्रमुख पहल को 1972–73 में शुरू किया था। 1986 में, जल गुणवत्ता, उपयुक्त प्रौद्योगिकी पहल, मानव संसाधन विकास सहायता तथा अन्य सम्बद्ध गतिविधियों पर बल देते हुए एक प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया। जल गुणवत्ता, समुचित प्रौद्योगिकी पहल, मानव संसाधन विकास सहायता और अन्य सम्बद्ध गतिविधियों वाला एक प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में शुरू किया गया था जिसका बाद में 1991 में नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (आरजीएनडीडब्ल्यूएम) कर दिया गया। 1999–2000 में, पेयजल से संबंधित योजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और प्रबंधन में समुदाय को सम्बद्ध करने हेतु क्षेत्र सुधार परियोजनाएँ शुरू की गईं जिसका 2002 में, स्व–जलधारा कार्यक्रम के रूप में उन्नयन किया गया। आरजीएनडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम को 1.4.2009 से संशोधित किया गया तथा इसे **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)** का नाम दिया गया।

2.1 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) केन्द्र प्रायोजित एक योजना है जिसका उद्देश्य देश की ग्रामीण आबादी को पर्याप्त एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। एनआरडीडब्लूपी भारत निर्माण का एक घटक है जो ग्रामीण ढांचे के सृजन पर ध्यान केन्द्रित करता है। इसके परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र को पर्याप्त अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के सफल संचालन के लिए ढांचे एवं क्षमताओं के विकास हेतु एक समर्थनकारी वातावरण सृजित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

2.1.1 भारत निर्माण

भारत निर्माण, जो ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करने वाला एक कार्यक्रम है, को भारत सरकार द्वारा 2005 में शुरू किया गया था। कार्यक्रम का चरण–I 2005–06 से 2008–09 तक की अवधि में कार्यान्वित किया गया जबकि चरण–II 2009–10 से 2011–12 तक की अवधि में कार्यान्वित किया गया था। ग्रामीण पेयजल भारत निर्माण के छः घटकों में से एक है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों की गणना भारत निर्माण के लिए भी की जाती है तथा भारत निर्माण के अंतर्गत कोई भी अतिरिक्त निधियाँ उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।

भारत निर्माण के चरण–I की अवधि के आरंभ में 55,067 कवर न की गई और लगभग 3.31 लाख निचली श्रेणी में लौट आई बसावटों को पेयजल सुविधाओं के प्रावधानों के साथ कवर किया जाना था और 2.17 लाख गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की जलगुणवत्ता समस्या का निवारण किया जाना था। जल गुणवत्ता समस्या का निवारण करने को प्राथमिकता प्रदान करते हुए, आर्सेनिक तथा फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को लौह, लवणता, नाइट्रेट तथा अन्य सन्दूषणों के बाद प्राथमिकता दी जा रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन बसावटों को एक बार पेयजल आपूर्ति की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं, वे निचली श्रेणी में न लौट पाएं तथा उन्हें पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े। पेयजल स्रोतों के स्थायित्व तथा प्रणालियों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। ग्राम/बसावट स्तर पर पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, जल के सम्मिलित प्रयोग अर्थात वर्षा जल, सतही जल और भूजल के न्यायसंगत उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

2.1.2 एनआरडीडब्लूपी के घटक

(क) केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न घटकों के तहत आबंटन के मानदण्ड, वित्तपोशण और वितरण इस प्रकार हैं:

घटक	एनआरडीडब्लूपी केन्द्रीय आबंटन	केन्द्र–राज्य भागीदारी पैटर्न
पूर्वोत्तर राज्य और जम्मू कश्मीर	10 %	90:10
अन्य राज्य	73 %	50:50
डीडीपी क्षेत्र राज्य	10 %	100 % केन्द्रीय हिस्सा
जल गुणवत्ता (चिन्हित)	5 %	50:50*, 90:10**
प्राकृतिक आपदाएँ	2 %	100 : केन्द्रीय हिस्सायोग 100 :
योग	100 %	

*–अन्य सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश/पूर्वोत्तर राज्य और जम्मू एवं कश्मीर

(ख) एनआरडीडब्लूपी का घटक, उद्देश्य, वितरण और राज्य स्तर पर केन्द्र–राज्य भागीदारी पैटर्न

घटक	उद्देश्य	राज्य में एनआरडीडब्लूपी आबंटन का वितरण	केन्द्र–राज्य भागीदारी पैटर्न
कवरेज	सुविधाविहीन, आंशिक रूप से सुविधा प्राप्त और पूर्व स्थिति में लौट आए बसावटों में स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति कराना	47%	90:10 (पूर्वोत्तर राज्य और जम्मू और कश्मीर के लिए)

गुणवत्ता	जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना।	20%	50:50 (अन्य राज्यों / संघ शासित प्रदेश हेतु)
प्रचालन और रखरखाव (ओ एण्ड एम)	पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं को चलाने, उनकी मरम्मत कराने और पुनर्स्थापन लागतों पर होने वाले व्यय के लिए	15% (अधिकतम)	
स्थायित्व	राज्यों को स्रोतों और प्रणालियों के स्थायित्व के माध्यम से स्थानीय स्तर पर पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना	10% (अधिकतम)	100% केन्द्रीय हिस्सा
सहायता	सहायता गतिविधियां जैसे कि जागरूकता बढ़ाना, प्रशिक्षण आदि	5%	100% केन्द्रीय हिस्सा
जलगुणवत्ता जांच और निगरानी	बसावटों में जल गुणवत्ता की जांच और निगरानी करने के लिए	3%	100% केन्द्रीय हिस्सा
कुल		**100%**	

2.1.3 निधि के आबंटन के लिए मानदण्ड

राज्यों को कवरेज, गुणवत्ता, निरंतरता, प्रचालन एवं रखरखाव, सहायता एवं जल जांच अनुवीक्षण और निगरानी घटक के लिए एनआरडीडब्लूपी निधियों का आबंटन करते समय जो मानदण्ड अपनाए जाते हैं, वे इस प्रकार हैं :

क्रमांक	मानदण्ड	अधिमान्य (%में)
I.	जनगणना के अनुसार ग्रामीण आबादी	40
II.	जनगणना के अनुसार ग्रामीण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाली आबादी	10
III.	ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में डीडीपी, डीपीएपी, एचएडीपी के अंतर्गत आने वाले राज्य और विशेष श्रेणी के पर्वतीय राज्य	40
IV.	प्रबंधन अंतरण सूचकांक द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रामीण जनसंख्या प्रबन्धन ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीमें	10
	कुल	**100**

एनआरडीडब्लूपी बजट के 10% तक का डीडीपी घटक समान मानदण्ड पर डीडीपी क्षेत्रों वाले राज्यों को आबंटित किया जाता है। प्राकृतिक आपदा संबंधी घटक का आबंटन उन केन्द्रीय दलों की अनुशंसाओं के

आधार पर किया जाता है जो कि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राज्यों का दौरा करते हैं। गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को किए गए वितरण (75% अधिमानता के साथ) और जेई/एईएस (25%) के मामलों से प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिलों के आधार पर राज्यों को जल गुणवत्ता घटक हेतु चिन्हित 5% का आबंटन किया जाता है।

2.1.4 ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन

पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम एवं नीतियां विहंगम दृष्टि में

वर्ष	कार्यक्रम/घटना
1949	पर्यावरण व्यक्तिगत स्वच्छता समिति (1949) (भोर समिति) 40 वर्षों की समय सीमा में भारत की 90 फीसदी आबादी को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रावधान की अनुशंसा करती है।
1950	भारत का संविधान 'जल' को राज्य के विषय के रूप में उल्लिखित करता है।
1969	यूनिसेफ से तकनीकी सहायता प्राप्त करके राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम की शुरूआत की गई और 254.90 करोड़ रू. इस चरण के दौरान खर्च किए गए, जिसके तहत 1.2 मिलियन बोरवैल खोदे गए और पाइप द्वारा जलापूर्ति की 17,000 स्कीमें उपलब्ध कराई गईं।
1972–73	पेयजल आपूर्ति की कवरेज की गति में तेजी लाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने हेतु भारत सरकार द्वारा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एनआरडब्लूएसपी) की शुरूआत।
1981	भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशाब्द (1981–1990) की घोषणा के दौरान सभी गांवों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतियां बनाने हेतु राष्ट्रीय स्तर की एक शीर्षस्थ समिति गठित की।
1986	राष्ट्रीय पेयजल मिशन (एनडीडब्लूएम) की शुरूआत देश में पेयजल की उपलब्धता संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए की गई।
1987	जल संसाधन मंत्रालय द्वारा पहली राष्ट्रीय जल नीति की रूपरेखा बनाई गई जिसमें पेयजल आपूर्ति को पहली प्राथमिकता दी गई।
1991	राष्ट्रीय पेयजल मिशन (एनडीडब्लूएम) को नया नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (आरजीएनडीडब्लूएम) दिया गया।

वर्ष	कार्यक्रम / घटना
1994	संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रावधान किए गए।
1999	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार में पेयजल आपूर्ति विभाग का अलग से गठन हुआ। प्रणालियों की निरंतरता को सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन में सामुदायिक भागीदारी को संस्था का रूप देने हेतु क्षेत्र में सुधार के माध्यम से प्रयास शुरू किए गए। क्षेत्र में सुधार किए जाने से ''सरकार–उन्मुख आपूर्ति–चालित दृष्टिकोण'' के बजाए ''जन–उन्मुख मांग–चालित दृष्टिकोण' को अपनाकर आमूल–चूल परिवर्तन किया गया। सरकार की भूमिका 'सेवा प्रदाता' से बदलकर 'सुगमकर्ता' की हो गई। संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) की शुरूआत सन 1999 में खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने के विशेष लक्ष्य को ध्यान में रखकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की सुविधाएँ सुनिश्चित करने हेतु सुधार सिद्धान्तों के एक भाग के रूप में हुई थी। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत पंचायती राज संस्थाओं, सीबीओ और गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता से प्रभावशाली व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए सूचना, शिक्षण और संप्रेषण, क्षमता निर्माण और व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी शिक्षण पर अत्यधिक बल टीएससी द्वारा दिया जाता है।
2002	सामाजिकी सुधार के स्तर को ऊपर उठाना जिसकी शुरूआत स्वजल धारा कार्यक्रम के रूप में की गई। **राष्ट्रीय जल नीति** में संशोधन किए गए, इसके तहत उन सेवा प्रदत्त गांवों को प्राथमिकता दी गई जिनमें स्वच्छ पानी का पर्याप्त मात्रा में स्रोत उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार से उन गांवों में सेवा स्तर में सुधार लाया गया जिनकी पहचान केवल आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों के रूप में हुई थी। भारत वर्ष 1990 के दशक के दौरान स्वच्छ पेयजल एवं मूलभूत स्वच्छता सुविधाओं के बिना रह रहे लोगों के उस समय के अनुपात को वर्ष 2015 के **सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों** तक आधा करने के प्रति प्रतिबद्ध है।
2005	भारत सरकार ने भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरूआत की है, जिसके तहत 2003 के सर्वेक्षण के आधार पर 55,069 कवर न की गई बसावटों, ऐसी बसावटें जहां लोग पीने के पानी की गुणवत्ता से प्रभावित हों और ऐसी बसावटें, जो पूर्व स्थिति में लौट आई हों, उनमें पेयजल की सुविधा 5 वर्ष की अवधि के भीतर उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों पर विशेष रूप से केन्द्रित वित पोषण के लिए एआरडब्लूएसपी के घटक के रूप में संशोधित उप–मिशन शुरू किया गया।
2007	स्व जलधारा के तहत वित्तपोषण का ढ़ांचा इस प्रकार से बदला : 50:50 केन्द्र–राज्य हिस्सा।

वर्ष	कार्यक्रम / घटना
2009	पिछले त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में संशोधन लाकर और पिछले उपमिशन, विविध स्कीमों को एक साथ लाकर और स्वजलधारा सिद्धान्तों को मुख्य धारा में लाकर 01.04.09 से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरूआत की गई।
2010	पेयजल आपूर्ति विभाग का नाम बदलकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग किया गया।
2011	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का एक पृथक पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के रूप में उन्नयन किया गया।
2012	12वीं पंचवर्षीय योजना जिसके तहत 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पाइप द्वारा जलापूर्ति पर ध्यान केन्द्रित किया गया, जल गुणवत्ता से प्रभावित एवं साथ ही साथ 60 ऐसे जिलों को, जो जेई / एईएस से प्रभावित हैं, शामिल करने के लिए 5 प्रतिशत निधियाँ चिन्हित करना।
2013	चार निम्न आय वाले राज्यों के ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी मुद्दों का समाधान करने हेतु विश्व बैंक के सहयोग से विशेष कार्यक्रम की शुरूआत करना।
2014	ग्रामीण पेयजल के लिए नई प्रौद्योगिकी संबंधी अभिनव पहल।

2.1.5 वर्तमान स्थिति

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय देश में सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल हेतु चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं स्वच्छता हेतु चलाए जा रहे निर्मल भारत अभियान के लिए सामान्यतः नीति बनाने, योजना बनाने, उसके लिए वित्तपोषण का कार्य करने और समन्वयन का कार्य करने के लिए नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय के कार्यकलापों को चलाने हेतु मुख्यतः तीन कार्यक्रम प्रभाग नामतः जल, जल गुणवत्ता और स्वच्छता हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु यह निर्णय लिया गया है कि समाज में लिंग, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्कूली बच्चों, सामाजिक रूप से संवेदनशील समूहों जैसे कि गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं, विशिष्ट रूप से योग्यता रखने वाले और वरिष्ठ नागरिकों आदि के संबंध में समानता सुनिश्चित करने पर पूर्ण विचार के साथ ऐसे मुख्य मुद्दे जिनका कि इस अवधि के दौरान समाधान किए जाने की जरूरत है, वे हैं – स्थायित्व, जल की उपलब्धता और आपूर्ति की समस्या, जल की खराब गुणवत्ता, केन्द्रीकृत बनाम विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण और न्यायसंगत रूप से प्रचालन एवं रखरखाव संबंधी लागत का वित्तपोषण करना है। बारहवीं योजना अवधि के लिए स्वदेशी जल एवं स्वच्छता पर कार्यदल ने अन्य पहलों में से निम्नांकित पहलों की अनुशंसा की है

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सेवा स्तरों को 40 एलपीसीडी (लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) से 55 एलपीसीडी (लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) तक बढ़ाना, (ii) पाइप द्वारा जलापूर्ति पर ध्यान केन्द्रित करना और (iii) पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता पर संयुक्त दृष्टिकोण अपनाना।

2.1.6 ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए वित्तपोषण

केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए किया गया निधियों का आबंटन निम्नांकित तालिका और ग्राफ में दर्शाया गया है।

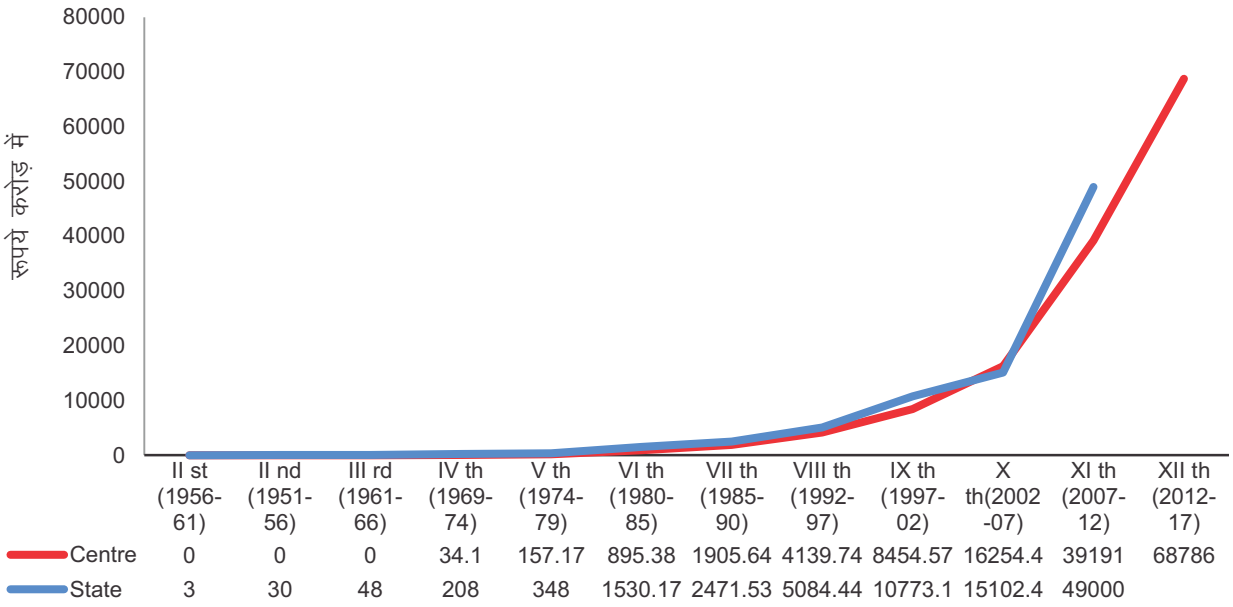

भारत निर्माण (चरण–I और II) में वास्तविक प्रगति

भारत निर्माण (चरण–I) (2005–06 से 2008–09)

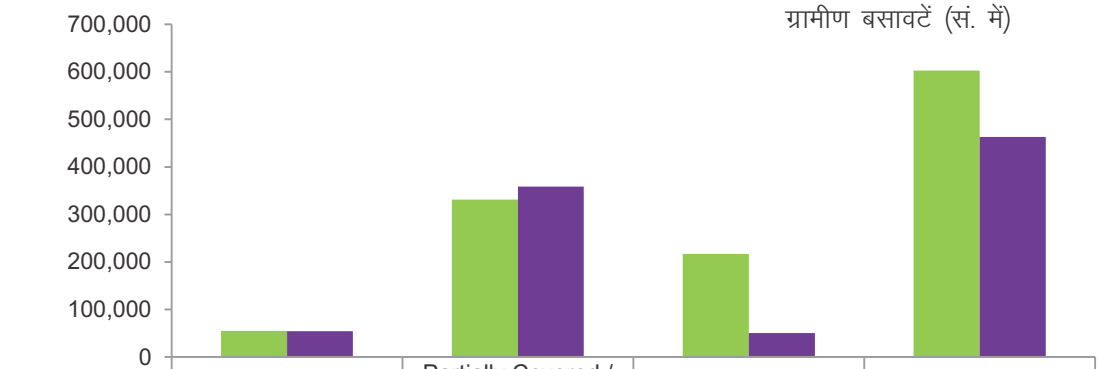

	Uncovered	Partially Covered / Slipped Back	Quality Affected	Total
Target	55,067	331,000	217,000	603,067
Achievement	54,440	358,362	50,168	462,970

निर्माण (चरण–II) (2009–10 से 2011–12)

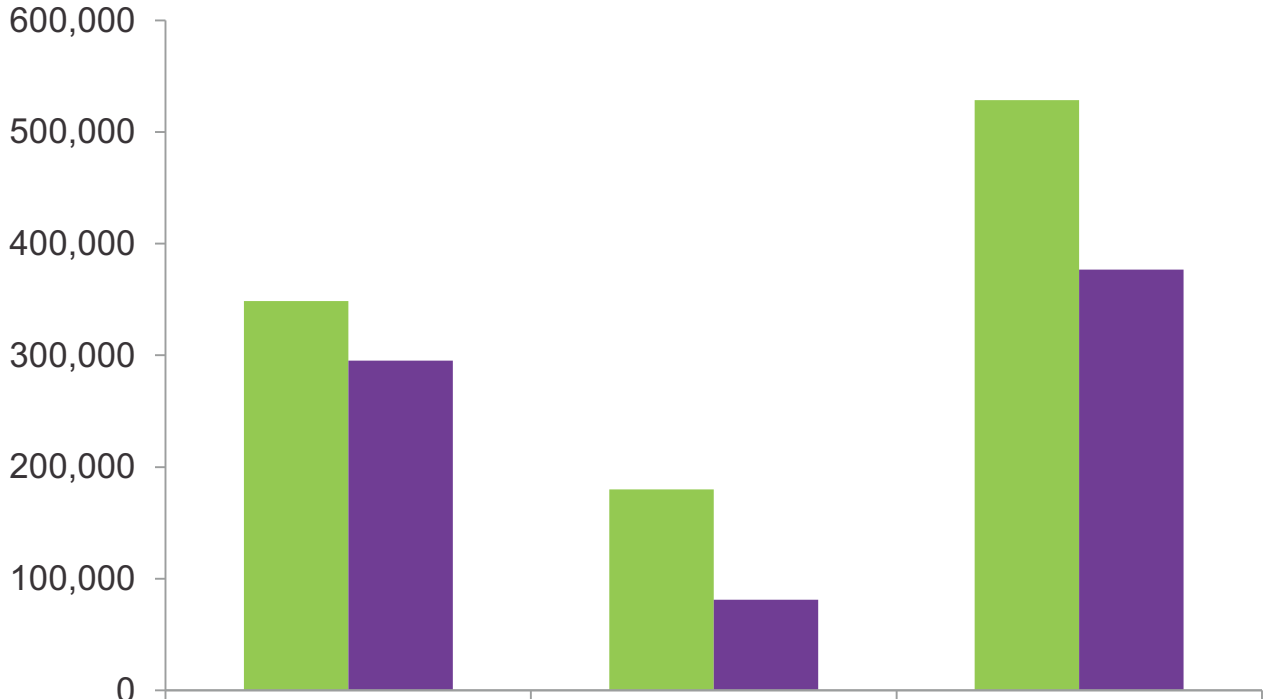

	Partially Covered / Slipped Back	Quality Affected	Total
Target	348,701	179,999	528,700
Achievement	295,262	81,357	376,619

i) **कवर न की गई बसावटें** : भारत निर्माण की अवधि के दौरान कवर की जाने वाली 55,067 कवर न की गई बसावटों की तुलना में, चरण–I की अवधि के दौरान 54,440 बसावटें कवर की गई हैं। भारत निर्माण (चरण–II) के दौरान 31/3/2011 तक 627 बसावटों को कवर किए जाने की जानकारी दी गई है। इस प्रकार कवर न की गई वे सभी बसावटें, जो 2005 के आरंभ में मौजूद थीं, अब कवर कर ली गई हैं।

ii) **निचली श्रेणी में लौट आई बसावटें/आंशिक रूप से कवर की गई बसावटें**:

चरण–I (2005–06 से 2008–09 तक) में, राज्यों द्वारा निचली श्रेणी में लौट आई 3.58 लाख बसावटों को कवर कर लिए जाने की सूचना मिली है।

iii) **गुणवत्ता प्रभावित बसावटें** :

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 2,17,000 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों का, परियोजनाओं को स्वीकृति देकर, निवारण किया गया है और इनमें से 50,168 बसावटों को चरण–I के दौरान,

स्वच्छ पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण परियोजनाओं के साथ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। 1.4.2009 की स्थिति के अनुसार, भारत निर्माण के चरण–II के आरंभ में, राज्यों ने सूचना दी कि 1,79,999 गुणवत्ता प्रभावित बसावटें कवर किए जाने हेतु शेष थीं। भारत निर्माण के चरण–II के दौरान इनमें से 81,357 बसावटों को कवर कर लिए जाने की सूचना मिली है। इस प्रकार से भारत निर्माण के चरण–I और चरण–II के दौरान 1,31,525 गुणवत्ता प्रभावित सभी बसावटों को पूरी की गई योजनाओं के साथ कवर कर लिया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में वर्ष 2012–13 से दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार 43,820 गुणवत्ता प्रभावित बसावटें कवर की गई हैं।

2.1.7 एनआरडीडब्लूपी के तहत वित्तीय कार्य निष्पादन

वर्ष 2005–06 में भारत निर्माण की शुरूआत के समय से एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत किए जा रहे वित्तीय आबंटनों और खर्चों में उल्लेखनीय रूप से बढ़त हुई है।

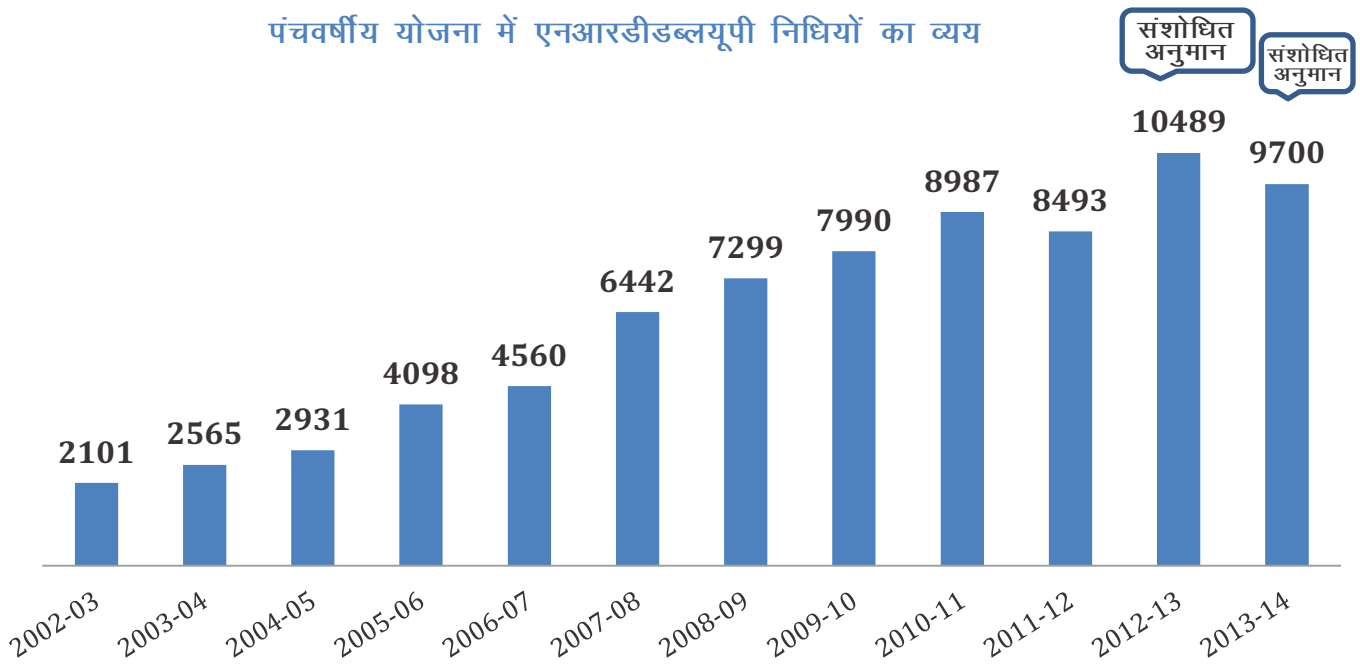

राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा वित्तीय कार्यनिष्पादन, कार्यक्रम के तहत जारी की गई राशियों के अनुसार है। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और की गई रिलीज इस प्रकार है :

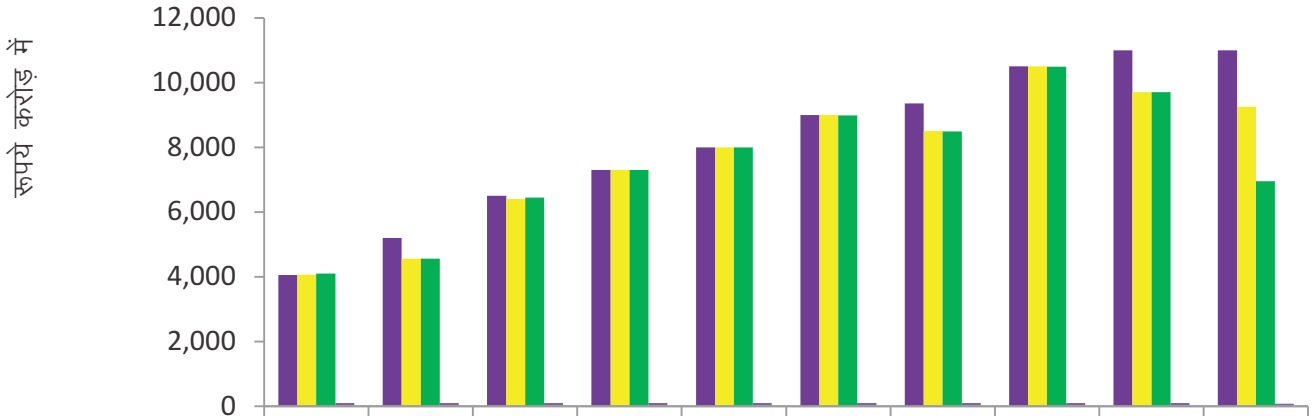

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15*
Budget Estimates	4,050	5,200	6,500	7,300	8,000	9,000	9,350	10,500	11,000	11,000
Revised Estimates	4,060	4,560	6,400	7,300	8,000	9,000	8,500	10,500	9,700	9,250
Expenditure	4098	4560	6442.76	7298.79	7989.72	8986.74	8493.15	10,489.05	9,697.27	6,953.12
Expenditure in% of RE	101	100	100	100	100	100	100	100	100	75

* 31.12.2014 तक

वर्ष 2013–14 के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए 9700 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी जिसमें से एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए राज्यों को 9348.40 करोड़ रू. आवंटित किए गए थे। इस राशि में से 9697.27 करोड़ रूपये राज्यों को रिलीज किए गए अथवा उसका राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया गया। वर्ष 2014–15 के लिए 9250 करोड़ रूपये का संशोधित आवंटन उपलब्ध कराया गया। इसमें से 6953.12 करोड़ की राशि का 31.12.2014 तक उपयोग कर लिया गया है।

राज्यों को सहायता संबंधी गतिविधियों और जल गुणवत्ता जांच एवं निगरानी जैसे मुख्य ध्यान केन्द्रित क्षेत्रों में सहायता देने हेतु सहायता निधि के तहत 455.75 करोड़ रू. की राशि का आबंटन किया गया है जिसमें से 187.86 करोड़ रू. जारी किए गए हैं, जबकि 31.12.2014 तक जल गुणवत्ता जांच एवं निगरानी के तहत 273.45 करोड़ रू. आबंटित किए गए और 112.04 करोड़ रू. जारी किए गए हैं तथा जल गुणवत्ता के तहत चिन्हित निधियों में से 455.75 करोड़ रू. का आबंटन किया गया है और 142.76 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना में नई पहलें

- देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों, जहां बिजली सुगमता से प्राप्त नहीं है, के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से 20000 सौर ऊर्जा आधारित दोहरे पंपों की स्थापना की नई योजना शुरू की गई

है। इस प्रयोजन के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों के स्थायित्व घटक का प्रयोग किया जाना है।

- मंत्रालय ने पेयजल एवं स्वच्छता की तकनीकी पहलों पर मंत्रालय को सलाह देने हेतु डॉ0 आर.ए. माशेलकर, पूर्व डीजी, सीएसआईआर की अध्यता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। जनवरी, 2015 तक विशेषज्ञ समिति ने 3 बैठकें की हैं तथा राज्यों को अपनाने हेतु कुछ अभिनव तकनीकों का सुझाव किया है।

- फरवरी, 2014 माह में देश भर में ''वाश सप्ताह'' मनाया गया था। इसे प्रतिवर्ष नियमित रूप से मनाया जाएगा और वर्ष 2014–15 में यह 16 मार्च, 2015 से मनाया जाएगा और 22 मार्च, 2015 को विश्व जल दिवस के अवसर पर समाप्त होगा। समारोह में जल के उपयुक्त उपयोग से संबंधित जागरूकता फैलाना तथा सामान्य स्वास्थ्य तथा लोगों के बेहतर जीवन में स्वच्छता के महत्व से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

- मंत्रालय द्वारा अगस्त, 2014 तथा जनवरी, 2015 में नवीन तकनीकों पर दो प्रदर्शनियों ''इंडोवेशन'' आयोजित की गई हैं। जल तथा स्वच्छता में तकनीकों के विकास के लिए चर्चा तथा उनका प्रसार करने हेतु मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया यह एक अद्भुत मंच है जहां इस क्षेत्र के सभी हिस्सेदार मिलेंगे तथा सभी के लाभ के लिए ज्ञान/अनुभव को बांटेंगे। यह भी कार्यक्रम की एक नियमित विशिष्टता है और यह मंत्रालय द्वारा नियमित अंतरालों पर इसे आयोजित किया जाएगा।

- राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना के लिए नवम्बर, 2014 में दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

- पाइप द्वारा जलापूर्ति का कवरेज, शौचालय कवरेज बढ़ाने तथा ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण स्वच्छता क्षेत्रों में संस्थाओं और प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु, मंत्रालय ने परियोजना लागत की 50 प्रतिशत की विश्व बैंक सहायता के लिए 6000 करोड़ रूपये से अधिक की अनुमानित लागत से असम, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कम आमदनी वाले राज्यों के लिए एक ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना का प्रस्ताव किया है।

- समेकित जल संसाधन प्रबंधन के जरिए पेयजल सुरक्षा आयोजना तथा भागीदारी आधार पर स्रोत स्थायित्व उपायों को शुरू करने संबंधी एक पायलट परियोजना देश के अति–विदोहित 15 ब्लॉकों में शुरू की गई है।

- हैंड पम्पों की बजाए पाइप द्वारा जल आपूर्ति पर ध्यान संकेन्द्रित किया गया है ताकि भू–जल के विदोहन पर दवाब को कम किया जा सके और जल को पीने योग्य बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके;

- प्रणालियां तैयार करने हेतु 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करने के मानक से प्रस्तावित ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए सेवा स्तरों में बढ़ोत्तरी करना;

- रासायनिक सन्दूषण और जापानी एन्सेफालाइटिस (जेई)/एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिण्ड्रोम (एईएस) प्रभावित क्षेत्रों के लिए निर्धारित वित्तपोषण के साथ जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के कवरेज पर अधिक बल देना;

- इस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए जिससे कि 2017 तक देश में कम से कम 50 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को उनके पारिवारिक परिसरों के भीतर अथवा 100 मीटर की परिधि में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की सुविधा उपलब्ध हो जिसके तहत मौजूदा 13 प्रतिशत की तुलना में कम से कम 30 प्रतिशत परिवारों के पास वैयक्तिक घरेलू कनैक्शन उपलब्ध हो जाएं;

- सभी नई पेयजल आपूर्ति योजनाओं की अभिकल्पना, आकलन और कार्यान्वयन जीवन चक्र संबंधी लागत को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा न कि केवल प्रति व्यक्ति लागत को देखते हुए;

- अपशिष्ट जलशोधन तथा पुनर्चक्रण प्रत्येक जलापूर्ति योजना अथवा परियोजना का अभिन्न अंग होगा; जिसमें आयोजना प्रक्रिया में नवीकरण तथा आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम) की अवधारणा लाई जाएगी;

- जल बजटिंग और आपूर्ति एवं मांग दोनों पक्षों की दृष्टि से योजना तैयार करके समेकित जल संसाधन प्रबंधन की भागीदारी योजना बनाना तथा कियाकलापों का कार्यान्वयन करना;

- अनु. जाति एवं अनु. जनजाति आबादी बहुल बसावटों के कवरेज हेतु निधियों का निर्धारण करना;

- घरेलू कनैक्शन लेने हेतु परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए आशा कर्मियों को प्रोत्साहन;

- राज्यों को मार्च, 2017 तक 20,000 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करने के लिए कहा गया है।

2.1.8 एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत वास्तविक कार्य निष्पादन

वर्ष 2013–14 के लिए, आंशिक रूप से कवर 1,22,259 बसावटों और गुणवत्ता प्रभावित 21,771 बसावटों के कवरेज के लक्ष्य की तुलना में, उपलब्धि 1,36,780 आंशिक रूप से कवर तथा 16,649 गुणवत्ता प्रभावित

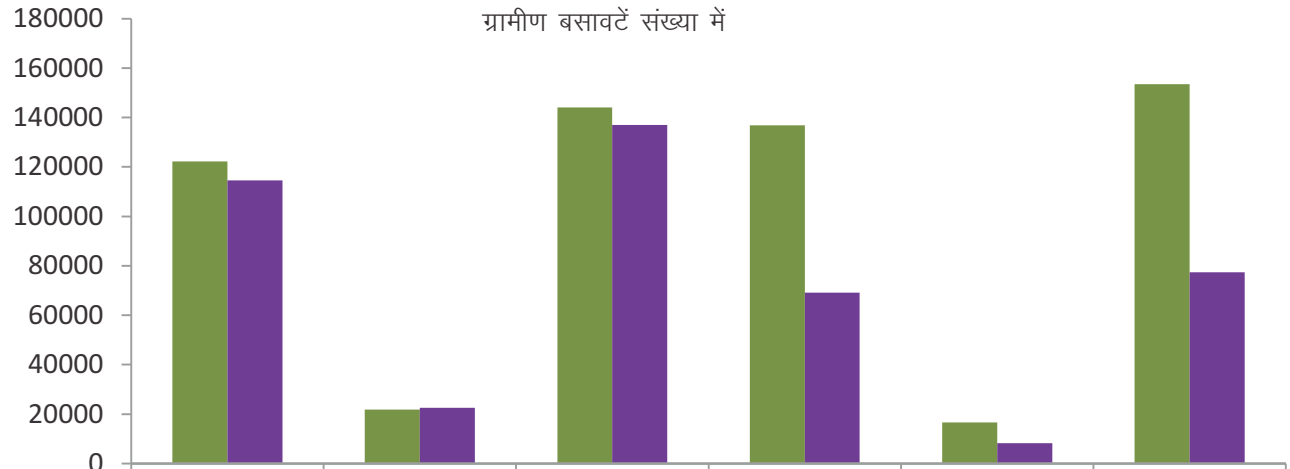

	Target			Coverage		
	Partially covered	Quality Affected	Total	Partially covered	Quality Affected	Total
2013-14	122259	21,771	144,030	136780	16,649	153,429
2014-15*	114479	22,562	137,041	69,111	8,195	77,306

*' दिनांक 31.12.2014 के अनुसार उपलब्धि

बसावटों का कवरेज था। वर्ष 2014–15 (दिसम्बर 2014 तक) आंशिक रूप से कवर 1,14,479 बसावटों और 22,562 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के कवरेज की तुलना में, उपलब्धि आंशिक रूप से कवर 69,111 बसावटों तथा गुणवत्ता प्रभावित 8,195 बसावटों का कवरेज थी।

राज्य–वार ब्यौरा अनुलग्नक I (क), I (ख), II (क) तथा II (ख) में दिया गया है।

2.1.9 बढ़ती अपेक्षाएं : लक्ष्य

सीढ़ी की तरह बढ़नामंत्रालय का लक्ष्य ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में बेहतर सेवा सुपुर्दगी और मानकों के लिए ग्रामीण लोगों की बढ़ती हुई अपेक्षाओं को पूरा करने में राज्यों की सहायता करना है जैसाकि नीचे दी गई जल सीढ़ी में दर्शाया गया है :

बढ़ती अपेक्षाएं
सीढ़ी की तरह बढ़ना

निम्न पर बल देना
- **वैयक्तिक मीटरयुक्त पारिवारिक कनैक्शन**
- **जल गुणवत्ता**
- **सेवा का उन्नत स्तर 24 x 7 आपूर्ति**

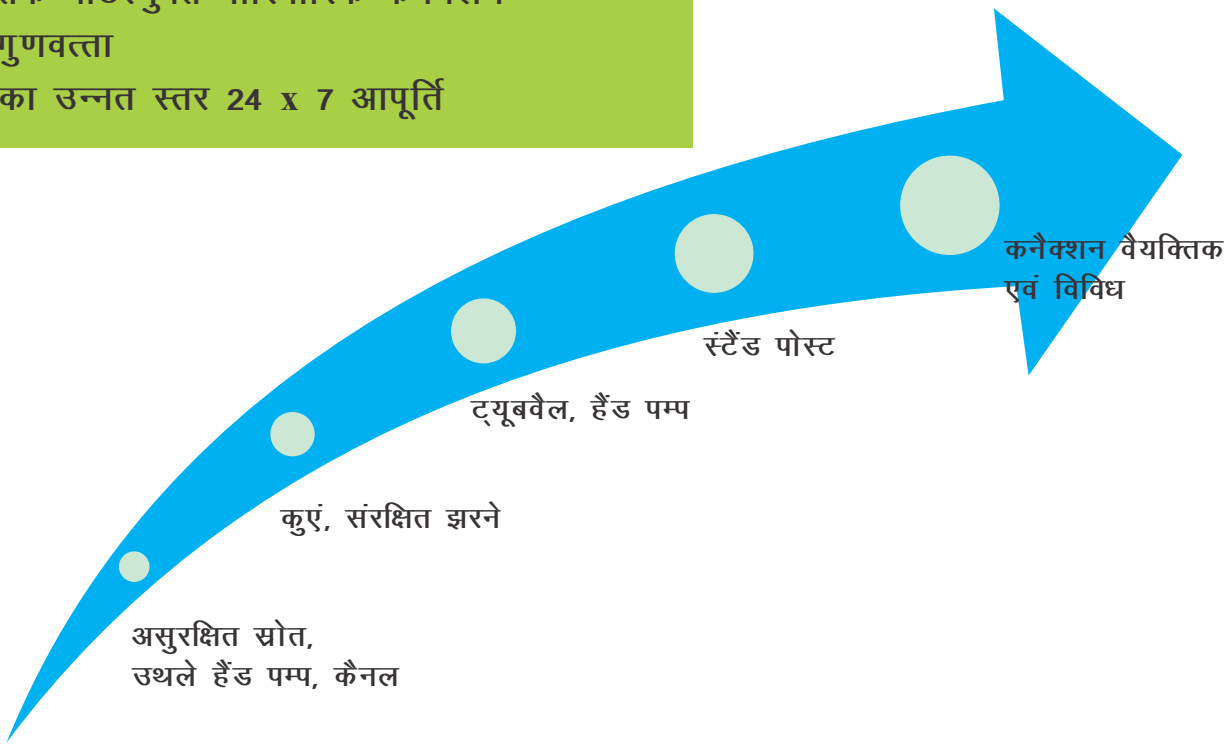

2.1.10 वार्षिक कार्य योजनाएँ (एएपी): 2015–16 के लिए योजना तैयार करना

वर्ष 2010–11 से, वार्षिक कार्ययोजना (एएपी) पर प्रत्येक राज्य के साथ राज्य–वार विचार–विमर्श किए गए। इस प्रक्रिया में राज्यों ने वर्ष के दौरान उनके द्वारा ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में किए जाने हेतु प्रस्तावित गतिविधियों, और उन प्रस्तावों में लगने वाली वित्तीय लागतों के संबंध में विस्तृत विवरण देते हुए अपनी वार्षिक कार्य योजनाएँ तैयार की हैं। वर्ष 2014–15 हेतु राज्य की वार्षिक कार्य योजनाओं पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों के प्रतिनिधियों के बीच फरवरी, 2014 के माह में विस्तृत विचार विमर्श किए गए। वर्ष 2012–13 से वार्षिक कार्ययोजना हेतु ऑनलाइन फॉर्मेट पूरी तरह तैयार कर लिया गया और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकृत किया गया था। इससे राज्यों का कार्ययोजनाओं के प्रति विकेन्द्रीकृत नजरिया बना है। विचार विमर्शों के बाद वार्षिक कार्य योजनाओं में संशोधन का सुझाव दिया गया एवं कार्ययोजनाओं की पहचान की गई। राज्यों की

वार्षिक कार्य योजनाओं के तैयार होने के पश्चात् और लक्षित बसावटों को आईएमआईएस पर ऑनलाइन चिन्हित कर लिए जाने के पश्चात् राज्यों को एनआरडीडब्लूपी के तहत निधियां जारी की गई थीं। इस वार्षिक कार्य योजना के आधार पर ही राज्यों ने वर्ष के दौरान एनआरडीडब्लूपी के तहत गतिविधियां शुरू की हैं। एनआरडीडब्लूपी हेतु वार्षिक कार्य योजनाओं को तैयार करने, उन पर विचार विमर्श करने और उनका कार्यान्वयन करने की संपूर्ण प्रक्रिया से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही निधियों को उचित ढंग से लक्ष्य–बद्ध करने और उनकी मॉनीटरिंग करने हेतु एक रूपरेखा उभरकर सामने आई है। वार्षिक कार्य योजना सहित राज्यों द्वारा किए जा रहे कार्यों की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग से देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने में एनआरडीडब्लूपी की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय रूप से मजबूती आई है।

2.1.11 अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी), जनजातीय उप–योजना (टीएसपी), वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों (एलडब्ल्यूई) तथा अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिलों के लिए योजना बनाना

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान

एनआरडीडब्ल्यूपी में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आबादी के कवरेज पर फोकस सुनिश्चित करने के विशेष प्रावधान हैं। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को निधि आवंटन के लिए मानदण्ड में राज्य की ग्रामीण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के लिए 10 प्रतिशत वैटेज की व्यवस्था है। अतः अनु. जाति तथा अनु. जनजाति की अधिक आबादी वाले राज्य एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का अधिक आवंटन प्राप्त करते हैं।

दिनांक 1.4.2014 के अनुसार अनु.जा. बसावट में कवरेज की स्थिति

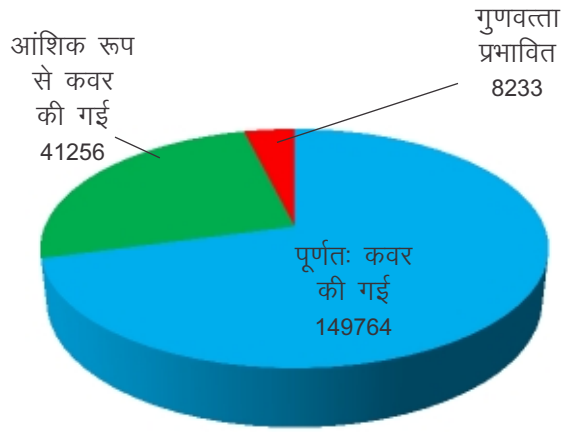

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनु.जाति और अनु.जनजाति संकेद्रित क्षेत्रों में राज्यों द्वारा पर्याप्त निधियों का उपयोग किया जाता

है, वर्ष 2014–2015 के लिए, अनु.जातियों के लिए व्यय हेतु 2035 करोड़ रू. (9250 करोड़ रू. के कुल आवंटन का 22 प्रतिशत) तथा अनु. जनजातियों के लिए व्यय हेतु 925 करोड़ रू. (9250 करोड़ रू. के कुल आवंटन का 10 प्रतिशत) निर्धारित किया गया है। इसमें से, अनु. जाति और अनु. जनजाति आबादी के कवरेज के लिए राज्यों को 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार 2071.54 करोड़ रू. की राशि पहले ही जारी कर दी गई है।

मंत्रालय की समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) के जरिए अनु. जाति और अनु. जनजाति संकेन्द्रित बसावटों के कवरेज की प्रगति की निगरानी की जा रही है। इस संबंध में मंत्रालय की वेबसाइट में तथा ऑनलाइन निगरानी प्रणाली में उपलब्धि के ऑकड़े प्राप्त करने हेतु संशोधन किए गए हैं।

दि. 28.02.2015 के अनुसार अनु.ज.जा. ग्रामीण बसावटों के कवरेज की स्थिति

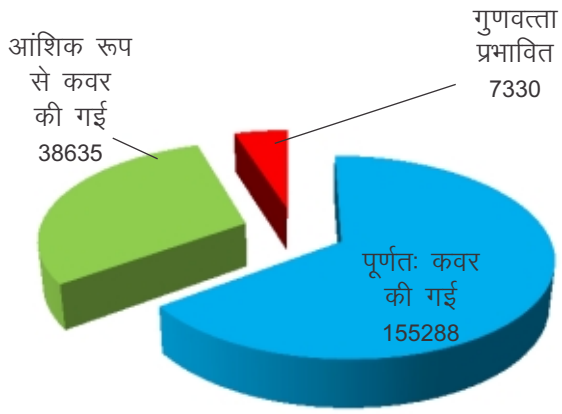

दिनांक 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार, देश में अनु. जाति संकेन्द्रित कुल 199253 बसावटों में से 1,49,764 बसावटें पूर्णतः कवर हैं, 41,256 बसावटें आंशिक रूप से कवर हैं तथा 8,233 बसावटें गुणवत्ता प्रभावित हैं। 2014–15 में, 14,061 अनुसूचित जाति बहुल बसावटों का कवरेज हेतु लक्ष्य रखा गया था तथा 9412 बसावटों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के साथ कवर किया गया।

दिनांक 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार अनु. जनजाति बहुलता वाली कुल 3,55,949 बसावटों में से 2,70,821 बसावटें पूर्णतः कवर हैं, 70,523 बसावटें आंशिक रूप से कवर हैं और 14,605 बसावटें गुणवत्ता प्रभावित हैं। 2014–15 में अनु. जनजाति संकेद्रित 35,166 बसावटों के कवरेज के लक्ष्य की तुलना में, 20016 बसावटों को कवर कर लिया गया है।

अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान

अल्पसंख्यक संकेद्रित जिलों में व्यय के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का कोई भी निर्धारण नहीं किया जाता है, फिर भी, योजना प्रक्रिया में इस प्रकार की बसावटों के कवरेज पर ध्यान दिया जाता है।

01.04.2014 की स्थिति के अनुसार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित अल्पसंख्यक संकेद्रित कुल 2,28,870 बसावटों में से 1,48,274 बसावटें पूर्णत कवर हैं, 67,413 बसावटें आंशिक रूप से कवर हैं और 13,183 बसावटें गुणवत्ता प्रभावित हैं। वर्ष 2014–15 में 19242 बसावटों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया था और दिनांक 31.12.2014 तक 10416 बसावटों को पीने योग्य पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध कराई गई।

वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों में एनआरडीडब्ल्यूपी की प्रगति

ऐसे 88 जिले हैं जो वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों के रूप में वर्गीकृत हैं तथा समेकित कार्य योजना (आईएपी) के अंतर्गत आते हैं। जल आपूर्ति परियोजनाओं सहित विकास परक योजनाएं शुरू करने के लिए इन जिलों के जिला प्रशासन को आईएपी के अंतर्गत निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा, एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, राज्य सरकारें इन जिलों में अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं में ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं को प्राथमिकता देती हैं।

दि. 28.02.2015 के अनुसार आईएपी बसावटों के कवरेज (सं0) की स्थिति

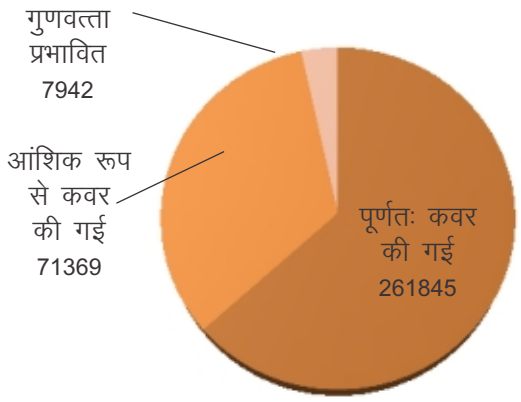

01.04.2014 की स्थिति के अनुसार, देश में 16.96 लाख ग्रामीण बसावटों में से 3,41,156 बसावटें आईएपी जिलों में हैं। इनमें से 2,48,716 बसावटें (72.90 प्रतिशत) पूर्णतः कवर की गई हैं। 82,687 बसावटें (24.23 प्रतिशत) आंशिक रूप से कवर हैं। इसके अलावा, 9,753 बसावटें (2.85 प्रतिशत) गुणवत्ता प्रभावित हैं।

वर्ष 2014–15 में, एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत 38,725 बसावटों को कवर करने के लक्ष्य के साथ राज्य सरकारों द्वारा आईएपी जिलों को 768.92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, 22,821 बसावटें कवर की गई हैं।

2.1.12 समेकित कार्य योजना (आईएपी) जिलों में सौर ऊर्जा द्वारा चालित दोहरे पम्प

मंत्रालय ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि के साथ तालमेल बैठाकर देश के 88 समेकित कार्य योजना (आईएपी) जिलों में सौर ऊर्जा द्वारा चालित 10,000 दोहरे पम्पों की संस्थापना करने का निर्णय लिया है। कुल इकाई की लागत लगभग 5.1 लाख रुपए है। एमडीडब्लूएस, एमएनआरई और राज्यों के बीच निधि भागीदारी पैटर्न क्रमशः 40:30:30 के अनुपात में है। सौर ऊर्जा द्वारा चलने वाले दोहरे पम्प स्कीम के तहत एक 900 वॉट की क्षमता का सौर ऊर्जा आधारित सबमर्सिबल पम्प, बोरवैल में लगाया गया है जो कि हैंडपम्प के साथ भी जुड़ा हुआ है। पम्प किया गया पानी 5000 लिटर के टैंक में जमा किया जाता है जिसका उपयोग प्रत्येक घर में नलों के द्वारा पाइप द्वारा जलापूर्ति उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। यह स्कीम 250 लोगों की पेयजल की आवश्यकता को पूरा करने में पर्याप्त है। सौर ऊर्जा द्वारा चालित पम्प में किसी प्रकार की समस्या आने पर हैंडपम्प को उसी बोरवैल में स्टैंड–बाई के रूप में रखा जाता है ताकि आबादी को पेयजल की अबाधित उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। वर्ष 2013–14 में कुल 1032 बसावटों को कवर किया है और 2014–15 के दौरान 15.02.2015 की स्थिति के अनुसार, 2862 बसावटों को राज्यों द्वारा कवर किए जाने की सूचना दी गई है।

महाराष्ट्र में संस्थापित सौर ऊर्जा द्वारा चालित दोहरा पंप

2.1.13 पूर्वोत्तर राज्यों में एनआरडीडब्ल्यूपी की प्रगति

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, इन राज्यों को राष्ट्रीय आवंटन का 10 प्रतिशत उपलब्ध कराकर पूर्वोत्तर राज्यों में अवस्थापना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 2014–15 में, पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए 925 करोड़ रू. उपलब्ध कराए गए हैं।

वास्तविक स्थिति :

राज्य	कुल ग्रामीण बसावटें	कवरेज की स्थिति (01.04.2014 के अनुसार)			लक्ष्य 2014–15		31.12.2014 की स्थिति के अनुसार उपलब्धि	
		पूर्णत कवर बसावटें	आंशिक रूप से कवर बसावटें	गुणवत्ता प्रभावित बसावटें	आंशिक रूप से कवर बसावटें	गुणवत्ता प्रभावित बसावटें	आंशिक रूप से कवर बसावटें	गुणवत्ता प्रभावित बसावटें
अरूणाचल प्रदेश	7412	2386	4939	87	202	46	138	0
असम	87888	41990	35214	10684	6319	3591	1479	599
मणिपुर	2870	2089	781	0	200	0	202	0
मेघालय	9326	1918	7356	52	396	15	68	15
मिजोरम	777	339	438	0	81	0	15	0
नागालैण्ड	1530	503	989	38	96	24	111	14
सिक्किम	2084	662	1422	0	200	0	85	0
त्रिपुरा	8132	3215	598	4319	93	1289	398	646
कुल	120019	53102	51737	15180	7587	4965	2496	1274

2.2 जल गुणवत्ता कार्यक्रम (डब्लूक्यूपी)

2.2.1 पेयजल गुणवत्ता हेतु अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना (आईसीडीडब्लूक्यू)

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार जोका, डायमण्ड हार्बर रोड, कोलकाता, में एक अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र ''इंटरनेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वॉटर क्वालिटी'' (आईसीडीडब्लूक्यू) की स्थापना कर रहा है। आईसीडीडब्लूक्यू को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में नई दिल्ली में पंजीकृत कर लिया गया है। आईसीडीडब्लूक्यू, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के संपूर्ण मार्गदर्शन के तहत पूर्ण रूप से वित्तपोषित एवं संचालित होगा।

सोसाइटी का मूलभूत उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और सामान्यतः ग्रामीण पेयजल क्षेत्र के अन्तर्गत नीतिगत स्तर पर निर्णय लेने हेतु इनपुट उपलब्ध कराने के लिए आर्सेनिक, फ्लोराइड और अन्य बढ़ते हुए संदूषणों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ–साथ भारत एवं भारत से बाहर पेयजल गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं की पहचान करने, उन समस्याओं को कम करने और इनका प्रबंधन करने के क्षेत्र में कार्य करना है। केन्द्र का ध्यान मुख्य रूप से अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, विभिन्न शोधन प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करना, संबंधित प्रशिक्षण देने, सभी संबंधित संगठनों के साथ नेटवर्किंग करने, पेयजल गुणवत्ता से जुड़े मुद्दों पर स्नातक और परास्नातक अध्ययनों से संबंधित कार्य करने आदि पर होगा। यह केन्द्र भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों को भी अपनी सेवाएँ उपलब्ध कराएगा। यह केन्द्र, मांग करने पर, अन्य देशों को भी सहायता पहुँचायेगा।

आईसीडीडब्लूक्यू कैम्पस में कई आधुनिक सुविधाएँ होगीं जैसे कि कैम्पस का प्रशासनिक भवन हरित भवन के मानदण्डों जीआरआईएचए के अनुसार होगा, सभी सुविधाओं से संपन्न अनुसंधान एवं विकास केन्द्र होगा, पुस्तकालय, प्रेक्षागृह, प्रशिक्षण केन्द्र और अतिथि गृह के साथ ही अन्य सहायक भवन, स्टॉफ क्वार्टर आदि होंगे। कैम्पस का कुल कवर किया गया क्षेत्र अनुमानतः 17,000 वर्गमीटर की रेंज में होने की परिकल्पना की गई है, जिसका निर्माण 66 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किए जाने की योजना है जिसमें सभी आवश्यक बाहरी सेवाएं और भूमि विकास आदि शामिल हैं। तथापि, जीआरआईएचए मानदण्डों के आधार पर वास्तविक पूंजीगत लागत अधिक हो सकती है और इसका पता केवल डीपीआर तथा ले–आउट प्लान के बाद ही चल सकेगा। उपर्युक्त के संबंध में निर्णय लिया जा चुका है और आईसीडीडब्लूक्यू इकाइयों के संबंध में उसकी परिकल्पना से लेकर उसे पूरा करने तक की योजना बनाने हेतु, उसकी डिजाइनिंग, खर्चे का अनुमान लगाने, उसे शुरू करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता का चयन किया गया है।

2.2.2 देश के फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम और अन्य भारी/विशैली धातुओं और कीटनाशक/उर्वरक के संदूशण से प्रभावित ग्रामीण बसावटों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्कीम

राज्यों द्वारा जल में संदूषण की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों में ''स्वच्छ'' जल की आपूर्ति के लिए उपलब्ध कराए गए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) निधियों का एक नीति के रूप में विशेश रूप से बहु–ग्रामीण स्कीमें (एमवीएस) शामिल करते हुए, वैकल्पिक स्वच्छ पाइप द्वारा जलापूर्ति (पीडब्लूएस) स्कीमों के लिए उपयोग किया जाता है (अर्थात् स्वच्छ स्रोतों से अत्यन्त दूर), ऐसी एमवीएस परियोजनाओं की निर्माण–पूर्व तैयारी की अवधि 4 से 5 वर्शों के लगभग होती है चूंकि ग्रामीणों को अंतरिम अवधि में अस्वच्छ पेयजल का सेवन करने के कारण जोखिम में नहीं रखा जा सकता, साथ ही साथ इस प्रकार की बहु–ग्रामीण स्कीमों, जिसमें दूर स्थित स्रोतों से स्वच्छ पानी लाया जाता है, के तहत इसमें शामिल बढ़ी निधियों को देखते हुए ऐसी स्कीमों को 4 से 5 वर्षों की समय–सीमा के भीतर तय नहीं किया जा सकता और न ही पूरा किया जा सकता है, अतः पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 2014–15 से 2016–17 तक की अवधि के दौरान लगभग 20,000 बसावटों में केन्द्र और राज्य के मध्य 75:25

(पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू कश्मीर के मामले में 90:10) के अनुपात में निधि भागीदारी पैटर्न के साथ 3,600 करोड़ रुपए की कुल पूंजीगत लागत के अनुमानित व्यय के साथ तत्काल स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए देश के फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम और अन्य भारी/विशैले धातुओं और कीटनाशक/उर्वरक प्रभावित ग्रामीण बसावटों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र की सुविधा उपलब्ध कराने के ईएफसी के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव को ईएफसी (आर्थिक वित्त समिति) द्वारा आंका गया है, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है। उसके बाद प्रस्ताव को विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति को प्रस्तुत किया गया था। तथापि, उच्च स्तरीय प्राधिकारियों के साथ विचार–विमर्श करने तथा माननीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री के अनुमोदन के आधार पर; योजना को केन्द्र एवं राज्य (पूर्वोत्तर तथा जम्मू एवं कश्मीर के लिए 90:10) के बीच 50:50 के निधि भागीदारी पैटर्न के आधार पर मौजूदा एनआरडी डब्ल्यूपी के अंतर्गत मिला दिया गया है।

इस प्रस्ताव का कार्यान्वयन सामुदायिक पेयजल शोधन संयंत्रों की संस्थापना के माध्यम से 8 से 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से (पीने और खाना बनाने के लिए) स्वच्छ पेयजल के प्रावधान के माध्यम से समयबद्ध रीति से जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की समस्या निपटाने के लिए किया जाएगा, जिसके तहत 2 वर्ष की कार्य निष्पादन गारंटी (बैंक गारंटी) के माध्यम से परियोजना लागत में 7 से 10 वर्ष के प्रचालन एवं रख–रखाव (ओ एण्ड एम) किए जाने के प्रावधान के साथ जिसके पश्चात् संयंत्र को लगाने वाले ठेकेदार के माध्यम से 5 वर्ष की एएमसी होगी, तत्पश्चात् 7 से 10 वर्ष के बाद प्रचालन एवं रख–रखाव का कार्य पंचायत/राज्य सरकार का दायित्व होगा।

ठेकेदार द्वारा दिए जा रहे 7 से 10 वर्षों के प्रचालन एवं रख–रखाव की इस बढ़ी हुई अवधि से पंचायतों को अनुभव लेने का पर्याप्त समय मिलेगा और बाद में इस अनुभव से स्वयं प्रचालन एवं रख–रखाव का कार्य करने में सक्षम हो सकेंगे।

2.2.3 जल गुणवत्ता निगरानी और जांच

ग्रामीण समुदाय में स्वच्छ और साफ पेयजल के प्रति समझ का विकास करने और गुण–दोष विवेचन करने के लिए तथा उन्हें पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जॉच करने में सक्षम बनाने के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी और जॉच कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एंड एसपी), फरवरी, 2006 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित द्वारा ग्रामीण समुदायों को सशक्त करना है :

(i) खराब पेयजल गुणवत्ता के कारण होने वाले स्वास्थ्य जोखिम, स्वास्थ्य, स्वच्छता सर्वेक्षण, पर्यावरणीय स्वच्छता के महत्व, प्रणालियों के स्वामित्व को समाप्त करने आदि के बारे में सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आईईसी) क्रियाकलापों के माध्यम से जागरूकता सृजन।

(ii) प्रत्येक ग्राम पंचायत में निचले स्तर के पॉच कर्मियों को प्रशिक्षण, जो आशा कर्मी, आंगनवाड़ी कर्मी, विज्ञान अध्यापक, हाई स्कूल की छात्रा, पंचायत सदस्य, सेना के सेवा निवृत कर्मचारी आदि हो सकते हैं।

(iii) इसके अलावा, 5 ग्राम पंचायत कर्मियों, राज्य स्तर पर दो व्यक्तियों, जिला स्तर पर 4 कर्मियों और ब्लॉक स्तर पर 5 व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

(iv) प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए जल जॉच किट का प्रावधान।

इन सभी प्रयोजनों के लिए, राज्यों को शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता दी गई है। इस कार्यक्रम की शुरूआत से लेकर 11.02.2015 तक राज्यों द्वारा सूचित ऑनलाइन आंकड़ों के अनुसार, अब तक 4.36 लाख रासायनिक किटों तथा 1178.17 लाख बैक्टीरियोलॉजिकल वायल खरीदे गए हैं/ उनकी आपूर्ति की गई है। इन किटों का उपयोग करते हुए प्रयोगशालाओं में 38.06 लाख ग्रामीण पेयजल स्रोतों की जॉच की गई तथा राज्यों द्वारा आईएमआईएस पर सूचित ऑनलाइन डाटा के अनुसार विभिन्न राज्यों में 28.07 लाख व्यक्तियों (ग्राम पंचायतों में जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे लोग, ब्लॉक और जिला अधिकारियों को शमिल करते हुए) को जल गुणवत्ता जॉच करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इससे पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता संबंधी पहलुओं के पर्यवेक्षण में सहायता मिलती है। दिनांक 1.4.2009 से एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एंड एसपी को एनआरडीडब्ल्यूपी में मिला दिया गया है। 2011–12 से जल गुणवत्ता निगरानी एवं जॉच का एक अलग घटक सृजित किया गया है जिसके लिए 3 प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी निधियॉ आवंटित की जाती हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं (11/02/2015 तक):–

विवरण	इकाई	मूल्य
वितरित रासायनिक एफटीके की संख्या	संख्या में	82.839
वितरित/परिष्कृत सूक्ष्म जैविकीय वायलों की संख्या	लाख में	41.91
प्रशिक्षित निचले स्तर के कर्मी	लाख में	3.26
किए गए स्वच्छता सर्वेक्षणों की संख्या	लाख में	1.50.987
एफटीके का प्रयोग करते हुए जॉच किए गए स्रोतों की संख्या	लाख में	11.33

तेलंगाना राज्य में रंगारेड्डी जिले में जल गुणवत्ता निगरानी में अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग

2.2.4 जल गुणवत्ता जॉच प्रयोगशालाएं

यह मंत्रालय राज्यों में जिला स्तरीय तथा उप–जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना और उन्नयन में भी सहायता करता है। 11.02.2015 की स्थिति के अनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने 3 प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों (शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता), अपने स्वयं के संसाधनों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियों का प्रयोग करते हुए 25 राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएं, 725 जिला स्तरीय प्रयोगशालाएं, 1,582 ब्लॉक स्तरीय/उप प्रभागीय प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। राज्यों ने 2014–15 के दौरान 29.55 लाख जल नमूनों की जांच की है जिनमें से 2,41,560 (अर्थात 8.17 प्रतिशत) ग्रामीण पेयजल स्रोतों को संदूषित पाए जाने की जानकारी मिली है।

2.2.5 हाइड्रो–जियो मॉर्फोलॉजिकल मानचित्र

इस मंत्रालय ने राज्यों की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र, हैदराबाद के माध्यम से राज्यों की मदद करने हेतु 1:50,000 स्केल पर 4,898 मानचित्रों को कवर करते हुए समूचे देश के लिए हाइड्रो–जियोमार्फोलाजीकल मानचित्र (जल गुणवत्ता लेअर के बगैर संभावित मानचित्र) तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया है। इन मानचित्रों के इस्तेमाल से, राज्य जल आपूर्ति प्रणालियों के लिए भू–जल स्रोतों के लिए स्थानों की पहचान कर सकते हैं तथा मौजूदा जल आपूर्ति स्रोतों के स्थायित्व को बेहतर बनाने के लिए पुनर्भरण ढांचों के निर्माण के लिए स्थान की पहचान कर सकते हैं।

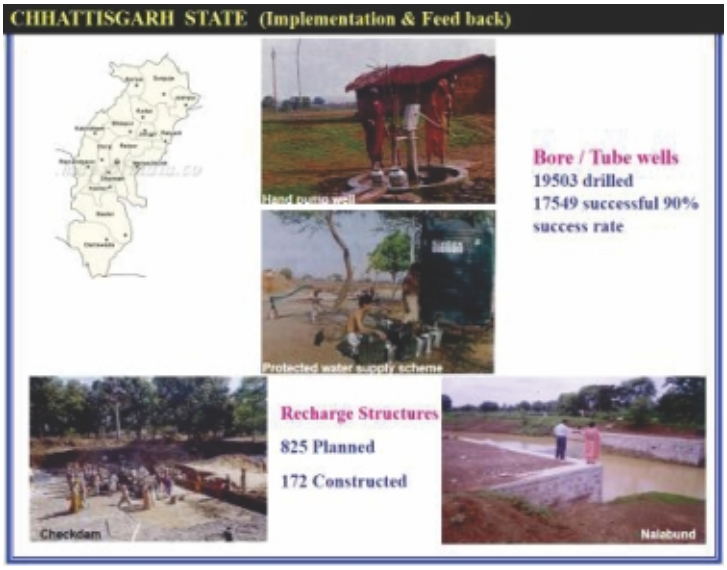

ये भू–जल संभावित मानचित्र राज्यों को सौंप दिए गए गए हैं जिससे कि इनकी सहायता से राज्यों में कृत्रिम भू–जल पुनर्भण्डारण के लिए उत्पादन कार्य में सहायक कुओं और स्थाई ढांचों के लिए सही स्थलों की पहचान करने में सहायता मिलेगी। भू–भौतिकी अध्ययन के साथ इन मानचित्रों के उपयोग से बोरवैल/ट्यूबवैलों के असफल होने की दर में उल्लेखनीय रूप से कमी आयेगी और साथ ही इससे कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक संदूषकों के यथास्थान मिल जाने में भी सहायता मिलेगी। 10 राज्यों में एचजीएम मानचित्रों जिन्हें एक दशक पहले चरण – I और चरण – II की गतिविधियों के दौरान अद्यतन किया गया था, को भी अद्यतन किया जा रहा है। राज्यों को मानसून पूर्व और मानसून के पश्चात् के मौसमों के दौरान प्रत्येक जिले में यादृच्छिक किन्तु एक समान आधार पर जल गुणवत्ता डाटा एकत्रित करने की सलाह दी गई है

और इसे इस डाटा को उनके जीपीएस संयोजकों और ट्यूबवैल की गहराई के साथ भेजने को कहा गया है जिससे कि भू–जल गुणवत्ता जीआईएस परत का एचजीएम मानचित्रों में समावेशन किया जा सके।

2.2.6 जल गुणवत्ता संदूषकों के शोधन के लिए प्रौद्योगिकियाँ

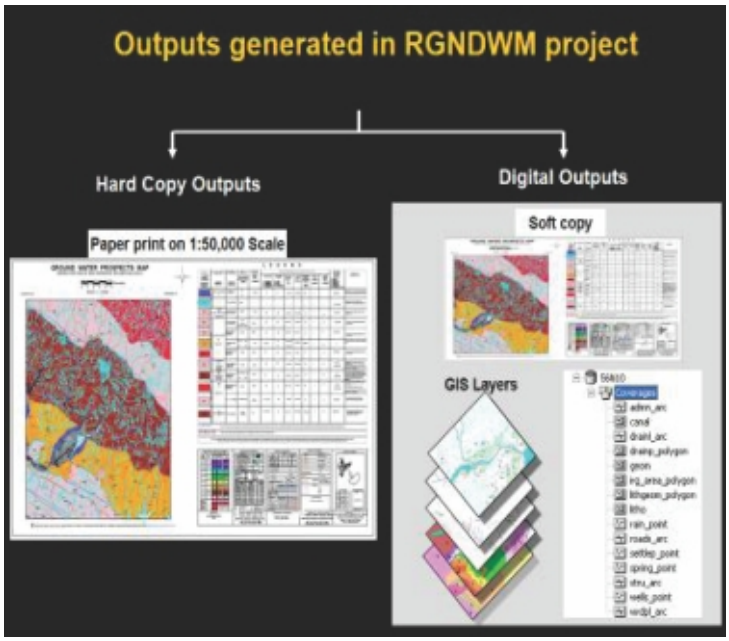

राज्य, गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अनेक प्रौद्योगिकी विकल्पों का प्रयोग करते हैं। समुचित संदूषण रिमूवल प्रौद्योगिकी का चयन करने में राज्यों की सहायता करने के लिए "पेयजल शोधन प्रौद्योगिकी पर एक पुस्तिका" नवम्बर, 2011 में जारी की गई थी और उसे सभी राज्यों को उपलब्ध कराया गया था। यूरेनियम जैसे संदूषणों के पैदा होने की समस्या से निपटने के लिए प्रौद्योगिकियों और शोधन प्रौद्योगिकियों का एक तुलनात्मक विवरण जोड़ते हुए इसमें आगे संशोधन किया गया तथा संशोधित संस्करण फरवरी, 2013 में जारी किया गया।

- मंत्रालय ने जनवरी, 2015 में ''ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता पर अभिनव प्रौद्योगिकीओं का सार–संग्रह'' भी तैयार किया है जिसका विमोचन 22 जनवरी, 2015 को आयोजित पेयजल एवं स्वच्छता के प्रभारी राज्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान किया गया था। इस सार – संग्रह में निर्दिष्ट प्रौद्योगिकियों की विधीक्षा प्रोफेसर आर.ए. माशेलकर, भूतपूर्व महानिदेशक – सीएसआईएस, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा की गई थी।

- ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित अभिनव प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने में राज्यों की मदद करने के लिए, मंत्रालय ने अगस्त, 2014 में प्रदर्शनी – इण्डीवेशन–I तथा जनवरी, 2015 में इण्डोवेशन–II का आयोजन किया। इन समारोहों पर विभिन्न चुनिंदा संगठनों से प्राप्त प्रस्तुतीकरण द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

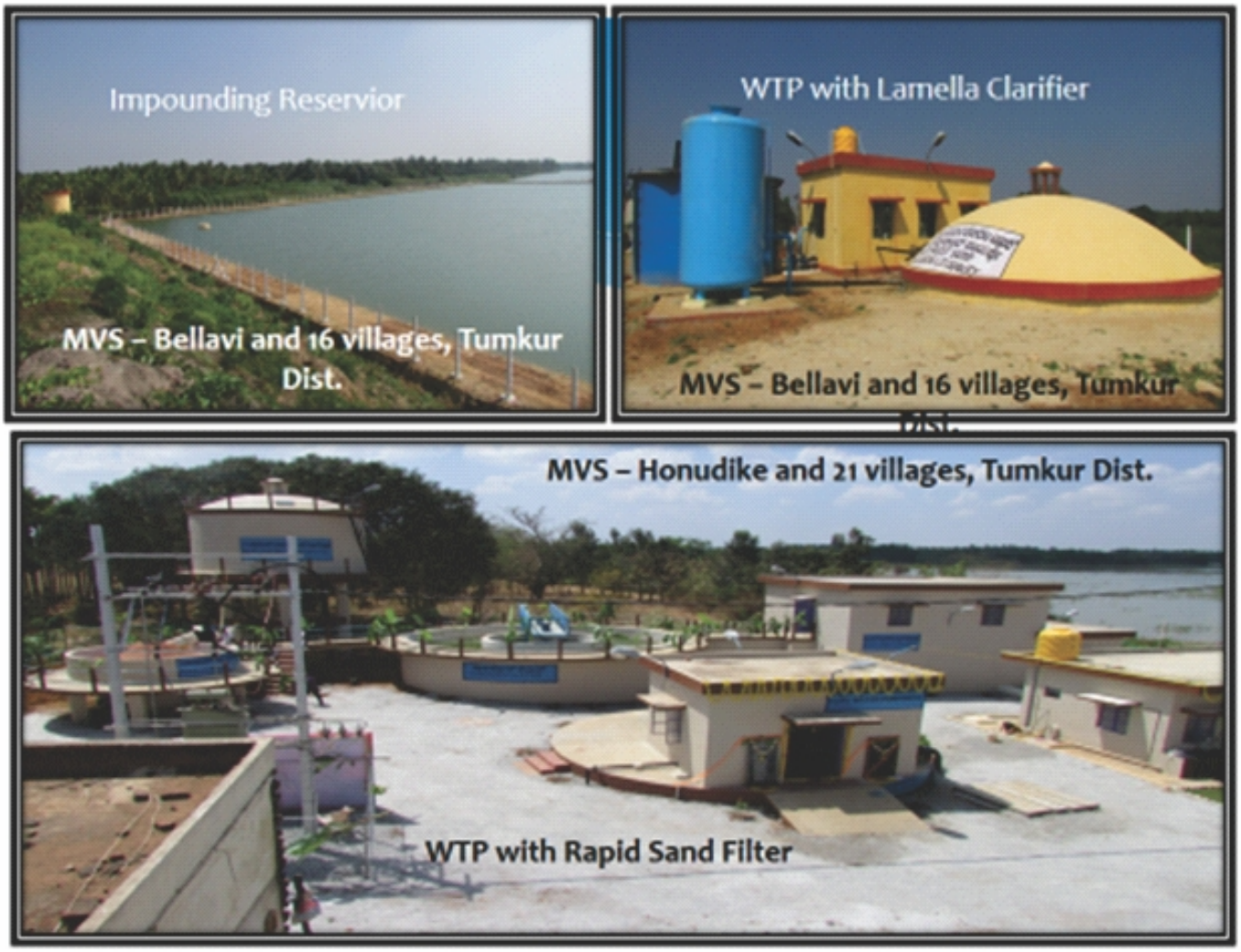

कर्नाटक राज्य में बहु–ग्राम आपूर्ति योजना/जलशोधन का दृश्य

2.2.7 जेई/एईएस का न्यूनीकरण

भारत के 17 राज्यों में 171 स्थानिक भारी जिलों से जेई/एईएस की सूचना मिली थी। जापानी एन्सेफलाइटिस/एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिण्ड्रोम (जेई/एईएस) के निवारण और नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 60 उच्च प्राथमिकता वाले जेई/एईएस जिलों की पहचान की थी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	राज्य का नाम	उच्च प्राथमिकता वाले जेई/एईएस जिलों की संख्या
1	असम	10
2	बिहार	15
3	तमिलनाडु	5
4	उत्तर प्रदेश	20
5	पश्चिम बंगाल	10
	कुल	**60**

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, एनआरडीडब्ल्यूपी – डब्ल्यूक्यूएमएस निर्धारित निधियों (बैक्टीरियो लॉजीकल) के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एण्ड एफडब्ल्यू) द्वार निर्धारित उच्च प्राथमिकता वाले जिलों के लिए निधियां प्रदान करता है। शुरू की जाने वाली गतिविधियों को निर्दिष्ट करते हुए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। एनआरडीडब्ल्यूपी की 25 प्रतिशत – 5 प्रतिशत विशेष जल गुणवत्ता निधियों के अंतर्गत जेई/एईएस प्रभावित जिलों में सुरक्षित पेयजल के प्रावधान के लिए प्रमुख गतिविधियों को शुरू किए जाने की आवश्यकता है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

- प्रभावित क्षेत्रों में सभी स्रोतों का स्वच्छता संबंधी निरीक्षण।
- हैंड पम्प प्लेटफार्मों को बढ़ाना।
- हैंड पम्प प्लेटफार्मों और केसिंग पाइप में सभी लीकों और क्रेकों को बंद कर देना।
- हैंड पम्पों से जुड़े सोकेज पिटों और ड्रेनेज चैनलों को साफ करते हुए उपयुक्त ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन।
- उथले सार्वजनिक हैंड पम्पों के स्थान पर इंडिया मार्क – II हैंड पम्प लगाना।
- गहरे ट्यूब वैल खोदना, इन्हें 1 हार्स पावर मोटर के साथ ऊर्जा प्रदान करना तथा स्टैंड पोस्टों (कम से कम चार जलों के साथ) के साथ जल निकालना और इनके आस–पास निर्माण करना और ब्लीचिंग पाउडर मिलाना।
- सभी सार्वजनिक पेयजल स्रोतों को विसंक्रमित करना।

- केवल स्वच्छ पेयजल प्रयोग में लाने हेतु लोगों के बीच जागरूकता सृजित करना तथा जल को उबालने और उसके प्रयोग की आदत डालना।

- इनके अलावा, राज्यों द्वारा 67 प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी – कवरेज एवं गुणवत्ता निधियों के अन्तर्गत दीर्घकालीन स्थायी समाधान के रूप में प्राथमिकता आधार पर वैकल्पिक सुरक्षित सतही जल/भूजल स्रोत से परिवार आधारित सतही जल/भू–जल स्रोत से परिवार आधारित पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाएं शुरू की जा सकती हैं।

मंत्रालय ने प्रभावित राज्यों में एनआरडीडब्ल्यूपी – डब्ल्यूक्यूएमएस निर्धारित (बैक्टीरियोलॉजिकल) निधियों के उपयोग पर प्रगति की निगरानी करने हेतु अपनी ऑन लाइन आईएमआईएस पर विशेष प्रावधान भी बनाया है। एक जागरूकता आंदोलन भी 2014 में शुरू किया गया था।

2.2.8 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सुरक्षा परियोजनाएं

भूमिका :

राष्ट्रीय पेयजल सुरक्षा पायलट परियोजनाओं की अवधारणा 25–26 मई, 2010 को उदयपुर में ''जल अभाव एवं गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल सुरक्षा प्राप्त करना'' पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला से पैदा हुई थी जिसमें पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री डॉ0 सी.पी. जोशी ने पेयजल सुरक्षा के विभिन्न आयामों का समाधान करने की आवश्यकता पर विचार व्यक्त किए थे।

विचार–विमर्शों के अनुसरण में, यह पायलट परियोजना डॉ0 मिहिरशाह, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में 9–10 सितम्बर, 2011 को पुणे में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में औपचारिक रूप से शुरू की गई थी। ये पायलट परियोजनाएं निम्नलिखित चार प्रमुख दृष्टिकोण के जरिए व्यापक ढंग से पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं :

1) महात्मा गांधी मनरेगा, आईडब्ल्यूएमपी और अन्य वाटरशेड कार्यक्रमों तथा एनआरडीडब्ल्यूपी के तालमेल के जरिए स्रोत स्थायित्व के लिए उपाय।

2) ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित भागीदारीपूर्ण समेकित जल संसाधन प्रबंधन।

3) ग्रामों द्वारा पेयजल सुरक्षा योजनाएं तैयार करना।

4) चुनिंदा ग्रामों को खुले में शौच मुक्त बनाने तथा उचित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना।

राज्यों के साथ परामर्श करने के बाद 10 राज्यों में 15 अतिदोहित ब्लॉकों (सीजीडब्ल्यू की रिपोर्टों के आधार पर चयन किया गया) का पायलट परियोजना ब्लॉकों के रूप में चयन किया गया जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

राष्ट्रीय पेयजल सुरक्षा पायलट परियोजनाओं के अंतर्गत पायलट ब्लॉकों की सूचीः

क्र.सं.	ब्लॉक	जिला	राज्य
1	गोरान्तला	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश
2	मूथेय	नालगौंडा	तेलंगाना
3	पिलेरू	चित्तूर	आंध्र प्रदेश
4	खेरालू	मेहसाणा	गुजरात
5	कैथल	कैथल	हरियाणा
6	मुलबागल	कोलार	कर्नाटक
7	पिपलोडा	रतलाम	मध्य प्रदेश
8	रामपुर बघेलन	सतना	मध्य प्रदेश
9	वरूद	अमरावती	महाराष्ट्र
10	मोरशी	अमरावती	महाराष्ट्र
11	धुरी	संगरूर	पंजाब
12	रायपुर	भीलवाड़ा	राजस्थान
13	मोराप्पुर	धर्मपुरी	तमिलनाडु
14	मौरानीपुर	झांसी	उत्तर प्रदेश
15	बरौली अहीर	आगरा	उत्तर प्रदेश

वित्तपोषण :

ग्राम जल सुरक्षा योजना (वीडब्ल्यूएसपी) को तैयार करने के लिए वित्तपोषण एनआरडीडब्ल्यूपी सहायता निधियों से पूर्ति की जानी है, वीडब्ल्यूएसपी (हार्डवेयर कार्यालय) के कार्यान्वयन की लागत को एनआरडीडब्ल्यूपी के स्थायित्व घटक, एमएनआरआईजीएस तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ तालमेल से पूरा किया जाएगा।

प्रक्रियाविधि :

प्रायोगिक परियोजनाओं में भागीदारी एवं सहक्रियाशील प्रक्रिया में पेयजल सुरक्षा और समग्र स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता है। प्रायोगिक परियोजनाओं का प्रयास जल बजट, मूल्यन, गुणवत्ता एवं मात्रा, एक्वीफर (परिष्करण) प्रबंधन के साथ भंडारण प्रबंधन, मांग पक्ष का प्रबंधन तथा क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सहित जल सुरक्षा और स्वच्छता के विभिन्न आयामों को हल करने पर रहेगा। प्रायोगिक ब्लॉकों के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए सहायता संगठन प्रशिक्षण देने, क्षमता निर्माण करने और ग्राम पंचायतों वीडब्ल्यूएससी और ग्रामीणों को सशक्त करने के लिए निरंतर सहायता देने हेतु जल बजट, ग्राम जल सुरक्षा योजना को तैयार करने तथा ग्राम जल सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके लिए विश्व बैंक के जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम द्वारा तकनीकी सहायता दी जा रही है।

परिकल्पित परिणाम :

- ग्राम जल सुरक्षा योजनाएं विकसित की गईं और प्रायोगिक हाइड्रोलॉजीकल इकाइयों में कार्यान्वित की गईं। अन्य क्षेत्रों के लिए नियोजन दिशानिर्देशों / टेमप्लेट विकसित करने में ग्राम जल सुरक्षा योजनाएं उपयोगी होंगी।
- स्थायित्व योजनाएं विकसित की गईं और उन्हें अभिसारी प्रक्रिया में कार्यान्वित किया जाएगा।
- ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी तथा समुदाय के प्रदर्शन की निगरानी की गई और भूमि एवं सतह जल प्रबंधन और जल गुणवत्ता अनुवीक्षण एवं निगरानी पद्धति का प्रबंध किया गया।
- निवेशों में वास्तविक लागतों, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर सूचना संग्रहित की गई, जिसे पद्धति को बढ़ावा देने और कायम रखने हेतु भावी नियोजन तथा बजट बनाने के प्रयोजनों के लिए एक मानदंड के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है।
- संस्थागत फ्रेमवर्क (भूमिका एवं जिम्मेदारियां) और अभिगम के कार्यान्वयन के लिए अनुबंध;
- एक रेटिंग मॉडयूल, जो उन्नयन के लिए सहायता करेगा;
- उन्नयन के लिए क्षमता सृजित करने हेतु प्रशिक्षण सामग्रियां और प्रशिक्षण योजना

अब तक पूरे किए गए कार्यकलाप :

- दिनांक 9–10 सितम्बर, 2011 को पुणे में कार्यशाला का शुभारंभ
- सचिव, एमडीडब्ल्यूएस की अध्यक्षता में प्रायोगिक ब्लॉकों के कार्यकलापों की समीक्षा करने हेतु दिनांक 17.01.2012 को पहली वीडियो कॉनफ्रेंस का आयोजन

- दिनांक 12.03.2012 को संचालन समिति की बैठक

- भागीदारी भू–जल प्रबंधन में तालमेल पर दिनांक 13.04.2012 को जल संसाधन मंत्रालय के साथ बैठक

- सभी प्रायोगिक ब्लॉकों के लिए जिला कोर समूह स्थापित किए गए हैं जिसमें जिला कलेक्टर एक अध्यक्ष के रूप में जल प्रबंधन, जल गुणवत्ता और स्वच्छता से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं के तालमेल का पर्यवेक्षण करेगा। अनेक संबंधित विभागों द्वाराविभिन्न योजनाओं के तालमेल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने हेतु सभी जिलों में जिला कोर समूह बैठकों का आयोजन किया जाता है।

- प्रायोगिक ब्लॉकों के लिए जीआईएस कार्यकलापों के संबंध में अप्रैल, 2012 में ज्ञान साझा करने हेतु कार्यशाला

- मई, 2012 से नवम्बर, 2013 के दौरान अहमदाबाद, चंढ़ीगड़ और बेंगलौर में राष्ट्रीय समीक्षा कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। प्रायोगिक परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 6 माह की अवधि पर वीडियो कन्फ्रेंसों का भी आयोजन किया गया।

- हैदराबाद और बेंगलौर में जुलाई, 2012 से जनवरी, 2013 के दौरान सहायता संगठनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- पीएचईडी और सहायता संगठन के वैज्ञानिकों को एचजीएम मानचित्रों के उपयोग पर दिनांक 21–23 अगस्त, 2013 के दौरान प्रशिक्षण दिया गया। व्यवहार्यता साइटों की खोज के लिए एचजीएम मानचित्रों का उपयोग लगभग सभी ब्लॉकों में कर लिया गया है।

- सहायता संगठन की नियुक्ति सभी प्रायोगिक ब्लॉकों में पूरी कर ली गई है और ग्राम जल सुरक्षा योजना को सभी प्रायोगिक ब्लॉकों में पूरा कर लिया गया है।

- जल बजट बनाने और सेवा में सुधार लाने हेतु सभी प्रायोगिक ब्लॉकों में एक्सपोजर दौरे किए गए

- डब्ल्यूएसपी की सहायता से जल बजट बनाने सहित सहायता संगठनों के लिए प्रशिक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है।

- सभी ब्लॉकों द्वारा आधार रेखा डाटा संग्रहण करने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

- मापन उपकरण संस्थापित किए गए हैं और सभी राज्यों में (प्रायोगिक ब्लॉक) उनके उपयोग के लिए समुदाय को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

- पूर्ण ब्लॉक के लिए सभी राज्य समस्त ग्राम जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करने के लिए प्रयासरत हैं।

- ग्राम जल सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन की शुरूआत तब की जाएगी जब प्रत्येक राज्य के एसएलएसएससी समिति में उनका अनुमोदन कर दिया जाएगा। दिनांक 23–24 जनवरी, 2015 में इनोवेशन–II के दौरान प्रायोगिक ब्लॉकों की समीक्षा की गई।

- प्रायोगिक ब्लॉकों में स्वच्छता कवरेज को विशेष जोर दिए जाने की जरूरत है और इसलिए प्रत्येक प्रायोगिक ब्लॉक में प्रशिक्षण और जागरूकता केंपों का आयोजन किया जा रहा है।

2.2.9 सहायक गतिविधियां और निगरानी एवं मूल्यांकन ढांचा

- **अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं**

जलगुणवत्ता के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वायत्त–शासी संगठनों, जिनमें गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक एजेंसियां शामिल हैं, को अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए निधियां प्रदान करता है। अब तक 149 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनमें से 127 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। मंत्रालय ने पूरी हो चुकी परियोजनाओं पर दो संकलन प्रकाशित किए हैं तथा राज्यों/पीएचईडी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए इनका व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया है। अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों पर विचार करने और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, मंत्रालय ने एक अनुसंधान एवं विकास सलाहकार समिति (आर एंड डीएसी) का गठन किया है।

- **सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आईईसी)**

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के कार्यान्वयन में सामने आए मुद्दों और चुनौतियों के आधार पर मंत्रालय ने ऑल इण्डिया रेडियो में विज्ञापन जारी किए। इसके अतिरिक्त ऑल इण्डिया रेडियो ने विविध भारती पर ऑडियो स्पॉटों के प्रसारण, प्राथमिक/स्थानीय चैनलों, राष्ट्रीय समाचारों, क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल के विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस वर्ष के दौरान इसी उद्देश्य हेतु राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों ही नेटवर्कों पर दूरदर्शन में विज्ञापनों का प्रसारण शुरू किया गया है।

इसने विभिन्न स्तरों पर विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लिए आईईसी गतिविधियां शुरू करने में राज्यों को सहायता देने हेतु भी आईईसी दिशा–निर्देश बनाए हैं। आईईसी अभियान के एक भाग के रूप में मंत्रालय ने गत वर्ष स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बहुत से राज्य सरकारी/गैर सरकारी संगठनों और जल से संबंधित मुद्दों पर कार्य कर रहे अन्य निजी संगठनों के साथ भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में भाग लिया और स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया।

- **मुख्य संसाधन केन्द्र (केआरसी)**

मंत्रालय ने जल के क्षेत्र में विशेष जानकारी और विशेषज्ञता रखने वाली संस्थाओं/संगठनों को भी चिन्हित किया है और मुख्य राष्ट्रीय संसाधन केंद्रो के रूप में उनका चयन किया है। प्रमुख राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुरक्षा के क्षेत्रगत उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से क्षमता निर्माण, विभिन्न स्टेकहोल्डरों के पुनः अभिमुखीकरण, ज्ञान और जानकारी के प्रचार–प्रसार, उत्कृष्ट विधियों व प्रथाओं को लेखबद्ध करने में लगी हुई प्रमुख संस्थाएं हैं।

केआरसी राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम), संप्रेषण एवं क्षमता विकास इकाई (सीसीडीयू), लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई), गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) और सामुदायिक संगठनों को एनआरडीडब्ल्यूपी कार्यक्रमों के मुद्दों और चुनौतियों के बारे में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय पैठ, अनुभव, विगत कार्यों और ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में संबंधित संस्थाओं/संगठनों की भागीदारी के अच्छे रिकार्ड के आधार पर ही पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय प्रमुख संसाधन केंद्रों को चिन्हित करता है।

कुल मिलाकर, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने 47 मुख्य संसाधन केंद्रो को मान्यता प्रदान की है। इनमें से 38 केआरसी पेयजल के लिए कार्य करते हैं और 8 केआरसी केवल स्वच्छता क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए तथा 10 केआरसी जल एवं स्वच्छता दोनों के लिए कार्य करते हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान केआरसी द्वारा कुल 38 प्रशिक्षण कार्यक्रम और राष्ट्रीय क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

- **केआरसी के लिए प्रतिभा उन्नयन सत्रः**

भारत द्वारा स्वच्छ भारत के प्रयास को सार्थक बनाने, खुले में शौच से मुक्त करने तथा सभी ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस मंत्रालय ने मुख्य संसाधन केंन्द्र (केआरसी) के रूप में उच्च प्रतिष्ठावान संस्थाओं/ गैर–सरकारी संगठनों को नामबद्ध किया था। इन्हें मंत्रालय को प्रशिक्षण देने, मूल्यांकन अध्ययन करने, आईईसी कार्यकलापों और अन्य सहायता संबंधी कार्यकलापों जैसे सॉफ्ट स्किल्स में सहायता देने का कार्य सौंपा गया है, जैसा कि केआरसी के दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है। मंत्रालय द्वारा अगस्त 2014 में एक प्रतिभा–उन्नयन सत्र का आयोजन किया गया था जिसमें समस्त मुख्य संसाधन केन्द्र उपस्थित थे।

बैठक के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे :

I. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की सहायता के तहत केआरसी द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान आरंभ की गई गतिविधियों व कार्यकलापों (प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और सेमिनार) की समीक्षा करना।

II. पेयजल एवं स्वच्छता में नए और नवप्रर्वतनकारी प्रौद्योगिकियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूलों के विकास पर चर्चा करना।

III. क्या स्वच्छ भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने हेतु केआरसी की जिम्मेदारी की परिधि को बढ़ाया जा सकता है।

IV. वर्तमान केआरसी ढांचे तथा उनके कार्यकलापों से संबंधित मुद्दे

- **डब्ल्यूएटीएसएएन अध्ययनों पर राजीव गांधी राष्ट्रीय प्राध्यापक की पीठ**

मंत्रालय ने वर्ष 2012–13 में डब्लूएटीएसएएन अध्ययनों पर चार विश्व विद्यालयों/संस्थानों में राजीव गांधी राष्ट्रीय प्राध्यापक की पीठ का गठन किया। विश्वविद्यालय/संस्थानों का विवरण और उन्हें सुपुर्द किए गए कार्य का विशिष्ट क्षेत्र संबंधी विवरण निम्नवत दिया गया है।

क्र.सं.	संस्थान का नाम	कार्य का विशिष्ट क्षेत्र
1	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	ग्रामीण स्वच्छता एवं अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन
2	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सांइसेज, मुंबई	ग्रामीण घरेलू जल और स्वच्छता के क्षेत्र में शासन और सेवा डिलीवरी संबंधी मुद्दे
3	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रौद्योगिकी विकल्प
4	हाइड्रोलॉजी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	स्रोतों की निरंतरता

स्वच्छ भारत मिशन
(ग्रामीण)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

सुरक्षित स्वच्छता प्रत्येक समाज की भलाई के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। यद्यपि भारत ने अपनी स्वच्छता कवरेज स्थिति में सुधार लाने की दिशा में काफी कार्य किया है, फिर भी यह वांछित स्तरों से काफी पीछे है। ग्रामीण संदर्भों में, सुरक्षित स्वच्छता के अंतर्गत निम्नलिखित घटक आते हैं :

–निजी एवं परिवार स्तर

–मानव मल का सुरक्षित निपटान

– निजी साफ सफाई

– पेयजल का सुरक्षित संचालन

– घरेलू स्वच्छता और खाद्य साफ सफाई

– समुदाय

– अपशिष्ट जल का सुरक्षित निपटान

– ठोस अपशिष्ट

– स्वच्छ पर्यावरण(बिना कूड़ा कचरे के)

– समुदाय शौचालय परिसर का प्रबंधन

स्वच्छता कार्यक्रम में उपरोक्त घटकों को ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। इस चुनौती से निपटने के लिए दिनांक 02 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की नींव रखी गई, जो कि एक समुदाय–अगुवाई और जन–उन्मुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों को उदारता प्रदान कर सुरक्षित स्वच्छता का सार्वभौमिकरण करना है।

3.1 शुभांरभ

माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने एक विशाल जन समूह और बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों की उपस्थिति में दिनांक 02 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (जी) का शुभांरभ किया। उन्होंने स्वच्छता पर एक राष्ट्रव्यापी आन्दोलन खड़ा करने की अपील की और दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु एक शपथ भी दिलवाई।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
का
दिनांक 02 अक्टूबर, 2014 को शुभारंभ

भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने दिनांक 09 जून, 2014 को वर्तमान संसद के पहले संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए अपने पहले संबोधन में कहा –

"हमे अब ऐसे घरों का अपमान नहीं सहना है जिनके पास शौचालय नहीं है और न ही ऐसे सार्वजनिक स्थलों को अपमानित करना है जहां सार्वजनिक तौर पर कूड़ा-कचरा फैंक दिया जाता है। साफसफाई सुनिश्चित करने हेतु पूरे देश में अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन एवं स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत "स्वच्छ भारत मिशन" की नींव रखी जाएगी। यह हमारी राष्ट्र पिता महात्मा गांधी को उनकी वर्ष 2019 में मनाई जाने वाली 150वीं जन्म शताब्दी पर सही श्रंद्धजलि होगी।"

एसबीएम (जी)के तहत सामूहिक व्यवहार में परिवर्तन लाने पर काफी जोर देने वाले समुदाय आधारित और समुदाय संतृप्ति अभिगमों को लागू किया जाएगा। जागरूकता सृजन, व्यवहारगत परिवर्तन और स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग सृजित करने तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन कार्यकलापों पर विशेष बल दिया जाना है। मिशन सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) पर बल देता है और मुख्य ध्यान अंतर निजी सम्प्रेषण पर दिया जाएगा, विशेष रूप से मांग सृजित करने तथा सामाजिक एक व्यवहारगत परिवर्तन संचार तथा घर–घर हस्तक्षेपों के माध्यम से शौचालयों के प्रयोग के लिए। ग्राम पंचायतों में सृजित की गई स्वच्छता सुविधाओं को कायम रखने के लिए ग्राम पंचायतों में जल की उपलब्धता के मुद्दे से निपटने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)योजना में सामूहिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। संशोधित कार्यनीति में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और क्षेत्र स्तरीय कार्यान्वयन कर्ताओं सहित सभी हितधारकों के क्षमता निर्माण के लिए निधियों को अलग से रखा गया है। कार्यक्रम प्रत्येक ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन, एसबीएम (जी) पर विशेष बल देता है और दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करता है।

3.2 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत प्रावधान

- गरीबी रेखा से उपर जीवन यापन करने वाले चिन्हित एपीएल परिवारों (सभी अनूसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों, छोटे एवं सीमांत किसानों, वासभूमि के साथ भूमिहीन श्रमिकों, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों और महिला प्रधान परिवारों) को एकल परिवार शौचालय (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार की 9000 रूपयों की हिस्सेदारी (विशेष श्रेणी के राज्यों के संबंध में 10800 रूपए) और राज्य सरकार की 3000 रूपए की हिस्सेदारी (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 1200) सहित 12000 रूपयों की राशि दी जाएगी।

- समुदाय स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिए वित्तपोषण (2 लाख रूपए प्रति समुदाय स्वच्छता परिसर)। इस वित्तपोषण के लिए हिस्सेदारी पैटर्न 60 : 30 : 10 (क्रमशः केन्द्र : राज्य : समुदाय) है।

- प्रत्येक जिले के लिए आईईसी प्रावधान कुल परियोजना लागत का 8 प्रतिशत होगा,जिसमें से 3 प्रतिशत केन्द्र स्तर पर और 5 प्रतिशत राज्य / जिला स्तरों पर उपयोग किया जाना है। इसके अलावा, निजी अंतर सम्प्रेषण पर विशेश ध्यान देने हेतु स्वच्छता एवं साफ–सफाई संचार कार्यनीति का कार्यान्वयन

- देश में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वित्तपोषण। ग्राम पंचायतों के लिए क्रमशः 7 / 12 / 15 / 20 लाख रूपयों की सीमा लागू होगी जहां 150 / 300 / 500 / और उससे अधिक घर हैं और केंद्र तथा राज्य / ग्राम पंचायत की हिस्सेदारी क्रमशः 75 : 25 के अनुपात में होगी

- प्रत्येक जिले के लिए प्रशासनिक लागत के लिए प्रावधान परियोजना लागत का 2 प्रतिशत होगा, जिसे राज्य और जिला स्तरों पर उपयोग किया जाना है। केन्द्र और राज्य के बीच हिस्सेदारी का पैटर्न 75 : 25 होगा।

- मिशन के तहत पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) क्षेत्र स्तरीय कार्यान्वयन कर्ताओं सहित सभी हितधारकों के क्षमता निर्माण के लिए निधियों का अलग से प्रावधान किया गया है।

3.3 स्वच्छता कवरेज

वर्ष 2011 की जनगणना में यह दर्शाया गया है कि बढ़ती आबादी पर विचार करते हुए ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज 32.70 प्रतिशत हो गई है।

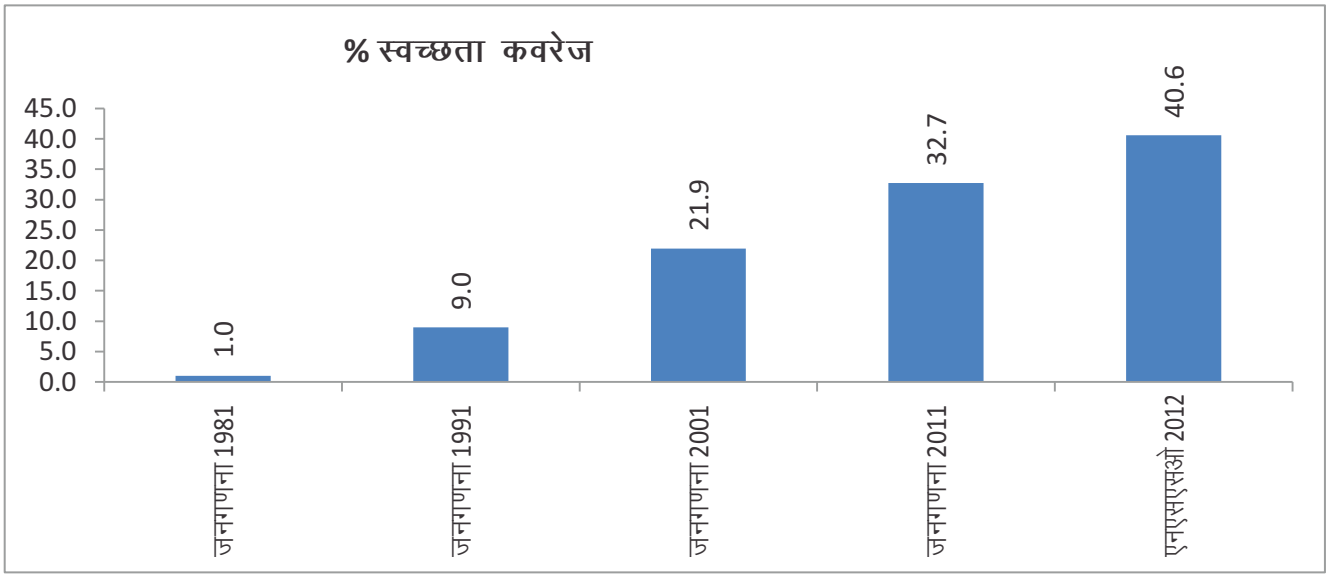

एनएसएसओ–2012 की रिपोर्ट में यह आकलन किया गया है कि 40.6 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हैं।

3.4 वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

एनबीए / एसबीएम (जी) के तहत वर्ष 2013–14 और 2014–15 (दिसम्बर, 2014 तक) आईएचएचएल, स्कूली शौचालयों, आंगनवाड़ी शौचालयों और समुदाय स्वच्छता परिसरों के निर्माण की वार्षिक वास्तविक प्रगति का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है।

(संख्या में)

वर्ष	आईएचएचएल	स्कूल शौचालय*	आंगनवाड़ी शौचालय*	समुदाय परिसर
2013–14	4976294	37696	22318	1530
2014–15 (दिसंबर 2014 तक)	2467587	15704	4779	434

*दिनांक 02 अक्टूबर 2014 को एसबीएम (जी) के शुभारंभ से स्कूल और आंगनवाड़ी शौचालयों का कार्य क्रमशः मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सौंपा गया है।

राज्य–वार ब्यौरा अनुलग्नक–III और IV में दिया गया है।

3.5 वार्षिक प्रगति रिपोर्ट – वित्तीय

एसबीएम (जी)के तहत वर्ष 2013–14 और 2014–15 (दिसम्बर, 2014 तक) के दौरान उपलब्ध निधियों को ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है।

(रूपए करोड़ में)

वर्ष	राज्यों के पास उपलब्ध अथ शेष	एनबीए/ एसबीएम (जी) के तहत उपलब्ध निधियां	उपयोग की गई निधियां		राज्यों के पास कुल उपलब्ध निधियां	राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधियां	वर्ष की समाप्ति पर राज्यों के पास उपलब्ध निधियां
			एमडीडब्ल्यूएस द्वारा	राज्यों को जारी की गई निधियां			
2013–14	2341.79	2300	60.04	2190.28	4532.07	2113.26	2450.52
2014–15 (दिसंबर 2014 तक)	2450.52	2850	85.45	1368.47	3818.99	1022.12	3057.82

राज्य–वार ब्यौरा अनुलग्नक–V एवं VI में दिया गया है।

स्वच्छ भारत कोष

दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में कोरपोरेट क्षेत्रों से तथा व्यक्ति विशेषों से स्वैच्छिक योगदान देने हेतु वित्त मंत्रालय ने स्वच्छ भारत कोष की स्थापना की है। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक शासी परिषद स्थापित की गई है, जिसमें पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय एक स्थायी सदस्य है। कम्पनियों तथा व्यक्ति विशेषों से योगदान एसबीआई के बैंक खाते में प्राप्त किए जाएंगे। कोष में योगदान देने वाले प्रदाताओं को कर लाभ देने हेतु कोष के लिए एक ट्रस्ट स्थापित किया जा रहा है। कोष में प्राप्त योगदानों को निम्नलिखित कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा :–

i. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समुदाय / एकल परिवार शौचालयों, सरकारी विद्यालयों में शौचालयों और आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए वित्त पोषण

ii. खराब एवं जर्जर शौचालयों की मरम्मत और नवीनीकरण

iii. वर्तमान शौचालयों में जलापूर्ति हेतु

iv. निर्मित शौचालयों के रख–रखाव तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन सहित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता एवं सफाई लाने हेतु की गई अन्य पहलों मे सहायता करने हेतु प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

संबंधित मंत्रालय शासी परिषद को परियोजना प्रस्ताव भेजेंगे जिनके लिए कोष से वित्त पोषण दिया जाना है। मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं / कार्यकलापों के वित्त पोषण की व्यवहार्यता का निर्धारण करने तथा अनुमोदन और निधियों को जारी करने के लिए शासी परिषद कम से कम प्रत्येक त्रैमासिक पक्ष में अपनी बैठक करेगी। शासी परिषद मंत्रालयों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी। माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री कार्यक्रम और निधियों के उपयोग का समय–समय पर अनुवीक्षण व समीक्षा करेंगे।

गंगा कार्य योजना (जीएपी)

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने गंगा नदी के आस–पास ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। गंगा नदी के आस–पास कुल 1657 ग्राम पंचायतों की पहचान की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि इन ग्राम पंचायतों को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत प्राथमिकता दी जाए। कुल परियोजना लागत 2354.46 करोड़ रू. है। इसमें से केन्द्र की हिस्सेदारी 1753.23 करोड़ रूपए है। इन ग्राम पंचायतों में एकल परिवार शौचालयों के साथ प्रत्येक परिवार को शामिल करते हुए लक्ष्य तारीख 31.12.2017 है। झारखंड के साहिब गंज जिले की ग्राम पंचायतों को अल्पावधि में खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए विशेष बल दिया गया है।

3.6 वर्ष 2014–15 के दौरान प्रारंभ की गई महत्वपूर्ण गतिविधियां

(i) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) पर कार्यशाला

ग्राम पंचायत स्तर पर एसएलडब्ल्यूएम परियोजना बनाने और उसका कार्यान्वयन करने के संबंध में राज्य की क्षमता को मजबूती प्रदान करने हेतु त्रिवेन्द्रम, गुवहाटी और रांची में तीन क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। राज्यों को ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में दिशानिर्देश परिचालित किए गए हैं।

3.7 पूर्वोत्तर राज्यों में एसबीएम (जी) के कार्यकलाप

पूर्वोत्तर क्षेत्र में निष्पादन

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)के तहत देश के सभी भागों में ग्रामीण आबादी के लिए शौचालयों का प्रावधान किया गया है। तथापि पूर्वोत्तर राज्यों में एकल परिवार शौचालयों के निर्माण को उचित प्राथमिकता दी जानी है। एसबीएम (जी) के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में एकल परिवार शौचालयों के निर्माण के लिए केन्द्र और राज्य की हिस्सेदारी 90 : 10 के अनुपात में है।

वर्ष 2014–15 के लिए पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 285 करोड़ रूपए (2850 करोड़ रूपयों के कुल आवंटन का 10 प्रतिशत) अलग से रखे गए हैं। पूर्वोत्तर राज्य में वर्ष 2014–15 (दिसम्बर, 2014 तक) के लिए वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

वित्तीय

(क) पूर्वोत्तर राज्यों को जारी की संचयी निधियां : एनबीए / एसबीएम (जी) के तहत परियोजना के उद्देश्यों के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दिसम्बर, 2014 तक 971.40 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।

(ख) वर्ष 2013–14 और 2014–15 (दिसंबर 2014 तक) के दौरान जारी की गई निधिया

वर्ष 2013–14 और 2014–15 में राज्यों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(रूपए लाख में)

क. सं.	राज्यों का नाम	2013.14	2014.15 (दिसंबर 2014 तक)
1	अरूणाचल प्रदेश	4180.97	1023.14
2	असम	518.53	0.00
3	मणिपुर	0.00	0.00
4	मेघालय	10303.65	0.00
5	मिजोरम	805.88	0.00

6	नागालैंड	0.00	2087.22
7	सिक्किम	825.06	188.17
8	त्रिपुरा	1401.41	1980.69
	कुल	**18035.50**	**5279.22**

वास्तविक

(क) वास्तविक प्रगति : 2013–14

क्र.सं.	राज्यों का नाम	आईएचएचएल (बीपीएल)	आईएचएचएल (एपीएल)	कुल आईएचएचएल	साफ सफाई परिसर	स्कूल शौचालय	आंगनवाड़ी शौचालय
1	अरूणाचल प्रदेश	13789	644	14433	36	30	148
2	असम	124408	36194	160602	0	633	195
3	मणिपुर	24444	10998	35442	12	0	0
4	मेघालय	22488	6524	29012	18	1678	158
5	मिजोरम	3940	584	4524	14	689	81
6	नागालैंड	20102	0	20102	12	646	283
7	सिक्किम	3389	54	3443	192	166	100
8	त्रिपुरा	5365	712	6077	46	65	871
	कुल	**217925**	**55710**	**273635**	**330**	**3907**	**1836**

(ख) वास्तविक प्रगति : वर्ष 2014–15 (दिसंबर 2014 तक)

क्र.सं.	राज्यों का नाम	आईएचएचएल (बीपीएल)	आईएचएचएल (एपीएल)	कुल आईएचएचएल	साफ सफाई परिसर	स्कूल शौचालय*	आंगनवाड़ी शौचालय*
1	अरूणाचल प्रदेश	3674	665	4339	14	197	61
2	असम	21427	9471	30898	8	68	43
3	मणिपुर	7429	3077	10506	0	0	0
4	मेघालय	9940	5369	15309	25	2053	138

क्र.सं.	राज्यों का नाम	आईएचएचएल (बीपीएल)	आईएचएचएल (एपीएल)	कुल आईएचएचएल	साफ सफाई परिसर	स्कूल शौचालय*	आंगनवाड़ी शौचालय*
5	मिजोरम	157	304	461	1	36	5
6	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
7	सिक्किम	2755	0	2755	27	505	36
8	त्रिपुरा	8530	3275	11805	4	75	757
	कुल	**53912**	**22161**	**76073**	**79**	**2934**	**1040**

* 'एसबीएम (जी) के शुभारंभ के साथ स्कूलों और आंगनवाड़ी शौचालयों के निर्माण का कार्य दिनांक 02 अक्टूबर 2014 को क्रमशः मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सौंपा गया है।

3.8 अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) और जनजातीय उपयोजना (टीएसपी)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का उद्देश्य दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 तक पूरे ग्रामीण भारत में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज पूरा करना है। इसमें पूरे ग्रामीण आबादी के लिए शौचालयों का प्रावधान किया गया है। तथापि, यह दौहराया जाता है कि अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों के लिए स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। अतः अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों के एकल परिवार शौचालयों के निर्माण के लिए मिशन में उचित प्राथमिकता दी गई है। समुदाय शौचालयों के निर्माण हेतु मांग सृजन करने के लिए भी उच्च प्राथमिकता दी गई है ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोग अपेक्षित लाभ प्राप्त कर सकें। एसबीएम (जी) के संशोधित दिशानिर्देशों के तहत दिनांक 01.04.2012 से अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों से संबंधित एपीएल परिवारों के के लिए प्रोत्साहनों के प्रावधानको बढ़ाया गया है।

वर्ष 2011 से एसबीएम (जी) के तहत अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) के लिए कुल आवंटन का 22 प्रतिशत तथा जनजाति उपयोजना (टीएसपी) के लिए 10 प्रतिशत अलग रखा गया है।

वर्ष 2014–15 के लिए अनुसूचित जातियों के लिए 627 करोड़ रूपए (2850 करोड़ रूपयों के कुल आवंटन का 22 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजातियों के लिए 285 करोड़ रूपए (2850 करोड़ रूपयों के कुल आवंटन का 10 प्रतिशत) अलग से रखा गया है। इसमें से एससीएसपी के तहत 342.25 करोड़ रूपए राज्यों को पहले ही जारी कर दिए गए हैं, जबकि दिसम्बर, 2014 तक टीएसपी के तहत 138.81 करोड़ रूपए राज्यों को पहले ही जारी कर दिए हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एसबीएम (जी) के तहत प्राप्त की गई प्रगति की निगरानी ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के माध्यम से भी की जा रही है। वर्ष 2014–15 के दौरान दिसम्बर, 2014 तक कुलनिर्मित 24.67 लाख एकल परिवार शौचालयों में से 5.15 लाख (20.88 प्रतिशत) एकल परिवार शौचालय (आईएचएचएल) अनुसूचित जातियों से और 2.88 लाख (11.68 प्रतिशत) आईएचएचएल अनुसूचित जाति के परिवारों से संबंधित हैं।

3.9 सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण (आईईसी)

सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण (आईईसी) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है जो कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन का आधार तैयार करता है। यह लोगों को जानकारी देने, शिक्षित करने और वार्ता करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है ताकि वे अपनी भूमिकाओं और जिम्मेवारियों एवं उचित स्वच्छता कार्यों से मिलने वाले लाभों को समझ सकें। आईईसी सुरक्षित स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं के लिए व्यवहारगत बदलाव लाने, कारगर मांग सृजित करने, स्वास्थ्य एवं साफ सफाई के लिए सावधानी बरतने तथा संपर्क जोड़ने में अत्यंत अहम भूमिका निभाता है। स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के लिए मांग सृजन में आईईसी की भूमिका सर्वविदित है। स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम को अपनी सफलता तथा निरंतरता को बनाए रखने के लिए सशक्त, जागरूक तथा कुशल हितधारकों (स्टेकहोल्डरों) की आवश्यकता है जो योजना, कार्यान्वयन, प्रचालन, रख–रखाव तथा स्वच्छता संबंधी योजनाओं के प्रबंधन की क्षमता रखते हों।

मिशन के तहत इस घटक को खासा ध्यान दिया गया है क्योकि यह एक ऐसा मुख्य साधन है जो कार्यक्रम के संदेश का संचार करेगा और वांछनीय 'व्यवहारात्मक बदलाव' लाएगा।

हालांकि स्वच्छता योजनाओं हेतु संचार करने के लिएपरम्परागत आईईसी पद्धतियां, जैसे पोस्टर, पम्पलेट्स, दीवारों पर लिखाई आदि अपनाई जा सकती हैं किन्तु उनकी अपील एवं प्रभाव सीमित हैं। बेहतर प्रभाव डालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाए जो समुदायों को भागीदारी पद्धतियों के माध्यम से सशक्त बनाती है और जो समुदाय के सदस्यों में अपने स्वच्छता की स्थिति के संबंध में जागरूकता के साथ निर्णय लेने में उनके दिलों एवं दिमाग में व्यवहारात्मक बदलाव लाने का भाव जगाता है । मास मीडिया के माध्यम से व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए संप्रेषण (बीसीसी) से संबंधित पहल के द्वारा सामुदायिक स्तर पर संचार का सहारा लिया जा सकता है, जिसमें खुले में शौच किए जाने संबंधी सामाजिक और सांस्कृतिक मानदण्डों को बदलने और एक स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है जिससे न केवल व्यवहारगत परिवर्तन आएगा वरन् सर्वाधिक महत्वपर्ण रूप से इससे व्यवहार में आए बदलाव की निरंतरता को बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी।

मंत्रालय के पास एक स्वच्छता, व्यक्तिगत साफ–सफाई एवं संप्रेषण कार्यनीति (एसएचएसीएस) है, जो राज्यों को आईईसी गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए, स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के लिए मांग सृजित करने तथा स्वच्छ वातावरण सृजित करने के लिए एक व्यापक ढ़ाचा उपलब्ध कराती है। प्रत्येक जिला परियोजना परिव्यय का 8%, जिसमें क्षमता संवर्धन के लिए 1% शामिल है, का उपयोग आईईसी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है जिसका उद्देश्य प्रभावपूर्ण मांग का सृजन करना तथा स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का प्रसार करना है। एसएचएसीएस का केन्द्र बिंदु अन्तर कार्मिक संप्रेषण (आईपीसी) पर है जिसपर आईईसी का 60% खर्च किया जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्त दिए गए सिद्धांतों के आधार पर अधिकांश राज्यों ने राज्यवार तथा जिलावार आईईसी कार्य योजना तैयार की हैं।

समर्थनकारी तथा संप्रेषण कार्यनीति स्वच्छता तथा व्यक्तिगत साफ–सफाई के चार निम्नलिखित व्यवहारों पर ध्यान केन्द्रित करती है :

1. शौचालयों का निर्माण एवं उपयोग।

2. बच्चों के मल को सुरक्षित रूप से निपटाना।

3. मल त्याग के बाद एवं खाना खाने से पूर्व तथा बच्चों के मल के निपटान के बाद साबुन से हाथ धोना।

4. पेयजल का सुरक्षित रूप से भंडारण तथा रख–रखाव।

मिशन के भाग के रूप में, सुरक्षित स्वच्छता की आवश्यकता पर टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से पूरे देश में एक व्यापक जन संचार अभियान चलाया गया। दिनांक 25 सितम्बर, 2014 से 31 अक्टूबर, 2014 तक एक स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

3.10 सहायता संगठनों की भूमिका

स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों में क्षेत्र स्तर पर सहायता संगठनों की भूमिका की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के पास एक सहायता संगठन होगा जो उन्हें कार्यक्रम के विभिन्न घटकों पर सहायता देगा। इन संगठनों में गैर–सरकारी संगठन सीएसओपी, स्व–सहायता समूह, संस्थाएं आदि हो सकती हैं। राज्यों सरकारों द्वारा नेहरू युवा केन्द्र, नेशनल सर्विस स्कीम तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों को बड़े पैमाने पर नियुक्त किया जा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन के लिए लोगो और नारा

एक कदम स्वच्छता की ओर

भारत सरकार ने जनता से लोगो डिजाइन करने और नारा देने के लिए सुझाव आंमत्रित किए थे। लोगों से दिनांक 19 सितम्बर, 2014 की मध्य रात्रि तक mygov.in वेबसाइट पर अपनी प्रविष्टियां भेजने का आग्रह किया गया था। लोगो और नारे के लिए क्रमशः 1636 और 5168 मान्य प्रविष्टियां प्राप्त की गई थीं। लोगो और नारे के लिए श्रेष्ठ प्रविष्टियों हेतु क्रमशः 50 हजार और 25 हजार रूपयों के पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री और माननीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 2014 को संयुक्त रूप से लोगो और नारे का शुभांरभ किया गया।

लोगो में 2 अक्षर हैं। हालांकि गांधी जी के चश्मे की शीशों मे लिखे गए 'स्वच्छ भारत' अक्षरों के साथ उनके चश्मे की तस्वीर महाराष्ट्र में कोलहापुर के श्री अनंत खसबरदार की प्रविष्टि से लिया गया है, जबकि **'एक कदम स्वच्छता की ओर'** नारे को गुजरात में राजकोट की सुश्री भाग्यश्री सेठ की प्रविष्टि से लिया गया है। नारे के लिए अन्य अनेक समान प्रकार की प्रविष्टियां भी प्राप्त की गई थीं, परन्तु सुश्री भाग्यश्री सेठ पहली ऐसी महिला (व्यक्ति) थीं जिन्होंने इस नारे का सुझाव दिया था।

स्वच्छ भारत मिशन के लिए लोगो राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के उस सपने का संदेश देता है जिन्होंने एक स्वच्छ भारत की परिकल्पना की थी। लोगो में महात्मा गांधी के चश्मे के शीशे हैं और दोनों शीशों के बीच डंडियों में राष्ट्रीय तीन रंग भरे गए हैं। **'एक कदम स्वच्छता की ओर'** का नारा देश के सभी नागरिकों से अपने ही अंदाज में स्वच्छ भारत की दिशा में योगदान देने की अपील करता है।

सफल गाथा – बीकानेर, राजस्थान 'परिणामों पर केन्द्रित'

स्वच्छता मुहिम के परिणाम प्राप्त करने हेतु बीकानेर के दुर्गम क्षेत्र में एक बांकोबिकानो अभियान चलाया गया जिसमें वहां के समुदाय को शामिल किया गया। कार्यक्रम समुदाय की शान और प्रतिष्ठा आधारित था जिसमें महिलाओं और परिवारों पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार की अन्य पहलों एवं लक्ष्य उन्मुख सरकारी कार्यक्रमों से अलग हटकर, बांकोबिकानो कार्यक्रम पूर्ण रूप से समुदाय–अगुवाई और समुदाय आधारित दृष्टिकोण पर केन्द्रित था। इसका मूल प्रयोजन महिलाओं का गौरव बढ़ाने तथा उनका आत्म सम्मान करने पर था।

शुष्क थार दुर्गम के केन्द्र में स्वच्छता के पारंपरिक दृष्टिकोण के चलते यह माना जा रहा था कि कार्यक्रम पूर्ण रूप से विफल हो जाएगा। पर, जब अप्रैल, 2013 मे कार्यक्रम का शुभांरभ किया गया तो बीकानेर में सरकारी पदाधिकारियों सहित बांकाबिकानों कार्यक्रम ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। सरकार की अन्य पहलों एवं लक्ष्य उन्मुख सरकारी कार्यक्रमों से अलग हटकर, यह कार्यक्रम समुदाय–अगुवाई और समुदाय आधारित दृष्टिकोण पर केन्द्रित था। इसके अलावा, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का गौरव बढ़ाने और उनका आत्म सम्मान करने, गांव की प्रतिष्ठा बढ़ाने, और अंततः जिले की प्रतिष्ठा बढ़ाने पर था। इस प्रकार की सोच और दृष्टिकोण से ग्रामीण बीकानेर की जनता की सोच में बदलाव आया और कार्यक्रम का स्वतः ही प्रसार होने लगा। बीकानेर देश में तीसरा सबसे बड़ा जिला है जिसका क्षेत्रफल 28,466 वर्ग किलोमीटर और आबादी 2,367,745 है। जिले के अंतर्गत 219 ग्राम पंचायतें हैं और यह दुर्गम क्षेत्र के मध्य भाग में स्थित है और गंभीर भारी सूखों तथा खतरनाक जलवायु के प्रति काफी संवेदनशील है।

कार्यक्रम रणबाकुरा पर आधारित था और जिले के गौरव पर बल देते हुए तथा स्थानीय भाषा और स्थानीय संस्कृति का इस्तेमाल करने के कारण क्षेत्र का समुदाय कार्यक्रम से आकर्षित हुआ। कार्यक्रम के तहत समर्पित दौरे, अनुवर्ती कार्रवाईयां और नियमित बैठकों (रात्रि चौपाल, शनिवार के दिन बैठक) आदि सहित हितधारकों का क्षमता निर्माण और गहन प्रशिक्षण एक अभिन्न गतिविध थी। निगरानी कार्यक्रम खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ (समुदायवार) व्यवहारात्मक बदलाव) सृजित करने पर केन्द्रित था बजाय कि 100 प्रतिशत उपयोग पर विशेष बल देने के साथ एकल परिवार शौचालयों के निर्माण पर। ओडीएफ ग्राम पंचायतों को ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) जैसी योजनाओं से सम्मानित और पुरस्कृत किया जाना था। समुदाय जिला संसाधन समूहों (डीआरजी) से काफी आकर्षित हुआ। प्रत्येक गांव / आवास– स्थल के नैसर्गिक नेताओं के द्वारा हर सुबह 'निगरानी' (अर्थात पर्यवेक्षण) की जाती थी। लोगों द्वारा बिना कोई तीसरी पार्टी की सहभागिता किए शौचालयों का स्वयं निर्माण किया। समुदायों को अपने बीच गरीब से गरीब लोगों को सहायता देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ओडीएफ की स्थिति प्राप्त कर लेने के उपरांत ही प्रोत्साहन दिए जाने थे। शौचालय के लिए किसी मानक डिजाइन का अनुसरण नहीं किया गया; बल्कि इसकी प्राथमिकता परिवारों पर ही छोड़ दी गई थी, परन्तु उन्हें कम लागत वाले विकल्पों को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया था। इस प्रक्रिया में महिलाओं और बच्चों ने भी भाग लिया।

3.11 एसबीएम (जी) का अन्य योजनाओं के साथ तालमेल

एसबीएम (जी)के अंतर्गत अब यह संकल्पना की गई है कि स्वच्छ ग्राम बनाने के उद्देश्य से पूर्ण उपलब्धि के लिए सम्पूर्ण समुदाय को कवर करने हेतु स्वच्छता कार्यक्रम अभियान के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। इस नये दृष्टिकोण के अंतर्गत यह स्वीकार किया गया है कि स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के पीछे अनेक आयाम जुड़े हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकीय विकल्पों के साथ स्वच्छता अवसंरचना सृजित करने से लेकर सॉफ्टवेयर क्रियाकलापों यथा, व्यापक आईईसी एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के जरिए शौचालयों के मांग सृजन के लिए समुदायों को प्रोत्साहित करना शामिल है तथा स्वच्छता कायम रखने की निरंतरता सुनिश्चित की गई है।

कार्यक्रम की सफलता के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बीच तालमेल एवं समन्वयन और पीआरआई सदस्यों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, ग्राम जल स्वच्छता समितियों, शिक्षकों, स्वच्छता दूतों, गैर–सरकारी संगठनों, सीएसओ, स्व सहायता समूहों जैसे क्षेत्र स्तरीय पदाधिकारियों की सक्रिय सहभागिता स्वच्छता संबंधी मुद्दो एवं प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

(i) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

सुरक्षित पेयजल, बेहतर स्वच्छता और बाल स्वास्थ्य के उपबंध के बीच एसबीएम के सहयोग पर विचार करते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय केन्द्र और राज्य स्तरों पर अपने कार्यक्रमों के व्यापक अंतर क्षेत्रीय तालमेल के लिए प्रयास कर रहे हैं।

दिनांक 02 अक्टूबर, 2014 को एसबीएम (जी) के शुभांरभ के साथ आंगनवाड़ी शौचालयों का निर्माण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाना है। आईसीडीएस, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका सुरक्षित स्वच्छता और साफ–सफाई के संदेश का प्रसार करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बच्चों और माताओं में अच्छे व्यवहारों को विकसित करना संचार व सम्प्रेषण का एक मुख्य चैनल है जिसका उपयोग किया जाना है।

(ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूली शौचालयों का निर्माण और उनके प्रचालन एवं रख–रखाव के कार्य अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किए जा रहे हैं। दिनांक 25 सितम्बर, 2014 को प्रारंभ, स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ भारत अभियान एक नई पहल है जिसका उद्देश्य लड़कों और लड़कियों के लिए उचित रूप से अलग–अलग शौचालयों के साथ सभी स्कूलों को कवर करना है।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य बेहतर स्वच्छता एवं साफ–सफाई के संदेश के साथ प्रभावी स्वच्छता संदेश वाहकों के रूप में देश में प्रत्येक परिवार तक पहुंच बढ़ाने के लिए स्कूल के शिक्षकों और बच्चों का इस्तेमाल करना है।

सफल गाथा

डिंडोरी मध्य प्रदेश

ओडीएफ गांव बनने की दिशा में सफलता का राज

ईसानपुरा डिंडोरी जनजाति बहुल गांव के अंतर्गत आता है जो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से सटे पूर्वी मध्य प्रदेश के एक पिछड़े जिले में स्थित है। जिले की पालकी ग्राम पंचायत के अंतर्गत तीन गांव आते हैः पालकी, करनपुरा, ईसानपुरा। इस ग्राम पंचायत की कुल आबादी 1,738 है जिसमें 404 परिवार हैं और उनमें 140 बीपीएल परिवार है।

गांव में कार्यक्रम के माध्यम से हस्तक्षेप से पहले, कुल 59 परिवार शौचालय पहले ही निर्मित किए जा चुके थे। वर्श 1996 में ग्राम पंचायत के पास ही एक बांध बनवाया गया था। कृशि मंत्रालय द्वारा अपशिश्ट पदार्थ प्रबंधन के लिए एक नादेप गढ्ढा बनवाया गया था। गांव में कार्यक्रम की शुरूआत से पहले चार राज मिस्त्रीयों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिनमें से आज दो मास्टर प्रशिक्षक हैं। कार्यक्रम में 5 स्वः सहायता समूहों की भी सहभागिता है जिसके 25 लोग सक्रिय सदस्य हैं। प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षण लेने के पश्चात स्वः सहायता समूह के सदस्यों ने अपने घरों में शौचालय बनाने के फैसला किया। गांव में राश्ट्रीय महिला, युवा एवं बाल विकास संस्थान (एनआईडब्ल्यूवाईसीडी) के हस्तक्षेप में अग्र पंक्ति कामगारों (एफएलडब्ल्यू) और स्वः सहायता समूह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे अनेक कार्यकलापों को शामिल किया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लोगों को शौचालयों के निर्माण और उपयोग की महत्ता का अहसास हुआ। इसके परिणामस्वरूप, अब अधिकतर महिलाएं बाहर जाकर खुले में शौच करने से मना करने लगी हैं। फलस्वरूप, अपेक्षित शौचालयों के निर्माण के उपरांत अगस्त, 2014 मे गांव ने स्वयं को ओडीएफ गांव घोशित किया। ईसानपुरा की ओडीएफ की घोषणा के उपरांत ग्राम पंचायत के अन्य गांव, करनपुरा के निवासियों ने भी शौचालयों की मांग करना शुरू कर दिया है।

(iii) ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमआरडी) के साथ तालमेल के क्षेत्र

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) जैसी योजनाओं के साथ तालमेल की पहल की है।

(क) महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

एकल परिवार शौचालयों के लिए वित्तपोषण का तालमेल मनरेगा से अलग कर लिया गया है। तथापि, ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ तालमेल जारी रखा गया है। इन निर्माण कार्यों को जमीनी स्तर पर करने के लिए अकुशल श्रमिकों की जरूरत होती है, जिसके लिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ तालमेल की पहल की जा सकती है।

(ख) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)

इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण आवास उपलब्ध कराना है। आईएवाई मकानों में शौचालयों के निर्माण को स्वच्छता कार्यक्रम, निर्मल भारत अभियान से समर्थन दिया गया है। हालांकि यह फैसला किया गया है कि आईएवाई के प्रावधानों मे संशोधन किया जाएगा और इस कार्यक्रम के तहत शौचालयों के निर्माण के लिए वित्तपोषण एसबीएम ग्रामीण के अंतर्गत तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि आईएवाई में संशोधन नहीं कर लिया जाता ताकि सभी आईएआई मकानों व घरों को शौचालय उपलब्ध कराए जा सकें।

(iv) पंचायती राज मंत्रालय

एसबीएम (जी) के दिशानिर्देशों के तहत शौचालयों के निर्माण और उपयोग के लिए समुदाय को एकजूट करने तथा कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की एक अहम भूमिका है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के समन्वयन में लोगों में जागरूकता लाने तथा उन्हें एकजुट करने के लिए अभियान आयोजित किए। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों में स्वच्छता सर्वेक्षण करने के लिए फॉर्मेट भी डिजाइन किया और पीआरआई के लिए स्वच्छता पर उपयोगी प्रशिक्षण सामग्री का भी प्रकाशन किया।

(v) एनआरडीडब्ल्यूपी के साथ तालमेल

यह स्पष्ट है कि जल की उपलब्धता शौचालय को साफ एवं इस्तेमाल के लायक बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

सुनिश्चित एवं स्थायी जल आपूर्ति उपलब्ध कराने से न केवल शौचालय निर्माण एवं उपयोग में सुविधा मिलेगी बल्कि खाना खाने के पहले और बाद, शौच के बाद हाथ धोने, मकान के भीतर और बाहर सफाई एवं उचित देखभाल करने सहित अच्छी स्वच्छता प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने में सहायक होगी।

इस प्रकार स्वच्छता प्रयोजनों के लिए पर्याप्त जल अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देने पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) और एसबीएम (जी) के बीच तालमेल के जरिए जल एवं स्वच्छता के प्रति सम्मिलित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। ऐसी ग्राम पंचायतों को जहां पर्याप्त जल उपलब्ध है, स्वच्छता अवसंरचना सृजित करने की प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि उन पंचायतों में जहां शौचालयों की अधिक सुविधा है, वहां राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एसबीएम (जी) के अंतर्गत विशिष्ट निर्देश दिया गए हैं कि पेयजल स्रोतों के समीप सफाई व्यवस्था से जुड़ा कोई भी संरचनागत ढ़ांचा न बनाया जाए। इसके अतिरिक्त स्कूलों, आंगनवाड़ी तथा सामुदायिक साफ सफाई परिसरों में जलापूर्ति की व्यवस्था एनआरडीडब्लूपी कार्यक्रम के घटक के अंतर्गत करनी होगी।

मानव मल से सृजित खाना पकाने की गैस का 100 प्रतिशत उपयोग

महाराष्ट्र के गन्ना क्षेत्र में स्थित कोलहापुर जिले के करवीर ब्लॉक में सेलकावाड़ी ग्राम पंचायत के सभी 72 परिवार खाना पकाने के लिए अपने घरेलू गैस की मांग की पूर्ति मिथेन (खाना पकाने की गैस) के उत्पादन से करते हैं। इसे संबंधित परिवारों के सदस्यों के द्वारा सृजित एवं निष्कर्षित मानव मल का उपयोग कर तथा शौचालय आधारित बायोगैस संयंत्रों को स्थापित कर उत्पादित किया जाता है। बायोगैस संयंत्र के उपोत्पाद के रूप में उत्पादित कचरे को कृषि फसलों के लिए जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्योकि इसमें उच्च पोषण तत्व होता है और इसे मृदा में भौतिक कंडीशनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

दिनांक 02 अक्टूबर, 2005 को ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों ने ग्राम सभा की बैठक में भाग लिया और आम सहमति से हमेशा के लिए खुले में शौच न करने का फैसला लिया। ब्लॉक स्तर के पंचायत अधिकारी ने ग्राम सभा को संबोधित किया और उन्हें खुले में शौच करने के विरूद्ध ''सामाजिक मानदंड'' के लिए सामूहिक रूप से एक संकल्प करने तथा एकल परिवार शौचालयों के निर्माण और इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया।

टिकाऊ शौचालयों के निर्माण में आई अगली चुनौती थी अधिकतर घरों में वित्तीय संसाधनों का अभाव। इसके

अतिरिक्त, बीपीएल परिवारों के लिए अलग से रखी गई प्रोत्साहन राशि दीर्घकालिक प्रक्रियां में शौचालयों के निर्माण, रख–रखाव और उपयोग के लिए काफी कम थी, हालांकि इसके लिए एक ''अति आवश्यकता'' व्यक्त की गई थी।

ग्रामवासियों ने एक कदम आगे बढ़कर न केवल टिकाऊ एवं स्थायी शौचालयों के निर्माण करने का फैसला किया, बल्कि एक शौचालय आधारित बायो गैस संयंत्र स्थापित करने का निर्णय भी लिया ताकि मानव मल को न केवल शौचालय के गढ्ढों में सुरक्षित रूप से रखा और निपटाया जा सके, अपितु शौचालय को बायोगैस संयंत्र से जोड़कर खाना पकाने की गैस के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। शौचालय आधारित बायोगैस संयंत्र के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के तहत उपलब्ध सब्सिडी राशि का भी उपयोग किया जा सकता है। एकल परिवारों के लिए निधियों की आवश्यकता प्रत्येक परिवार के संसाधन और क्षमता की उपलब्धता के आधार पर 10,000 रूपयों से लेकर 14,000 रूपयों तक थी। सभी 72 परिवारों ने अपने संबंधित घरों में शौचालय आधारित बायोगैस संयंत्र स्थापित किया। सामूहिक निर्णय का अति महत्वपूर्ण पहलू यह था कि वह खाना पकाने के लिए मानव मल से उत्पादित बायोगैस का उपयोग करने में सक्षम हुए। प्रत्येक परिवार अब बायो डायजेस्टर की सहायता से अपेक्षित मात्रा में मिथेन (खाना पकाने की गैस) की मात्रा का उत्पादन करता है। सभी परिवारों ने अपना बैंक ऋण भी चुका दिया है।

3.12 एसबीएम (जी) के तहत निगरानी एवं मूल्यांकन (एम एवं ई)

3.12.1 पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने निधियों के उपयोग, आवधिक प्रगति रिपोर्टों, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, क्षेत्र अधिकारियों की योजना, जिला स्तरीय निगरानी एवं सतर्कता तथा राज्य / जिला स्तरों पर निगरानी समितियों के माध्यम से निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रभाव की निगरानी के लिए एक व्यापक प्रणाली विकसित की है। इसके अलावा, राज्यों को (i) योजनाओं के बारे में जागरूकता सृजित करने (ii) पारदर्शिता लाने (iii) जनता की भागीदारी करने (iv) जवाबदेही / सामाजिक लेखा परीक्षा करने (v) सभी स्तरों पर सख्त निगरानी एवं सतर्कता करने समेत एक पांच चरणीय कार्यनीति लागू करने की सलाह दी गई है। इन उपायों से ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत निधियों का अधिकतम उपयोग करने में सहायता मिलेगी। क्षेत्र स्तर पर निष्पादनों की निगरानी करने, सही सलाह प्रदान करने तथा श्रेष्ठ विधियों व प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एक रैपिड एक्शन लर्निंग इकाई भी स्थापित की जा रही है।

3.12.2 एसबीएम (जी) और एनजीपी के लिए अलग–अलग व्यापक वेब आधारित ऑनलाइन निगरानी प्रणालियां स्थापित की गई हैं। आधार रेखा सर्वेक्षण से प्राप्त परिवार स्तरीय डाटा की प्रविष्टि के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली को मजबूती प्रदान की जा रही है। स्वच्छता कवरेज की परिवार स्तर की निगरानी करने तथा पारदर्शिता लाने के लिए यह एक नया प्रयास किया गया है। इसके अलावा, आधुनिक आईटी साधनों के साथ कदम मिलाते हुए प्रत्येक जिले के राज्य सचिवों और एसबीएम (जी) के समन्वयकों को निर्धारित तारीखों तक वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति सूचित करने के लिए चिन्हित तारीखों पर स्वःचालित अनुस्मारक भेजने के लिए व्यवस्था उपलब्ध की गई है। राज्य सचिवों और क्षेत्र पदाधिकारियों को एसएमएस भेजने तथा ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के माध्यम से सामूहिक संदेश भेजने की व्यवस्था की गई है।

3.12.3 विभिन्न लाभार्थियों से संचार करने हेतु एक ऑनलाइन स्वःचालित एसएमएस प्रणाली तथा एक ऑनलाइन शिकायत निपटान प्रणाली भी स्थापित की गई है।

3.12.4 सभी राज्यों में योजनाओं के कार्यान्वयन की वास्तविक एवं वित्तीय समीक्षा करने हेतु आवधिक समीक्षा व बैठकों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा, एसबीएम (जी) की प्रगति समीक्षा करने तथा वास्तविक एवं वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यथासंभव अपेक्षित उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने हेतु नियमित रूप से वीडियो कन्फ्रेंसिग का भी आयोजन किया जाता है।

3.12.5 योजनाओं के कार्यान्वयन को गति प्रदान करने के लिए अधिकारी ऐसे राज्यों का दौरा करते हैं जो योजनाओं के कार्यान्वयन में पीछे रहते हैं ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजना के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए भी क्षेत्र दौरे किए जाते हैं।

3.12.6 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा स्वच्छ भारत की निगरानी : स्वच्छ भारत के निगरानी कार्यकलापों को मंत्रालय द्वारा अपने वेब आधारित सामूहिक निगरानी प्रणाली तथा बाह्य एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। एनएसएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में बाह्य निगरानी करने के लिए अपनी सहमति जताई है। इस कार्यप्रणाली से स्वच्छता की स्थिति का राज्य–वार आकलन उपलब्ध होगा। शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रम की कवरेज और उपयोग का निर्धारण करने के लिए एनएसएसओ, नेहरू युवा केन्द्र, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) ने एक साथ काम करने की सहमति बनाई है। एनएसएसओ द्वारा किए गए आकलन कार्यक्रम की प्रगति और सफलता पर राज्य स्तरीय तस्वीर उपलब्ध करेंगे।

3.13 मानव संसाधन विकास (एचआरडी)

संशोधित कार्यनीति के तहत पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) तथा क्षेत्र स्तरीय कार्यान्वयन कर्ताओं सहित हितधारकों के क्षमता निर्माण के लिए जिले के परिव्यय की एक प्रतिशत राशि अलग से रखी गई है। स्वच्छता प्रोन्नयन के विभिन्न आयामों की दिशा में पीआरआई, एनजीओ, स्कूली शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, राज मिस्त्रियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अभियंताओं, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय प्रबंधकों जैसे विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है। ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन पदार्थ सहित प्रमुख स्वच्छता मुद्दों पर क्षमता निर्माण कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। क्षमता निर्माण की प्रक्रिया में गति लाने के लिए नए प्रमुख संसाधन केन्द्रों को चिन्हित किया गया है जो आईईसी अभियानों तथा अन्य कार्यक्रम संबंधित मुद्दों पर ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। विभाग की सहायता से गैर–सरकारी संगठनों और सीबीओ को क्षमता निर्माण के कार्य में शामिल किया गया है। यूनिसेफ और डब्ल्यूएसपी मंत्रालय के संयोजन में समानांतर शिक्षण एवं अंतर्राष्ट्रीय लर्निंग आदान–प्रदान कार्यक्रमों का भी संचालन कर रहे हैं।

3.14 अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)

स्वच्छता के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में वृद्धि लाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एनजीओ सहित अनुसंधान संगठनों को 100% वित्त–पोषण किया जाता है। स्वच्छता के लिए अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए सचिव (डीडब्लूएस) की अध्यक्षता में अनुसंधान सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

स्वच्छता में अनुसंधान और विकास के प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- प्रौद्योगिकी से संबंधित, जो कि विशेषकर उत्पाद/डिजाइन, मल–त्याग, अपघटन, लीच पिट प्रौद्योगिकी से संबंधित रखरखाव और निर्माण अथवा मौजूदा स्थापित सैप्टिक टैंक प्रौद्योगिकी, ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्धन, इको सैन आदि में स्वच्छता प्रौद्योगिकी हैं।

- कार्यक्रम से संबंधित : स्वच्छता कार्यक्रम के त्वरित और निरंतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आयोजना, सम्प्रेषण, निगरानी, स्वच्छता कार्यक्रम के वित्तपोषण में नवोन्मेषी उपाय।

- अध्ययन, जिसमें प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, स्वच्छता में प्रभाव अध्ययनों की शुरूआत करना, भस्मकों जैसी प्रौद्योगिकियों सहित एमएचएम पर अध्ययन सम्मिलित हैं।

- पर्यावरण अनुकूल स्व–निरन्तरता स्वच्छता प्रणाली का डिजाइन एवं कार्यान्वयन–इसमें उन्नत लीच किटों का डिजाइन, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) के लिए अन्य तकनीकी विकल्प, स्वास्थ्यकर ग्रामीण शौचालय, पारिस्थितिक (इकोलोजिकल) स्वच्छता आदि सम्मिलित हो सकते हैं।

- बच्चों, विकलांग व्यक्तियों, प्रस्तावित लागत प्रभावों सहित आपातकालीन स्थितियों के लिए उन्नत/किफायती शौचालय डिजाइन।

- अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्धन सहित उन्नत मितव्ययी समुदाय/संस्थागत स्वच्छता प्रणाली।

- जल तालिका, चट्टानी, बाढ़ संभावित, जल की विरलता और अत्यधिक कम तापमान वाले क्षेत्रों जैसी विभिन्न जल भू वैज्ञानिक (हाइड्रोज्यूलिजिकल) और भू भौतिकी (जिओफिजिकल) परिस्थितियों में स्वच्छता के माडलों की प्रभावशीलता।

- व्यावहारिक परिवर्तन लाने के तरीके और सतत स्वच्छता प्रौद्योगिकियों की जानकारी एवं प्रचार–प्रसार।

- शून्य उत्सर्जन/अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्धन प्रणाली जिसमें समुदायों को सम्मिलित किया गया हो।

- ग्रामीण गांवों में तरल अपशिष्ट–पदार्थ के प्रबन्धन के लिए सतत प्रौद्योगिकी एवं प्रणाली।

- सतत प्रौद्योगिकियों, जिनमें संसाधन का संभावित पुनः प्रापण और अपशिष्ट पदार्थों का सुरक्षित पुनरूपयोग तथा समुदाय के लिए नियोजन की संभावनाएँ शामिल हैं, को वरीयता दी जाएगी।

- जल, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, बायोगैस उत्पादन के साथ तालमेल स्थापित करना और गड्ढेदार (पिट) शौचालयों के जरिए बैक्टीरिया और अन्य संदूषकों का मृदा में संचलन।

समीक्षा बैठकें / महत्वपूर्ण सम्मेलन प्रदर्शनियां

समीक्षा बैठकें / महत्वपूर्ण सम्मेलन प्रदर्शनियां

4.1 राज्य मंत्रियों और सचिवों के साथ समीक्षा बैठक सम्मेलन

राष्ट्रीय पेयजल जल आपूर्ति (एनआरडीडब्ल्यूपी) और निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के कार्यान्वयन में अब तक की गई प्रगति की समीक्षा करने, उपलब्धियों का प्रसार करने, कार्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रौद्योगिकी दोनों के आधार पर नवोन्मेषी श्रेष्ठ विधियों एवं स्वच्छता मॉडलों को साझा करने तथा सभी ग्रामीण क्षेत्रों में संधारणीय व टिकाऊ स्वच्छता सुविधाओं के प्रावधान को पूरा करने हेतु कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने के लिए सतत कार्रवाई करने के उद्देश्य से दिनांक 25 अगस्त, 2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राज्य मंत्रियों और ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता प्रभारी सचिवों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया।

माननीय मंत्री (एमआरडी), श्री नीतिन गड़करी ने स्वच्छ भारत की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि विचाराधीन नीति में जमीनी स्तर की वास्तविकताओं को सुमार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता और जवाबदेही पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और उनकी लेखा परीक्षा भी की जानी चाहिए। माननीय मंत्री ने कहा कि हमारे सभी कार्यों में और अधिक पारदर्शिता लाने की जरूरत है।

अपने संबोधन में सचिव (डीडब्ल्यूएस) ने कहा कि माननीय प्रधान मंत्री की स्वच्छ भारत की कटिबद्धता वर्ष 2019 तक पूरी की जानी है। उन्होनें कहा कि हमारे समक्ष मुख्य मुद्दा यह है कि इस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए? उन्होंने यह भी कहा कि इस दिशा में किस प्रकार की प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जाना है और किस प्रकार व्यवहारात्मक बदलाव लाया जा सकता है? उन्होंने कहा कि कार्यशाला के आयोजन से स्वच्छ भारत के उद्देश्य को पूरा करने हेतु कार्यनीतियां बनाने में सहायता मिलनी चाहिए। सचिव महोदय ने यह दोहराया कि माननीय प्रधान मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि दिनांक 15 अगस्त, 2015 तक सभी स्कूलों के पास लड़कों और लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालय होंगे।

Ministry of Drinking Water and Sanitation
राज्य मंत्रियों के साथ
ग्रामीण स्वच्छता और पेयजल
योजनाओं की राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा
" स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत "
25 अगस्त, 2014
विज्ञान भवन, नई दिल्ली
National Review of
Rural Sanitation and Drinking Water
Schemes with State Ministers
" SWACHH BHARAT, SWASTH BHARAT "
25th August, 2014
Vigyan Bhawan, New Delhi
SATYABRATA SAHU
PANKAJ JAIN

स्वस्थ भारत "
2014

इसी तरह से, श्री बीरेन्द्र सिंह, माननीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 22 जनवरी, 2015 को इस मंत्रालय की (एनआरडीडब्ल्यूपी और एसबीएम (जी) योजनाओं के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा करने के लिए विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दूसरी समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।

4.2 ''सृजन भारती'' – इण्डोवेशन

इण्डोवेशन 2014 और इण्डोवेशन 2015 :

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार ने विश्व बैंक के जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम की सहायता से नई दिल्ली में अगस्त, 2014 और जनवरी, 2015 में पेयजल एवं स्वच्छता पर राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी की सहायता की थी। इन दोनों प्रदर्शनियों का आयोजन जल एवं स्वच्छता क्षेत्रों में उपलब्ध ग्रामीण अभिनव प्रौद्योगिकियों को दर्शाने के उद्देश्य से किया गया था। इण्डोवेशन–I (2014) (अगस्त 26 तथा 27, 2014) समारोह का उद्घाटन श्री नितिन गडकरी, पूर्व पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री द्वारा किया गया था।

इसी प्रकार से, इण्डोवेशन–II (जनवरी, 2015) (जनवरी 23 तथा 24, 2015) समारोह का आयोजन इस मंत्रालय द्वारा किया गया था जिसका उद्घाटन श्री सुदर्शन भगत, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा किया गया था।

निडिल 2015 : स्वच्छता पर संचार सम्मेलन

निडिल 2015 : स्वच्छता पर संचार सम्मेलन विश्व बैंक समूह और बीबीसी मीडिया एक्शन के बीच भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के बीच एक सहयोग है। इस सहयोग का प्रयोजन भारत में खुले में शौच करने की परंपरा को रोकने के लिए सामाजिक एवं व्यवहारात्मक परिवर्तन संचार पर सर्चलाइट (एसबीसीसी) के संबंध में रोशनी डालना था। दिनांक 04 और 05 फरवरी, 2015 को आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में एसबीसीसी की यह सुनिश्चिता करने में महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया गया कि भारत में लोग शौचालयों का निर्माण करें तथा उनका इस्तेमाल करें। सम्मेलन में विचारों का आदान–प्रदान किया गया और अनेक विषयों की दृष्टि से प्रवृत्तियों की खोज की गई कि वह किस प्रकार भारत के स्वच्छता संचार कार्यक्रमों में सहायता कर सकते हैं।

निडिल 2015 का लक्ष्य जल, स्वच्छता और साफ–सफाई (वाश) संचार पर एक राष्ट्रीय बहु क्षेत्रबद्ध विचारक – मंडल (थिंक टैंक) की स्थापना में सुविधा प्रदान करना था, जो राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय सफाई संचार रणनीतियों के कार्यान्वयन में मार्गदर्शन दे सकता है।

निडिल 2015 में सरकार, सिविल सोसायटी (दान देने वाले और एनजीओ), शिक्षाविद, कारपोरेट, मीडिया तथा देश में नवोन्मेषक (इनोवेटर) विकास के लिए संचार की शक्ति के बारे में चर्चा करने एक साथ आए। सम्मेलन में अंतर–क्षेत्रबद्ध संपर्कों और सहक्रियाओं की खोज की गई और इन विविध हितधारकों और विचारकों को एक मंच पर लाकर उन पर चर्चा की गई। इसमें मुख्य अंतर्दृष्टियों, बाधाओं एवं प्रोत्साहकों, सफलता के संकेतकों तथा विचारों पर जोर दिया गया, जो संचार निवेष पर आनुपातिक से भी अधिक प्रतिफल उपलब्ध करा सकें और शौचालय उपयोग से संबंधित संधारणीय व्यवहारात्मक परिवर्तन की अगुवाई कर सकें। सम्मेलन में मानव केन्द्रित नवोन्मेषन तथा विविध अनुशासनों / विषयों से संबोधित विचारों को साझा करने के लिए एक प्लेटफार्म भी सृजित किया गया, जो पूरे देश में स्वच्छता व्यवहारों को एक दिशा देने में सहायता कर सके।

निडिल 2015 का प्रारंभ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव, भारत सरकार सुश्री विजय लक्ष्मी जोशी के की–नोट के साथ हुआ। उन्होंने यह टिप्पणी की कि भारत सरकार खुले में शौच की परंपरा को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है और स्वच्छ भारत अभियान के संचार दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य ध्यान आपूर्ति की दिशा (शौचालयों का निर्माण, शौचालयों के निर्माण के लिए श्रमिक आदि) तथा मांग की दिशा (शौचालयों का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु व्यवहार और मानसिक सोच में बदलाव लाने के जरूरत) पर दिया जा रहा है। उन्होने यह उम्मीद जताई की निडिल 2015 वर्ष 2019 तक खुले में शौच नहीं करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी को अभिप्रेरित करेगा। उन्होंने सामाजिक मानदंडों, सांस्कृतिक बाधाओं और सीमाओं को लांघकर वांछनीय शौचालयों के निर्माण पर विशेष बल देने की आवश्यकता के बारे में चर्चा की। उन्होंने श्रोताओं (उपस्थित लोगों) से स्वच्छता के लिए संचार के प्रभाव में तेजी लाने हेतु अपेक्षित निवेशों की प्रकृति, क्षमता निर्माण की आवश्यकता, सामाजिक मीडिया के उपयोग तथा भागीदारी मॉडलों के माध्यम से कार्य करने के संभावित प्रभाव के बारे में सोचने के लिए कहा। उन्होंने एक नागरिक आंदोलन खड़ा करने, एक संचार रणनीति बनाने के लिए आवश्यकता पर बल देते हुए अपना की–नोट संबोधन समाप्त किया जिसमें उन्होंने पुरूषों तथा महिलाओं दोनों की ओर इशारा किया और स्वच्छता पर संचार के लिए एक 'विचारक मंडल' के बजाए एक 'डू टेंक' (कर्मकारक विचारक) की स्थापना पर जोर दिया।

4.3 समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस)

मंत्रालय की समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) 2004, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित और प्रबंधन किया जाता है, पिछले 5 वर्षों की अवधि में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन, गांवों से जल गुणवत्ता डाटा तथा प्रयोगशाला परीक्षण के संबंध में एक रिपोजिटरी (भंडार) बन गई है। राज्यों द्वारा डाटा को जिला और राज्य स्तरों पर ऑनलाइन प्रविष्ट किया जाता है। इस वर्ष से राज्यों को मंडल स्तर पर डाटा प्रविष्ट करने की सुविधा प्रदान की गई है। राज्य प्रत्येक माह के लिए अगले माह की 15 तारीख तक ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति के संबंध में अपनी मासिक प्रगति रिपोर्टों (एमपीआर) को प्रविष्ट करते हैं। राज्यों से कागज आधारित रिपोर्टें नहीं ली जाती हैं और एमआईएस में पूरे देश में 16–64 लाख से भी अधिक ग्रामीण आवास–स्थलों के लिए जलापूर्ति संबंधी डाटा उपलब्ध हैं, जो कि मंत्रालय की वेबसाइट से मुफ्त में हासिल व देखा जा सकता है। लक्षित आवास–स्थलों की ऑनलाइन निगरानी की प्रक्रिया को आईएमआईएस के माध्यम से वर्ष 2009–10 से सुव्यवस्थित किया गया है। वर्तमान निगरानी प्रणाली के द्वारा इन कार्यक्रमों के प्रभाव को आवास–स्थलों की कवरेज स्थिति पर निर्धारण किया जा सकता है। समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) मंत्रालय की वेबसाइट (http://www.ddws.) के ऑनलाइन निगरानी पृष्ठ में उपलब्ध कराई गई है।

समेकित प्रबंधन सूचना डाइग्राम प्रणाली एक पूर्ण वेब आधारित सूचना प्रणाली है, जो राज्यों और केन्द्र को एक सामान्य निगरानी फार्मेट के माध्यम से आवास–स्थलों और ग्रामीण विद्यालयों तथा आंगनवाड़ी की प्रगति निगरानी करने में सहायता करती है। इसके अलावा, आईएमआईएस सुरक्षित पेयजल के साथ कवरेज की परिधि को देखने में भी सहायता करती है। यह प्रणाली गुणवत्ता प्रभावित आवास–स्थलों की सूची तथा आंशिक रूप से कवर किए गए आवास–स्थलों की सूची भी उपलब्ध करती है। देश के सभी गांवों में सरकारी और स्थानीय निकाय सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा आंगनवाड़ी विद्यालयों की सूची को उपलब्ध सुविधाओं (पेयजल एवं स्वच्छता) के साथ अभिग्रहित किया गया है। कार्यक्रम की निगरानी में बेहतर सटीकता लाने हेतु आवास–स्थलों की कवरेज पर डाटा प्राप्त किया गया है। इस डाटा में ऐसे आवास–स्थल शामिल हैं जहां पीने का पानी उपलब्ध है और जिनका डाटा सेन्सस विलेज कोड के साथ संबद्ध किया गया है। सभी राज्य ऑनलाइन डाटा प्रणाली में प्रगति संबंधी डाटा उपलब्ध करा रहे हैं। आईएमएस प्रणाली का प्रयोग करते हुए, मंत्रालय एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन में सभी राज्यों की प्रगति की निगरानी करता है। राज्यों द्वारा आईएमआईएस पर प्रस्तुत किए गए डाटा के आधार पर उन्हें प्रतिपुष्टि और सलाह दी जाती है। आईएमएस एक उत्कृष्ट डाटा के बेस के रूप में विकसित हो रहा है जो देश में प्रत्येक आवास स्थल को कवर करते हुए ग्रामीण पेयजल स्थिति की सूचना उपलब्ध कराता है। यह नियोजन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है।

4.4 नई पहलें

1. मंत्रालय के वेब पेज में पेयजल और स्वच्छता के संबंध में नवोन्मेषी प्रोद्योगिकियों को अपलोड करने के लिए नवन्मेषकों / सूचना उपलब्ध कराने वाली कंपनियों / सभी हितधारकों के लाभार्थ इनोवेशन फोरम पेज सृजित किया गया है।

Ministry of Drinking Water & Sanitation

LIST OF INNOVATION/ R&D AND OTHER TECHNOLOGIES | PUBLISH YOUR INNOVATION AND OTHER TECHNOLOGIES | Innovation Forum | Print

Search

All | Traditional Technologies/Innovation | Other Technologies/Innovation

All | Sanitation related | Water related

LIST OF INNOVATION/ R&D AND OTHER TECHNOLOGIES

Disclaimer : This site aims to provide a platform to individuals / companies to showcase innovations for general use. All innovations available on this site are owned by the individual / company solely and is not endorsed by the Ministry of Drinking Water and Sanitation

Booklet on inndovation 2015

S. No.	Product Thumbnail	Product Name	Product Description	Detail of Organization	Contact Detail
1		Solar Water Filteration (Category : Water related)	Now days most of the time ground water may be not good for drinking purpose so we have developed the innovative filtration system for drinking water.Which is operated by solar Energy.	Url: http://www.spanpumpsindia.com Document: -- Presentation: Download MP3: -- Video: http://www.youtube.com/watch?v=6y60UwWrRQ	Name : Pritam Bhandari Mobile : 9881495960 Email : pritam@spanpump.com
2		Solar Dual Pump (Category : Water related)	The Solar Dual Pump is an innovative pump devised to utilize the power of the sun during the day and act as a normal hand pump when the sun is not available. hence assuring uninterrupted water supply. thus eliminating the need of batteries resulting in low cost and no maintenance hassles.	Url: http://www.spanpumpsindia.com Document: -- Presentation: Download MP3: -- Video: http://www.youtube.com/watch?v=DnDiVax0CU8	Name : Pritam Bhandari Mobile : 9881495960 Email : pritam@spanpump.com

Ministry Of Drinking Water & Sanitation

Write to Secretary | Interact with Hon'ble PM

Write to Secretary

User Detail -

Name: | Designation:

Mobile (10 Digit): | E-Mail:

Official Address:(Max 256 Character)

Feedback:(Max 512 Character)

Attachment:(Max 1MB) Choose File No file chosen

Type the characters you see in the picture below. BCPJJPI

Send

2. नागरिकों को मंत्रालय के मंत्री और सचिव से सीधे संपर्क करने में सहायता करने के लिए मंत्रालय के वेब पेज में सचिव से बात करने हेतु एक लिंक सृजित किया गया है।

3. मंत्रालय में ई–कार्यान्वयन प्रभावी किया गया है, जिसके फलस्वरूप मंत्रालय में प्रत्येक कागज का लेखा जोखा सुनिश्चित किया जाता है। मंत्रालय में और ज्यादा पारदर्शिता लाई गई है।

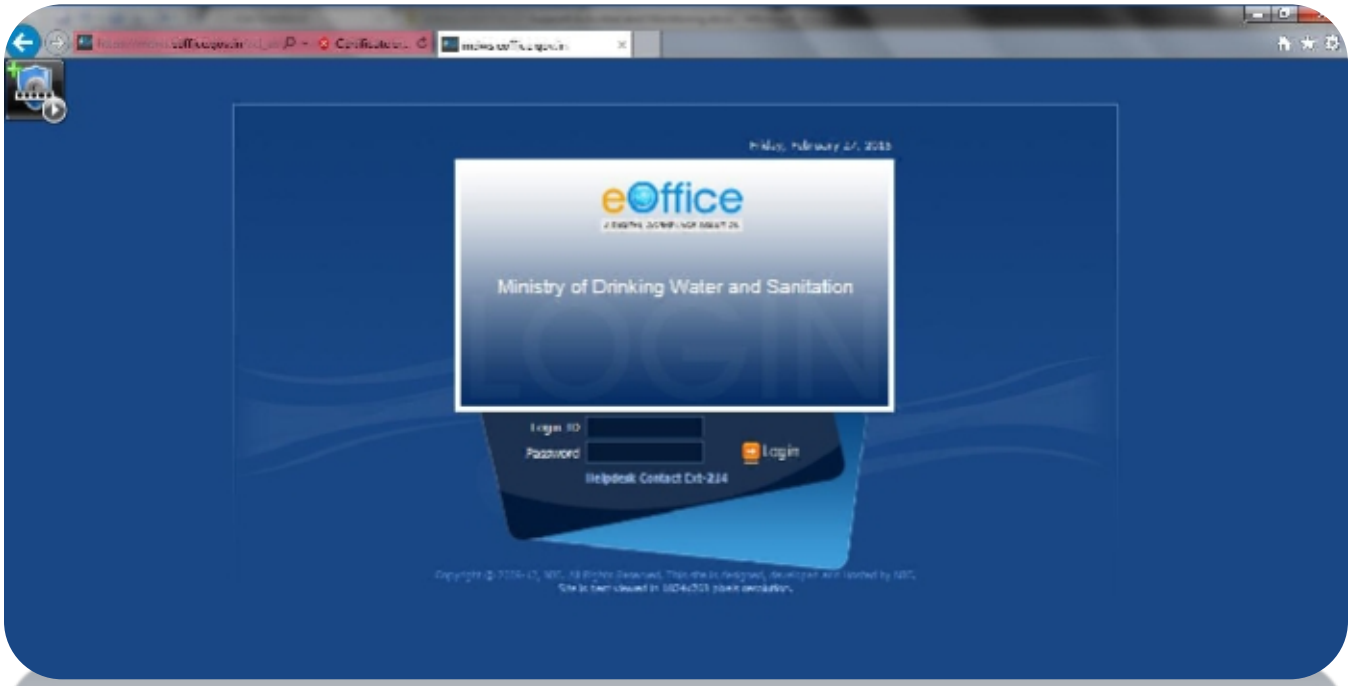

4. राज्य सरकारों के साथ नजदीकी अनुवर्तन और निगरानी / मूल्यांकन प्रयोजनों हेतु नियमित रूप से वीडियो कन्फ्रेंसिंग की जाती है।

5. जल / जलगुणत्ता से संबंधित शिकायतों हेतु सभी लाभार्थियों के लिए विभिन्न राज्यों के परिप्रेक्ष्य में जल हैल्प लाइन न. उपलब्ध किए गए हैं। उदाहारण के लिए, पंजाब राज्य के लिए हैल्प न. 1800–180–2468 है।

6. भारत सरकार के प्लेटफार्म mygov.in का प्रयोग करते हुए जन समूह से प्रविष्टियां आमंत्रित करके स्वच्छ भारत मिशन के लिए लोगो और टैग को अंतिम रूप दिया गया है।

7. भारत सरकार के प्लेटफार्म तथा mygov.in एसबीएम (जी) वैब पेज पर भी स्वच्छ भारत पर ऑन लाइन शपथ उपलब्ध है।

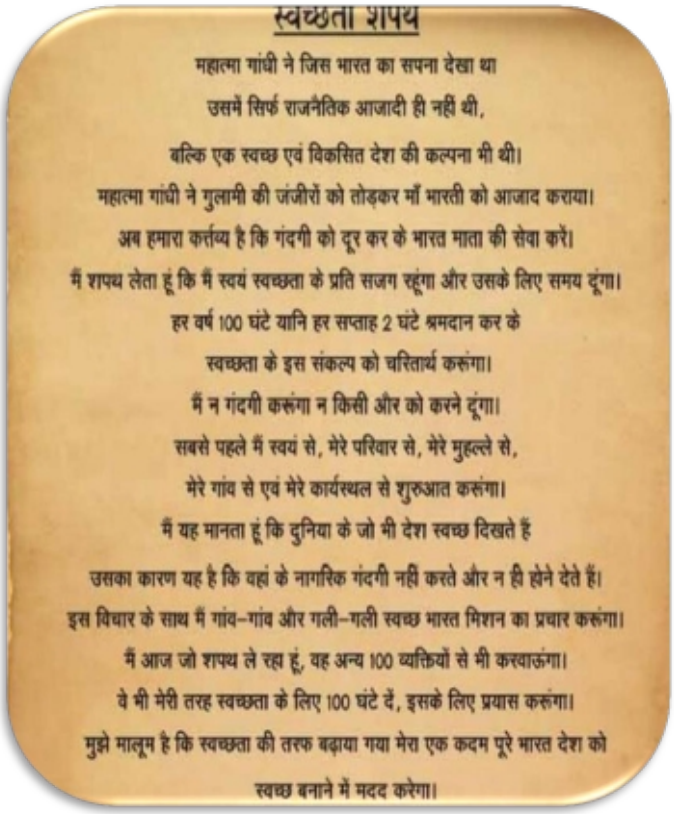

स्वच्छता शपथ

महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था
उसमें सिर्फ राजनैतिक आजादी ही नहीं थी,
बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी।
महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया।
अब हमारा कर्त्तव्य है कि गंदगी को दूर कर के भारत माता की सेवा करें।
मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा।
हर वर्ष 100 घंटे यानि हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान कर के
स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा।
मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा।
सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मुहल्ले से,
मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा।
मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं
उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं।
इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा।
मैं आज जो शपथ ले रहा हूं, वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा।
वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा।
मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को
स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।

8. सभी संबंधितों से तथा सभी के लिए विचार एवं सीख की भागीदारी करने हेतु स्वच्छता शपथ के साथ – साथ एसबीएम (जी) पर फेसबुक पेज सृजित किया गया है।

9. विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस 15 अक्तूबर, 2014 को मनाया गया था। मध्य प्रदेश राज्य ने उसी समय 3 लाख बच्चों से अधिक के बीच हस्त प्रक्षालन गतिविधियां आयोजित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है।

10. पब्लिक डोमेन / ऑन लाइन निगरानी प्रणाली में उपलब्ध वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) के लाभार्थियों के नामों और पतों सहित सभी आंकड़े तैयार करके एसबीएम (जी) कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता को बढ़ाया गया है और ऑनलाइन निगरानी को सुदृढ़ किया है।

11. शौचालयों के फोटोग्राफ लेने तथा उन्हें अपलोड करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू किया गया है जिससे कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता में आगे और सुधार होगा। आईएचएचएल के फोटोग्राफ ऑनलाइन प्रणाली में भी उपलब्ध होंगे।

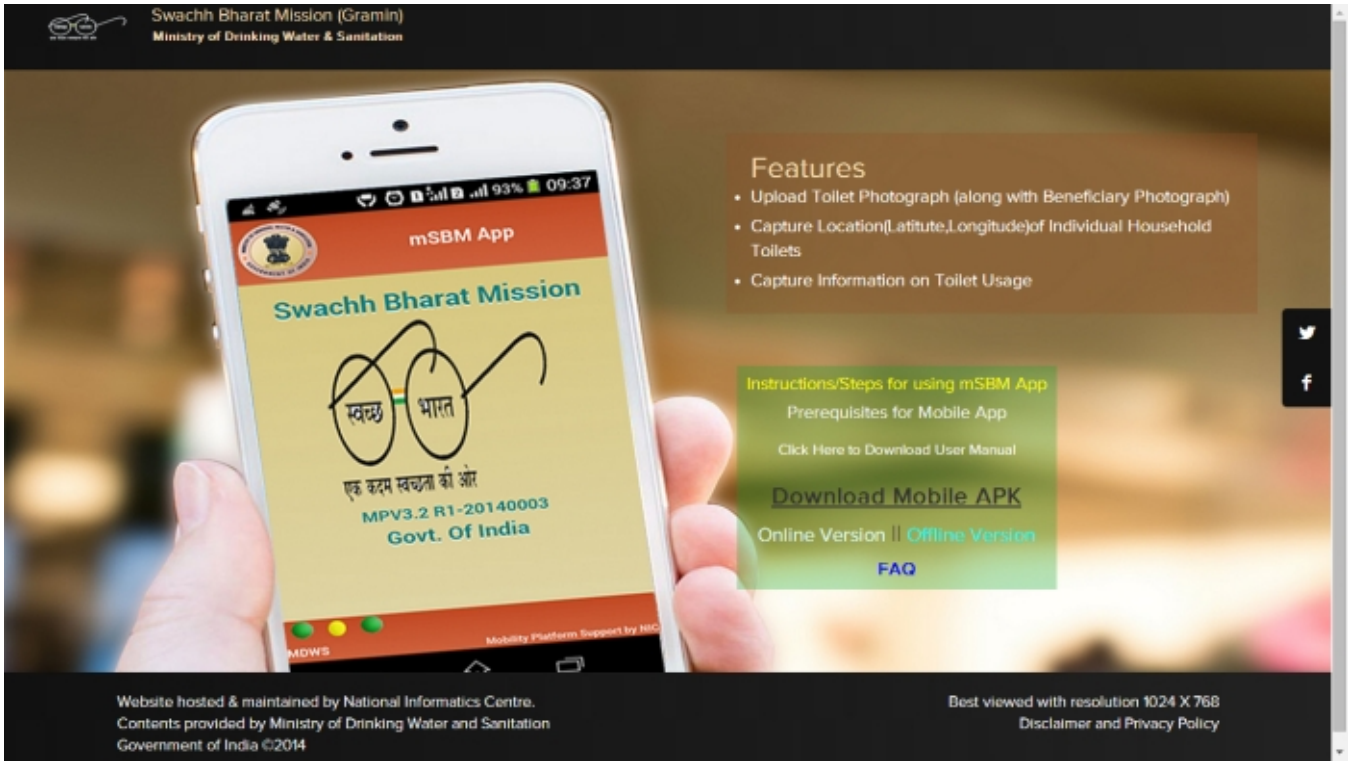

12. मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता पर मास मीडिया अभियान की शुरूआत।

13. पेयजल एवं स्वच्छता पर ई–बुक (गतिशील परिवर्तन जो मंत्रालय की गतिविधियों को प्रतिबिम्बित कर सकते हैं) तथा पॉकेट बुक (रेडी रिकोनर) की शुरूआत।

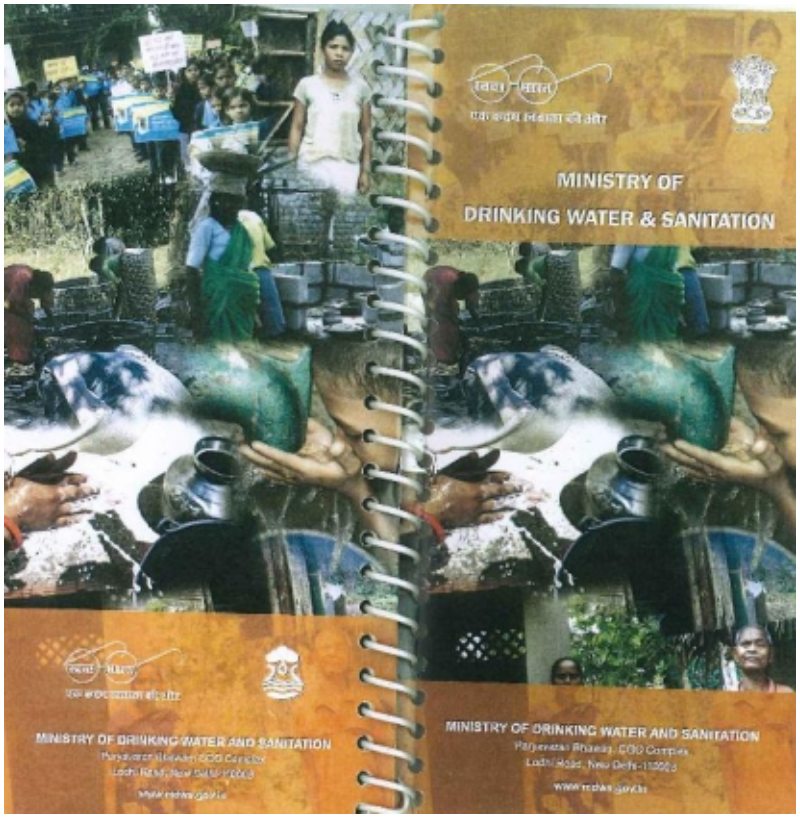

14. स्वच्छ भारत मिशन की विषयवस्तु पर डाक टिकट जारी करना :

माननीय दूर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय दोनों के मंत्रियों की उपस्थिति में दिनांक 30 जनवरी, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में स्वच्छ भारत पर एक डाक टिकट जारी की गइ थी।

यह डाक टिकट डाक विभाग की टिकट संकलन इकाई द्वारा पेन्टिंग प्रतियोगिता आयोजित करने के माध्यम से सृजित की गई थी।

प्रशासन

प्रशासन

5.1 संगठन

- श्री बीरेन्द्र सिंह ने ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता तथा पंचायती राज मंत्रालय में मंत्री के पद का कार्यभार 09.11.2014 को ग्रहण किया तथा वे उसी पद पर कार्य कर रहे हैं।

- श्री राम कृपाल यादव ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में दिनांक 09.11.2014 को राज्य मंत्री के पद का कार्यभार ग्रहण किया तथा वे उसी पद पर कार्य कर रहे हैं।

- श्रीमती विजय लक्ष्मी जोशी, आईएएस (गुजरात : 80) ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में दिनांक 01.10.2014 को सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण किया तथा वे उसी पद पर कार्य कर रही हैं।

- श्री पंकज जैन, आईएएस (जम्मू व कश्मीर : 78) ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में दिनांक 30.09.2014 तक सचिव के पद पर कार्य किया।

- श्री सरस्वती प्रसाद, आईएएस (असम, मेघालय : 85) ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में दिनांक 10.12.2012 को संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण किया और वे उसी पद पर कार्य कर रहे हैं।

- श्री सत्यब्रत साहु, आईएएस (ओडिशा) ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में दिनांक 20.05.2013 को संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण किया तथा वे उसी पद पर कार्य कर रहे हैं।

5.2 संचालन एवं अनुरक्षण (ओ एण्ड एम) गतिविधियां

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में कोई अलग ओ एण्ड एम एकक नहीं बनाया गया है। तथापि, उपलब्ध अपर्याप्त स्थान का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने एवं सूचना की त्वरित पुनः प्राप्ति हेतु ठोस रिकार्ड प्रबन्धन पर जोर दिया गया।

5.3 सतर्कता एवं शिकायत निवारण तंत्र

सतर्कता संबंधी कार्य की सतर्कता सैल द्वारा देखरेख की जा रही है। इसे मंत्रालय के कर्मचारियों के निलम्बन के मामलों, सतर्कता मामलों और अनुशासनिक मामलों का कार्य भी सौंपा गया है।

सतर्कता सैल मंत्रालय के कर्मचारियों के संबंध में सतर्कता संबंधी अनुमति तथा पासपोर्ट के लिए एनओसी आदि;

पीएआर और एपीएआर भी प्रस्तुत करता है। एपीएआर, वार्षिक अचल सम्पत्ति विवरणियों की निगरानी और रखरखाव का कार्य भी सतर्कता सैल को सौंपा गया है। मंत्रालय के कर्मचारियों के एपीएआर डोजियरों को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाता है।

सीपीजीआरएएमएस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त याचिकाओं पर ऑनलाइन ध्यान दिया जा रहा है। भारत सरकार के सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के अनुसार, 684 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनमें से वर्ष 2014 (01.01.2014 से 31.12.2014 तक) के दौरान 666 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है, इससे सीपीडीआरएएमएस के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के 97% निपटान का संकेत मिलता है।

5.4 राजभाषा हिन्दी से संबंधित गतिविधियां

- मंत्रालय में राजभाषा के कार्यान्वयन में प्रगति लाने के उद्देश्य से राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन वर्ष 2013 में किया गया। इस समिति के अध्यक्ष, संयुक्त सचिव (प्रशासन) हैं। संयुक्त सचिव (प्रशासन) श्री सत्यब्रत साहु की अध्यक्षता में चार बैठकें दिनांक 30.01.2014, 01.05.2014, 29.08.2014 तथा 28.11.2014 को आयोजित की गईं।

- मंत्रालय में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 13.01.2014 और 30.12.2014 को मंत्रालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए, संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें मंत्रालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपना सभी कार्य हिन्दी में करने हेतु प्रभावी एवं ठोस कदम उठाने पर बल दिया गया।

  इस अवधि के दौरान राजभाषा के प्रयोग के बारे में प्रगति निम्न प्रकार है :–

- राजभाषा हिन्दी में अपना टिप्पण और आलेखन (नोटिंग) ड्रॉफ्टिंग) कार्य करने में उनकी सहायता करने हेतु

क.सं.	मद	लक्ष्य			13.01.2014 की स्थिति के अनुसार			30.12.2014 की स्थिति के अनुसार		
		क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग
1ण	हिन्दी में भेजे गए पत्र (प्रतिशत में)	100	100	65	15.48	11.32	0.65	68.08	60.5	60.2

अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दिनांक 12.05.2014 तथा 26.06.2014 को वर्ष के दौरान दो हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

- मंत्रालय में 15.09.2014 से 29.09.2014 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया जिसके दौरान हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पखवाड़े के दौरान, 8 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया यथा–हिंदी टिप्पण / प्रारूपण / आलेखन, हिंदी निबंध, सरल अनुवाद, श्रुतलेख, हिन्दी टंकण, हिंदी व्यवहार व्याख्यान माला, प्रश्नोत्तरी एवं कविता पाठ प्रतियोगिता। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा नकद पुरस्कार एवं प्रमाण–पत्र दिए गए।

अनुलग्नक

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

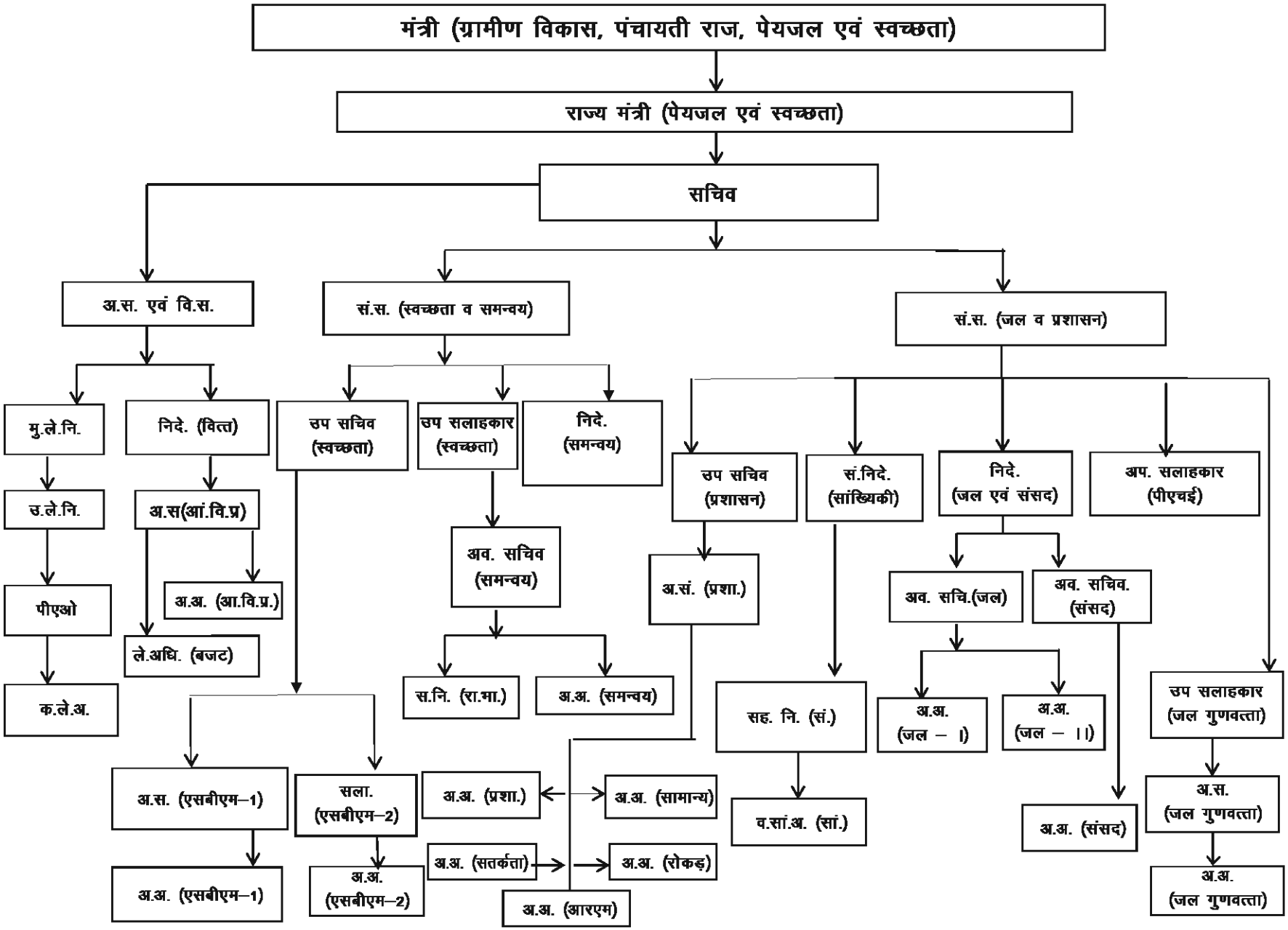

अनुलग्नक – I (क) आंशिक रूप से कवर की गई बसावटें (2013–14)
लक्ष्य कवरेज

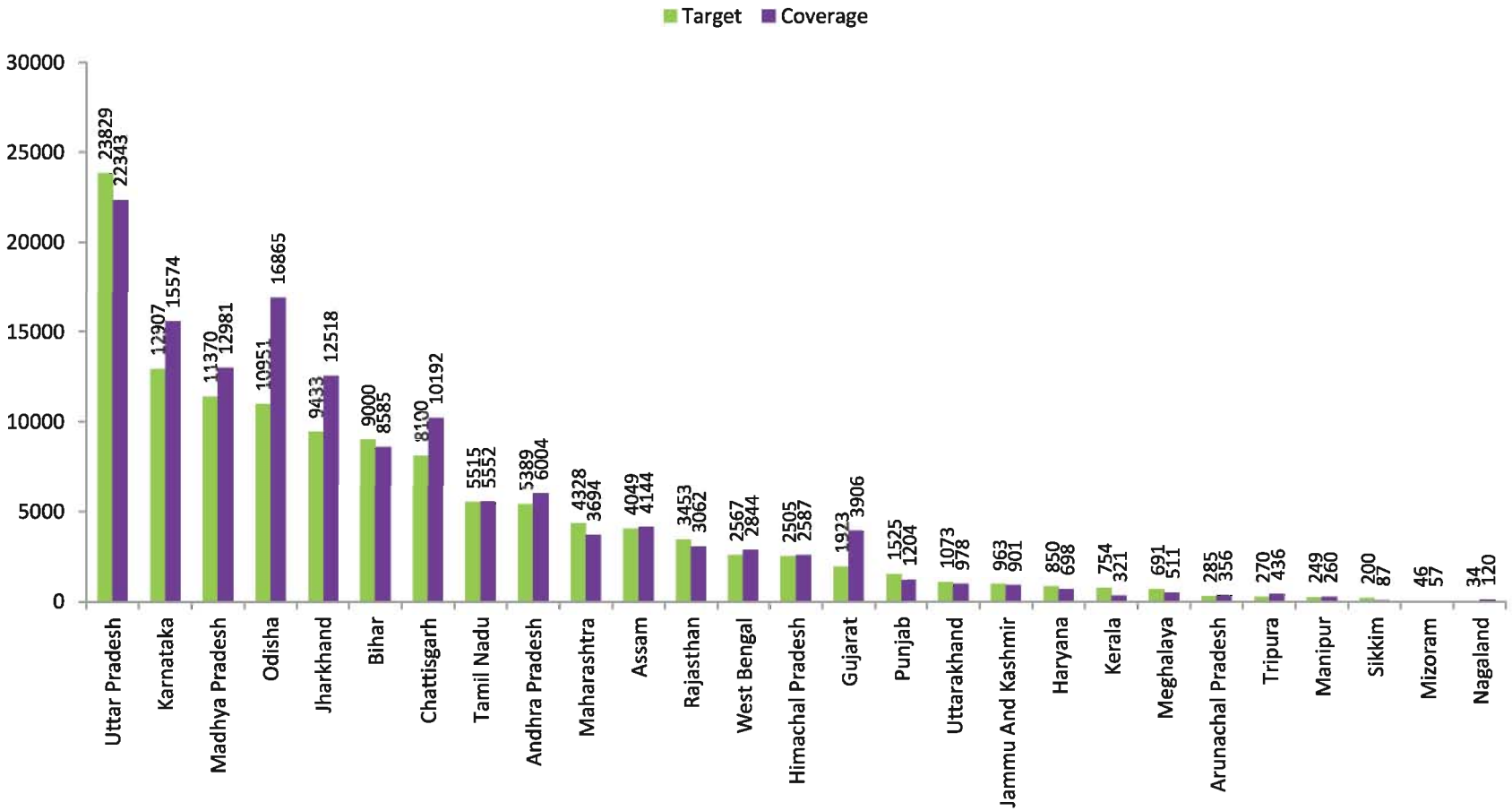

अनुलग्नक – I (ख) जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटें (2013–14)
लक्ष्य कवरेज

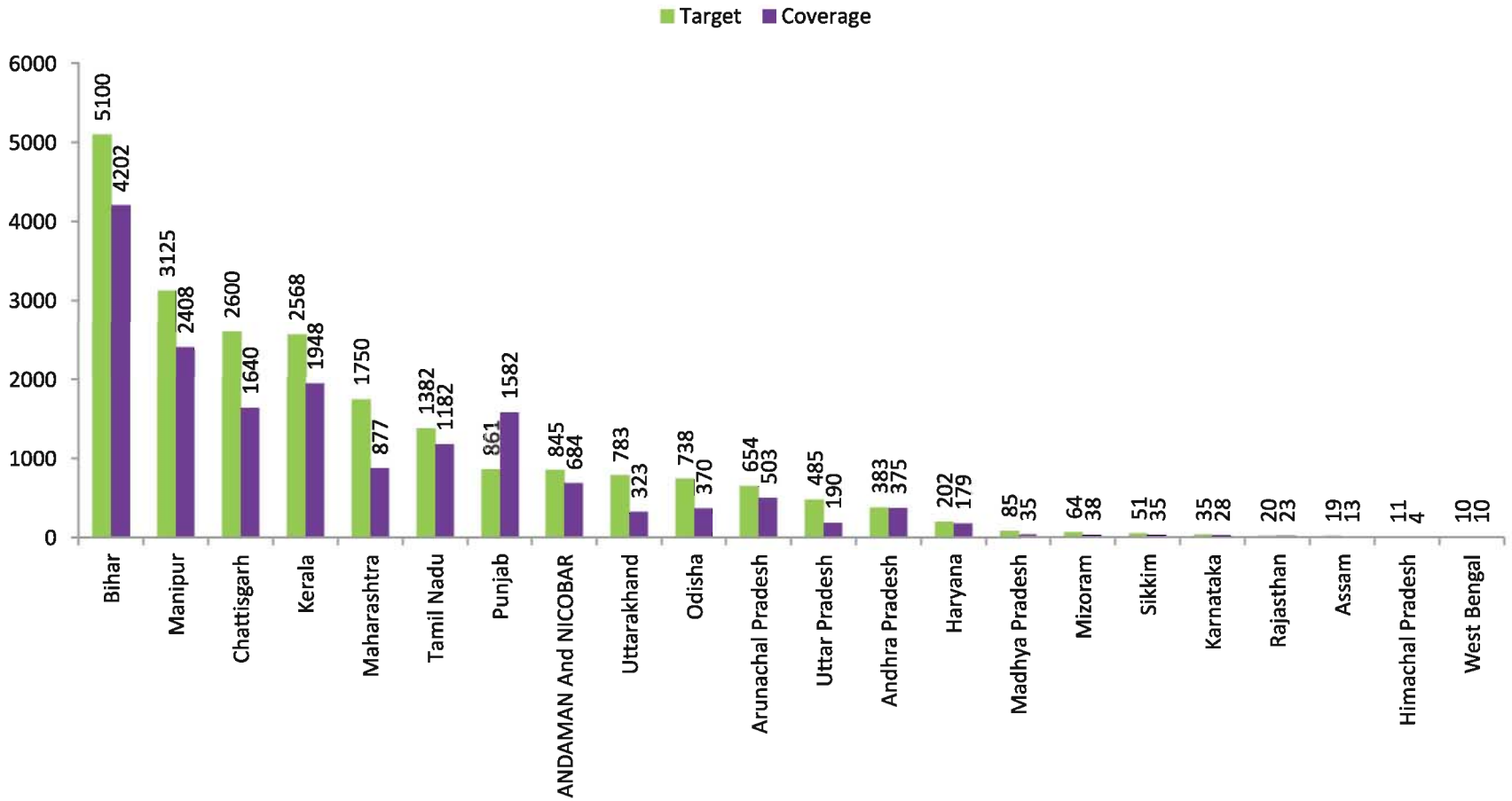

अनुलग्नक – II (क) आंशिक रूप से कवर की गई बसावटें (2014–15 दिसम्बर)

लक्ष्य कवरेज

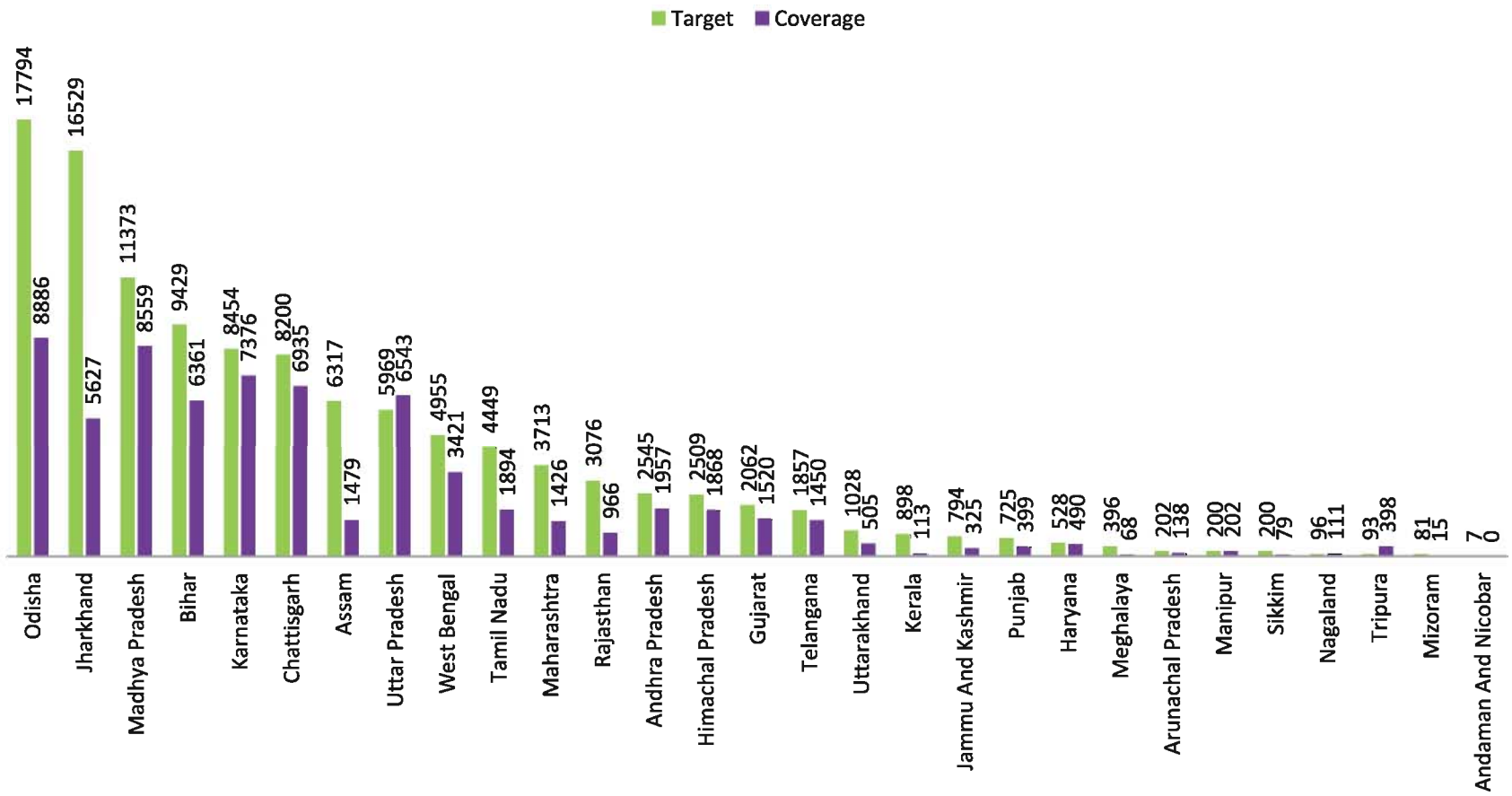

अनुलग्नक – ।। (ख) जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटें (2014–15–दिसम्बर)
लक्ष्य कवरेज

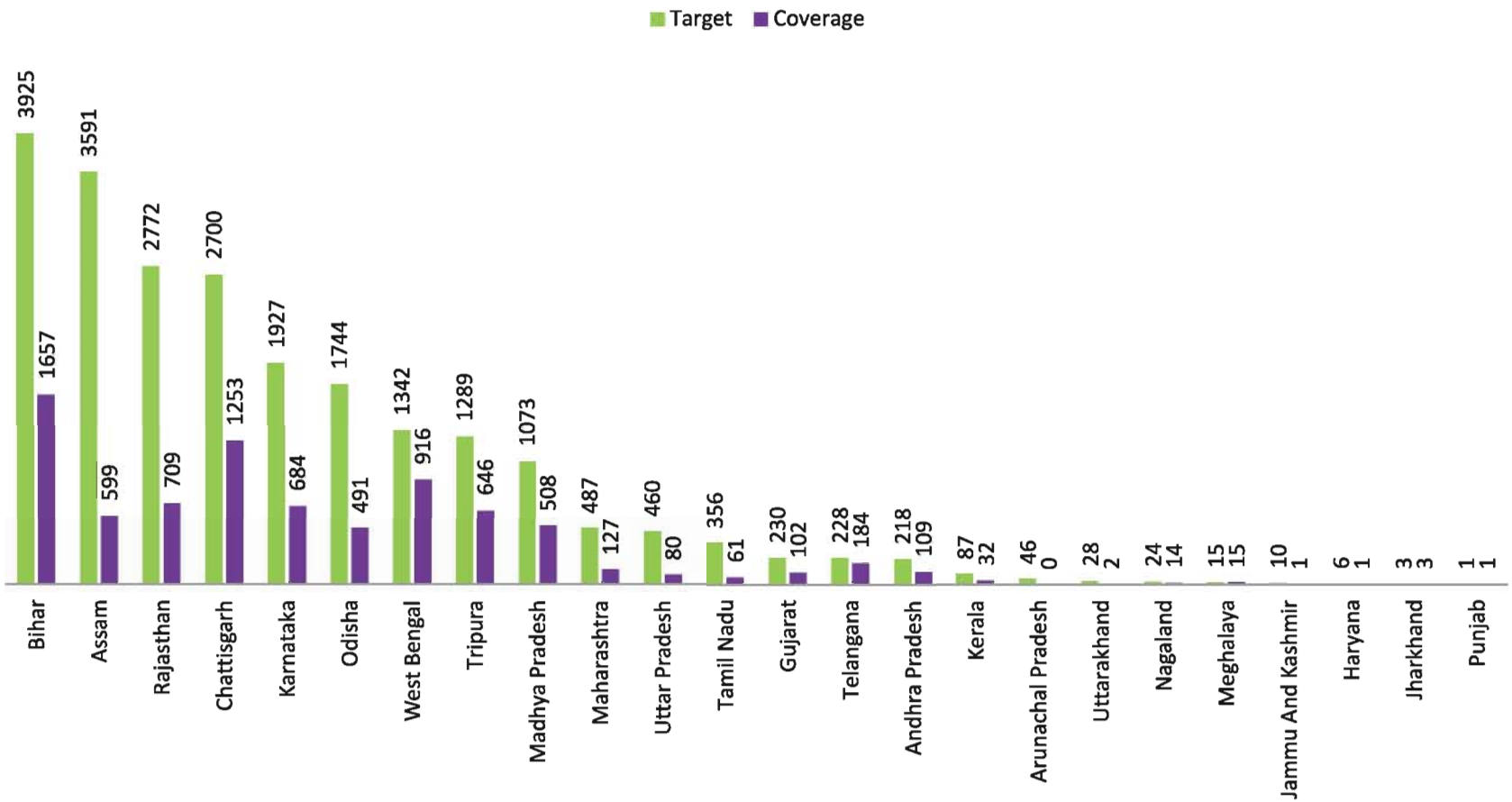

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
2013–2014 के दौरान एसबीएम (जी) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति

क.स.	राज्य का नाम	आईएचएचएल (बीपीएल)	आईएचएचएल (एपीएल)	आईएचएचएल कुल	स्वच्छता परिसर	स्कूली शौचालय	आंगनवाड़ी शौचालय
1	आंध्र प्रदेश	133220	5501	138721	3	2148	1305
2	अरूणाचल प्रदेश	13789	644	14433	36	30	148
3	असम	124408	36194	160602	0	633	195
4	बिहार	98456	63190	161646	36	5076	1437
5	छत्तीसगढ़	38088	29369	67457	7	0	18
6	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
7	गोवा	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	25767	129501	155268	1	1114	490
9	हरियाणा	46316	70110	116426	7	915	718
10	हिमाचल प्रदेश	2462	6708	9170	148	638	38
11	जम्मू एवं कश्मीर	50493	20391	70884	39	363	4
12	झारखण्ड	43327	33491	76818	42	682	163
13	कर्नाटक	364045	141652	505697	88	1483	1416
14	केरल	39167	434	39601	36	400	77
15	मध्य प्रदेश	279845	235738	515583	112	59	364
16	महाराष्ट्र	198271	360771	559042	319	20	311
17	मणिपुर	24444	10998	35442	12	0	0
18	मेघालय	22488	6524	29012	18	1678	158
19	मिजोरम	3940	584	4524	14	689	81

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
2013–2014 के दौरान एसबीएम (जी) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति

क.स.	राज्य का नाम	आईएचएचएल (बीपीएल)	आईएचएचएल (एपीएल)	आईएचएचएल कुल	स्वच्छता परिसर	स्कूली शौचालय	आंगनवाड़ी शौचालय
20	नागालैण्ड	20102	0	20102	12	646	283
21	ओड़िशा	24784	8975	33759	25	373	45
22	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
23	पंजाब	1597	2315	3912	0	0	162
24	राजस्थान	102905	163292	266197	99	6730	5718
25	सिक्किम	3389	54	3443	192	166	100
26	तमिलनाडु	160747	152655	313402	52	1403	904
27	तेलंगाना	180582	100	180682	16	3686	1504
28	त्रिपुरा	5365	712	6077	46	65	871
29	उत्तर प्रदेश	213312	575780	789092	7	30	45
30	उत्तराखण्ड	25899	65185	91084	3	169	21
31	पश्चिम बंगाल	306363	301855	608218	160	8500	5742
	कुल	**2553571**	**2422723**	**4976294**	**1530**	**37696**	**22318**

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2014–15 के दौरान (दिसम्बर, 2014 तक) एसबीएम (जी) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति

क.स.	राज्य का नाम	आईएचएचएल (बीपीएल)	आईएचएचएल (एपीएल)	आईएचएचएल कुल	स्वच्छता परिसर	स्कूली शौचालय	आंगनवाड़ी शौचालय
1	आंध्र प्रदेश	107211	4	107215	0	85	0
2	अरूणाचल प्रदेश	3674	665	4339	14	197	61
3	असम	21427	9471	30898	8	68	43
4	बिहार	47225	15044	62269	8	484	11
5	छत्तीसगढ़	14397	14584	28981	4	0	0
6	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
7	गोवा	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	21641	110344	131985	0	0	0
9	हरियाणा	21998	51605	73603	8	1730	1579
10	हिमाचल प्रदेश	7741	24888	32629	49	182	5
11	जम्मू एवं कश्मीर	1434	580	2014	13	3	0
12	झारखण्ड	31290	22552	53842	19	1090	148
13	कर्नाटक	343807	18446	362253	90	264	657
14	केरल	24943	271	25214	33	292	16
15	मध्य प्रदेश	162813	149014	311827	24	66	0
16	महाराष्ट्र	44505	110340	154845	19	9	5
17	मणिपुर	7429	3077	10506	0	0	0
18	मेघालय	9940	5369	15309	25	2053	138
19	मिजोरम	157	304	461	1	36	5

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2014–15 के दौरान (दिसम्बर, 2014 तक) एसबीएम (जी) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति

क.स.	राज्य का नाम	आईएचएचएल (बीपीएल)	आईएचएचएल (एपीएल)	आईएचएचएल कुल	स्वच्छता परिसर	स्कूली शौचालय	आंगनवाड़ी शौचालय
20	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0
21	ओड़िसा	25233	25500	50733	7	227	20
22	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
23	पंजाब	504	1950	2454	0	0	64
24	राजस्थान	71303	118738	190041	13	347	86
25	सिक्किम	2755	0	2755	27	505	36
26	तमिलनाडु	110935	100699	211634	35	1482	14
27	तेलंगाना	75266	7	75273	8	956	0
28	त्रिपुरा	8530	3275	11805	4	75	757
29	उत्तर प्रदेश	73109	118238	191347	0	1	0
30	उत्तराखण्ड	11480	19531	31011	0	25	0
31	पश्चिम बंगाल	155685	136659	292344	25	5527	1134
		1406432	1061155	2467587	434	15704	4779

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य–वार रिलीज की स्थिति (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार)

क.स.	राज्य का नाम	रिलीज
1	आंध्र प्रदेश	14524.22
2	बिहार	0.00
3	छत्तीसगढ़	0.00
4	गोवा	0.00
5	गुजरात	5264.10
6	हरियाणा	13117.51
7	हिमाचल प्रदेश	3049.74
8	जम्मू एवं कश्मीर	3957.20
9	झारखण्ड	0.00
10	कर्नाटक	6594.68
11	केरल	4301.20
12	मध्य प्रदेश	66038.88
13	महाराष्ट्र	3646.30
14	ओडिसा	0.00
15	पंजाब	0.00
16	राजस्थान	0.00
17	तमिलनाडु	31192.30
18	उत्तर प्रदेश	37631.58
19	उत्तराखण्ड	528.05
20	पश्चिम बंगाल	11147.11

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य–वार रिलीज की स्थिति (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार)

क.स.	राज्य का नाम	रिलीज
21	दादर एवं नगर हवेली	0.00
22	पुदुचेरी	0.00
		200992.87
23	असम	4180.97
24	अरूणाचल प्रदेश	518.53
25	मणिपुर	0.00
26	मेघालय	10303.65
27	मिजोरम	805.88
28	नागालैण्ड	0.00
29	सिक्किम	825.06
30	त्रिपुरा	1401.41
		18035.50
31	एचआरडी	6.62
32	आईइसी	5771.41
33	एमआईएस	6.30
34	अनुसंधान	0.00
35	एम एण्ड ई	206.40
36	एनजीपी (एजेंसी को भुगतान)	13.40
	उप जोड़	**6004.13**
	सकल जोड़	**225032.50**

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य–वार रिलीज की स्थिति (31.12.2014 की स्थिति के अनुसार)

क.स.	राज्य का नाम	रिलीज
1	आंध्र प्रदेश	11609.50
2	बिहार	0.00
3	छत्तीसगढ़	948.82
4	दादर एवं नगर हवेली	0.00
5	गोवा	0.00
6	गुजरात	14997.04
7	हरियाणा	0.00
8	हिमाचल प्रदेश	5239.15
9	जम्मू एवं कश्मीर	5105.23
10	झारखण्ड	0.00
11	कर्नाटक	15744.19
12	केरल	1365.90
13	मध्य प्रदेश	0.00
14	महाराष्ट्र	11773.50
15	ओडिसा	0.00
16	पुदुचेरी	87.95
17	पंजाब	0.00
18	राजस्थान	13712.17
19	तमिलनाडु	6253.98
20	तेलंगाना	10563.07

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य–वार रिलीज की स्थिति (31.12.2014 की स्थिति के अनुसार)

क.स.	राज्य का नाम	रिलीज
21	उत्तर प्रदेश	12954.40
22	उत्तराखण्ड	2027.41
23	पश्चिम बंगाल	19185.81
	उप जोड़	131568.12
24	अरूणाचल प्रदेश	1023.14
24	असम	0.00
25	मणिपुर	0.00
26	मेघालय	0.00
27	मिजोरम	0.00
28	नागालैण्ड	2087.22
29	सिक्किम	188.17
30	त्रिपुरा	1980.69
	उप जोड़	5279.22
31	एचआरडी	16.03
32	आईइसी	8342.26
33	एमआईएस	8.19
34	आर एण्ड डी	22.69
35	एम एण्ड ई	156.39
36	एनजीपी	0.00
	उप जोड़	8545.56
	सकल जोड़	145392.90

वर्ष की पहली जनवरी की स्थिति के अनुसार अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा सामान्य वर्ग (ओबीसी) का प्रतिनिधित्व तथा पिछले कैलेण्डर वर्ष 2014 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

	अनु. जाति/अनु. जनजाति/ ओबीसी का प्रतिनिधित्व (1/1/2015 की स्थिति के अनुसार)				पिछले कैलेण्डर वर्ष, 2014 के दौरान की गई नियुक्तियाँ की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति द्वारा		
समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु. जाति	अनु. जनजाति	ओबीसी	कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति	ओबीसी	कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति	कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
समूह क	22	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ख	37	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ग	19	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह घ (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह घ (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	78	8	6	5										

अनुलग्नक – VIII

वर्ष के दौरान विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति की संख्या को दर्शाने वाला विवरण (वर्ष 2014 के लिए)

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

समूह	सीधी भर्ती								पदोन्नति							
	आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				
	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	पहचान किए गए पदों में	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	पहचान किए गए पदों में	वीएच	एचएच	ओएच
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
समूह क	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ख	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल जोड़																

टिप्पणी: (i) वीएच का तात्पर्य दृष्टि संबंधी विकलांगता (दृष्टिहीन अथवा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति) से है।

(ii) एचएच का तात्पर्य श्रवण–शक्ति की कमी से पीड़ित व्यक्ति से (श्रवण–दोष से पीड़ित व्यक्ति) है।

(iii) ओएच का तात्पर्य शारीरिक रूप से विकलांगता (लोकोमोटर विकलांगता अथवा सेरिब्राल पाल्सी से पीड़ित) से पीड़ित से है।

(iv) समूह "क" एवं "ख" पदों पर पदोन्नति के मामले में विकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तथापि, विकलांगता से प्रभावित व्यक्ति को ऐसे पदों पर पदोन्नत किया जा सकता है, बशर्ते कि संबंधित पद पर ऐसे व्यक्ति की पहचान उपयुक्त पाई जाती है जो विकलांगता से प्रभावित हैं।

अनुलग्नक – IX

सत्यमेव जयते

नागरिक / ग्राहक चार्टर

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

भारत सरकार

(2013–2014)

पता	:	पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली
वैबसाइट आई.डी.	:	mdws.gov.in
जारी करने की तारीख	:	अगस्त, 2014
अगली समीक्षा	:	दिसम्बर, 2014

दृष्टि लक्ष्य (विजन)

दृष्टि (विजन)

ग्रामीण भारत में, सभी को हमेशा स्वच्छ पेयजल एवं उन्नत स्वच्छता मुहैय्या कराना।

लक्ष्य (मिशन)

यह सुनिश्चित करना कि सभी परिवारों की स्वच्छ एवं स्थायी पेयजल तथा उन्नत स्वच्छता संबंधी सुविधाओं तक पहुँच हो तथा वे इसका प्रयोग करते हों जिसके लिए राज्यों को इन आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने में उनके प्रयासों को सहायता दी जाती है।

नागरिक/ग्राहक चार्टर, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार (2013–14)
मुख्य सेवाएं/ कार्य

क्र. सं.	सेवा / कार्य	वैटेज%	जिम्मेवार व्यक्ति (पदनाम)	ई–मेल	मोबाईल (फोन न.)	प्रकिया	अपेक्षित दस्तावेज	फीस		
								श्रेणी	पद्धति	राशि
1.	एनआरडीडब्ल्यूपी : राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को यथा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत निधियों की समय से रिलीज	15	श्री सत्यब्रत साहु, (संयुक्त सचिव– एनआरडीडब्ल्यूपी)	stm@nic.in	24361043	1. कार्यक्रम प्रभाग द्वारा प्रस्ताव की जॉच 2. यदि आवश्यक हो, राज्यों से स्पष्टीकरण प्राप्त करना 3. संयुक्त सचिव द्वारा अनुमोदन 4. आंतरिक वित्त प्रभाग द्वारा सहमति 5. स्वीकृति जारी करना 6. भुगतान एवं लेखा कार्यालय द्वारा रिलीज।	एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देशों के पैरा 17 के अनुसार रिलीज के लिए पूरा प्रस्ताव। समाहित उपयोग प्रमाणपत्र टिप्पणियों के उत्तर सहित लेखों के लेखा परीक्षित विवरण उपलब्ध निधियों का 60 प्रतिशत व्यय निष्पादन रिपोर्ट मांगे गए स्पष्टीकरणों यदि कोई हों, का उत्तर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नागरिक/ग्राहक चार्टर, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार (2013–14)
मुख्य सेवाएं/ कार्य

क्र. सं.	सेवा / कार्य	वैटेज%	जिम्मेवार व्यक्ति (पदनाम)	ई–मेल	मोबाईल (फोन न.)	प्रकिया	अपेक्षित दस्तावेज	फीस		
								श्रेणी	पद्धति	राशि
2.	एनआरडीडब्ल्यूपी : केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/ विभागों के साथ पत्राचार	5	श्री सुजॉय मजुमदार, निदेशक (एनआरडीडब्ल्यूपी)	sujoy.m@nic.in	(2436102)	1. संयुक्त सचिव द्वारा अनुमोदन 2.पत्र जारी करना	पत्र के साथ आवश्यकताओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	एनआरडीडब्ल्यूपीः योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में राज्य सरकार के कार्यालयों और विभागों को सूचना उपलब्ध कराना।	5	श्री अनिल श्रीवास्तव, अवर सचिव (जल		(24363515)	1.संयुक्त सचिव/ निदेशक द्वारा अनुमोदन 2. पत्र जारी करना	पत्र के साथ आवश्यकताओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नागरिक/ग्राहक चार्टर, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार (2013–14)
मुख्य सेवाएं/ कार्य

क्र. सं.	सेवा / कार्य	वैटेज%	जिम्मेवार व्यक्ति (पदनाम)	ई–मेल	मोबाईल (फोन न.)	प्रकिया	अपेक्षित दस्तावेज	फीस		
								श्रेणी	पद्धति	राशि
4.	एनआरडीडब्ल्यूपीः ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राज्यों को सहायता उपलब्ध कराना।	10	श्री सत्यब्रत साहु,संयुक्त सचिव (जल)	jstm@nic.in	(24361043)	1. गृह मंत्रालय से प्राप्त एचएलसी का निर्णय। 2. राज्यों से अपेक्षित स्पष्टीकरण यदि कोई हों, प्राप्त करना। 3. संयुक्त सचिव द्वारा अनुमोदन 4. आंतरिक वित्त प्रभाग की सहमति 5. स्वीकृति जारी करना 6. भुगतान एवं लेखा कार्यालय द्वारा रिलीज	उपयोग प्रमाणपत्र लेखों के लेखा परीक्षित विवरण उपलब्ध निधियों का 60 प्रतिशत व्यय मांगे गए स्पष्टीकरणों, यदि कोई हों, के उत्तर।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	एनआरडीडब्लूपी : निरीक्षण रिपोर्टों का उत्तर	5	श्री सुजॉय मजुमदार, निदेशक (जल)	sujoy.m@nic.in	(2436102)	1. जहां आवश्यक हों राज्यों से टिप्पणियां प्राप्त करना। 2. सचिव (पेयजल एवं स्वच्छता) द्वारा अनुमोदन	राज्यों से उत्तर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नागरिक/ग्राहक चार्टर, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार (2013–14)
मुख्य सेवाएं/ कार्य

क्र. सं.	सेवा / कार्य	वैटेज%	जिम्मेवार व्यक्ति (पदनाम)	ई–मेल	मोबाईल (फोन न.)	प्रकिया	अपेक्षित दस्तावेज	फीस		
								श्रेणी	पद्धति	राशि
6.	एनआरडीडब्लूपीः के.आर.सी. के दिशानिर्देशों के अनुसार मुख्य संसाधन केन्द्रों को समय पर निधियॉ रिलीज करना।	10	सुश्री संध्या सिंह, (संयुक्त निदेशक)	sandhya.singh@nic.in	(24364112)	**प्रथम किस्त के लिए** 1. कार्यक्रम प्रभाग द्वारा जॉच 2. अपेक्षित स्पष्टीकरण यदि कोई हो, प्राप्त करना 3. सचिव द्वारा अनुमोदन 4. आंतरिक वित्त प्रभाग द्वारा सहमति 5. स्वीकृति जारी करना कार्यालय द्वारा रिलीज। **द्वितीय किस्त जारी करने हेतु** 1. कार्यक्रम प्रभाग द्वारा जॉच 2. अपेक्षित स्पष्टीकरण यदि कोई हो, प्राप्त करना। 3. संयुक्त सचिव द्वारा अनुमोदन 4. आंतरिक वित प्रभाग द्वारा सहमति 5. स्वीकृति जारी करना	प्रथम किस्त के लिए 1. मुख्य संसाधन केन्द्र के दिशा निर्देशों के पैरा 6 के अनुसार पूरा ब्यौरा देते हुए वार्षिक कार्य योजना 2. मांगे गए स्पष्टीकरणों, यदि कोई हों, का उत्तर द्वितीय तथा आगे की किस्तों के लिए 1. उपयोग प्रमाणपत्र 2. लेखों का लेखापरीक्षित विवरण 3. उपलब्ध निधि का 60 प्रतिशत व्यय 4. निष्पादन रिपोर्ट 5.स्पष्टीकरणों, यदि कोई हों, का उत्तर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नागरिक/ग्राहक चार्टर, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार (2013–14)
मुख्य सेवाएं/ कार्य

क्र. सं.	सेवा / कार्य	वैटेज%	जिम्मेवार व्यक्ति (पदनाम)	ई–मेल	मोबाईल (फोन न.)	प्रकिया	अपेक्षित दस्तावेज	फीस		
								श्रेणी	पद्धति	राशि
7.	एनआरडीडब्लूपीःअनुसंधान एवं विकास दिशा–निर्देशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की समय पर रिलीज	10	उप सचिव (जल गुणवत्ता)/उप सचिव (जल–गुणवत्ता)		(24364518)	प्रथम किस्त के लिए 1. आर एंड डी दिशानिर्देशों में निर्धारित आर एंड डी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए फार्मेट में पूरे प्रस्ताव की चार प्रतियॉ। 2. मांगे गए स्पष्टीकरणों यदि कोई हों, के उत्तर। द्वितीय एवं तृतीय किस्तों के लिए 1. उपयोग प्रमाणपत्र 2. लेखों के लेखा परीक्षित विवरण 3. उपलब्ध निधि का 60 प्रतिशत व्यय 4. निष्पादन रिपोर्ट 5. मांगे गए स्पष्टीकरणों, यदि कोई हों, के उत्तर।	प्रथम किस्त के लिए 1. मुख्य संसाधन केन्द्र के दिशा निर्देशों के पैरा 6 के अनुसार पूरा ब्यौरा देते हुए वार्षिक कार्य योजना 2. मांगे गए स्पष्टीकरणों, यदि कोई हों, का उत्तर द्वितीय तथा आगे की किस्तों के लिए 1. उपयोग प्रमाणपत्र 2. लेखों का लेखापरीक्षित विवरण 3. उपलब्ध निधियों का 60 प्रतिशत व्यय 4. निष्पादन रिपोर्ट 5. पष्टीकरणों, यदि कोई हों, का उत्तर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नागरिक/ग्राहक चार्टर, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार (2013–14)
मुख्य सेवाएं/ कार्य

क्र. सं.	सेवा / कार्य	वैटेज%	जिम्मेवार व्यक्ति (पदनाम)	ई–मेल	मोबाईल (फोन न.)	प्रकिया	अपेक्षित दस्तावेज	फीस		
								श्रेणी	पद्धति	राशि
8.	एनबीए: राज्यों के माध्यम से जिलों के लिए निर्धारित मापदण्ड के अनुसार निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत निधियों की समय पर रिलीज	15	श्री सरस्वती प्रसाद, संयुक्त सचिव (स्वच्छता)	js.tsc@nic.in	(24362705)	1. कार्यक्रम प्रभाग द्वारा जॉच 2. अपेक्षित स्पष्टीकरण यदि कोई हो, प्राप्त करना 3. आंतरिक वित्त प्रभाग द्वारा सहमति 4. स्वीकृति जारी करना 5. भुगतान एवं लेखा कार्यालय द्वारा रिलीज	उपयोग प्रमाणपत्र लेखों के लेखा परीक्षित विवरण उपलब्ध निधि का 60 प्रतिशत व्यय मांगे गए स्पष्टीकरणों, यदि कोई हों, के उत्तर। कार्य–निष्पादन रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9.	एनबीए: केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/ विभागों के साथ पत्राचार	5	श्रीमती प्रतिमा गुप्ता, निदेशक (एनबीए)	pratima.g@nic.in	(24364427)	1. संयुक्त सचिव द्वारा अनुमोदन 2. पत्र जारी करना	नीति संबंधी दिशा निर्देश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10.	एनबीए: एनबीए और एनजीपी योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में राज्य सरकारों के कार्यालयों और विभागों को सूचना उपलब्ध कराना	5	श्रीमती क्रिस्टीना कुजूर, अवरसचिव, (एनबीए)		(243620106)	1. संयुक्त सचिव द्वारा अनुमोदन 2. पत्र जारी करना	नीति संबंधी दिशा निर्देश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नागरिक/ग्राहक चार्टर, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार (2013–14)
मुख्य सेवाएं/ कार्य

क्र. सं.	सेवा / कार्य	वैटेज%	जिम्मेवार व्यक्ति (पदनाम)	ई–मेल	मोबाईल (फोन न.)	प्रकिया	अपेक्षित दस्तावेज	फीस		
								श्रेणी	पद्धति	राशि
11.	निर्मल ग्राम हेतु समुदाय संतृप्ति दृष्टिकोण को अपनाना। निर्मल स्थिति प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या	10	श्री सरस्वती प्रसाद, संयुक्त सचिव (एनबीए)	jstsc@nic.in	(24362705)	1. निर्मल स्थिति के लिए ग्राम पंचायतों की पहचान करना। 2. मंत्रालय की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली पर रिपोर्ट देना।	नीति संबंधी दिशानिर्देश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12.	एनबीए: लेखा परीक्षा की टिप्पणियों के उत्तर	5	श्रीमती क्रिस्टीना कुजूर, अवरसचिव, (एनबीए)		(24362106)	सचिव (पेयजल और स्वच्छता) द्वारा अनुमोदन	सरकारी दस्तावेज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नागरिक/ग्राहक चार्टर, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार (2013–14)
सेवा मानक

क्र. सं.	सेवा/ कार्य	भार	सफलता के संकेतक	सेवा मानक	इकाई	भार	ऑकड़ा स्रोत
1.	एनआरडीडब्ल्यूपी:निर्धारित मापदण्ड के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों की समय पर रिलीज।	15.0	मंत्रालय में पूर्ण एवं मिलान किए गए उपयोग प्रमाणपत्र/ एएसए प्राप्त होने की तारीख से लिया गया औसत समय	35	दिन	15.00	मंत्रालय के दस्तावेज
2.	एनआरडीडब्ल्यूपी: केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/ विभागों के साथ पत्राचार।	5.0	मंत्रालय में प्राप्ति की तारीख से लिया गया औसत समय	16	दिन	5.00	मंत्रालय के दस्तावेज
3.	एनआरडीडब्ल्यूपी: एनआरडीडब्ल्यूपी की योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में राज्य सरकार के कार्यालयों और विभागों को सूचना उपलब्ध कराना।	5.0	मंत्रालय में प्राप्ति की तारीख से लिया गया औसत समय	16	दिन	5.00	मंत्रालय के दस्तावेज
4.	एनआरडीडब्ल्यूपी: ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी समस्याओं की विकरालता को कम करने के लिए प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राज्यों को सहायता प्रदान करना।	10.0	मंत्रालय में गृह मंत्रालय का पत्र प्राप्त होने की तारीख से निधि रिलीज आदेश जारी करने के लिए लिया गया औसत समय	23	दिन	10.00	मंत्रालय के दस्तावेज
5.	एनआरडीडब्ल्यूपी: निरीक्षण रिपोर्टों का उत्तर	10.0	मंत्रालय में निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से लिया गया औसत समय	35	दिन	5.00	मंत्रालय के दस्तावेज

नागरिक/ग्राहक चार्टर, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार (2013–14)
सेवा मानक

क्र. सं.	सेवा/ कार्य	भार	सफलता के संकेतक	सेवा मानक	इकाई	भार	ऑकड़ा स्रोत
6.	एनआरडीडब्ल्यूपीः केआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार मुख्य संसाधन केन्द्रों को निधियों की समय पर रिलीज	10.0	मंत्रालय में पूर्ण प्रस्ताव/ उपयोग प्रमाणपत्र/ एएसए प्राप्त होने कीतारीख से लिया गया औसत समय	35	दिन	10.00	मंत्रालय के दस्तावेज
7.	एनआरडीडब्ल्यूपीः अनुसंधान एवं विकास दिशानिर्देशों के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं को आर एंड डी निधियों की समय पर रिलीज।	10.0	मंत्रालय में पूर्ण प्रस्ताव/ उपयोग प्रमाणपत्र/ एएसए प्राप्त होने की तारीख से लिया गया औसत समय	35	दिन	10.00	मंत्रालय के दस्तावेज
8.	एनबीएः राज्यों के माध्यम से जिलों को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत निधियों की समय पर रिलीज	15.0	उपयोग प्रमाणपत्र/ एएसए प्राप्त होने की तारीख से लिया गया औसत समय	35	दिन	15.00	मंत्रालय के दस्तावेज
9.	एनबीएः केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/ विभागों के साथ पत्राचार	5.0	मंत्रालय में प्राप्त होने की तारीख से लिया गया औसत समय	17	दिन	5.00	मंत्रालय के दस्तावेज
10.	एनबीएः एनबीए और एनजीपी योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में राज्य सरकार के कार्यालयों और विभागों को जानकारी उपलब्ध कराना।	5.0	मंत्रालय में प्राप्त होने की तारीख से लिया गया औसत समय	16	दिन	5.00	मंत्रालय के दस्तावेज
11.	निर्मल ग्राम हेतु समुदाय संतृप्ति दृष्टिकोण को अपनाना। निर्मल स्थिति प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या	10.0	निर्मल ग्राम के लिए ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन चिन्हित करने के बाद लिया गया औसत समय।	310	दिन	10.00	मंत्रालय के दस्तावेज
12.	एनबीएः लेखा परीक्षा की टिप्पणियों का उत्तर	5.0	मंत्रालय में प्राप्त होने की तारीख से लिया गया औसत समय	17	दिन	5.00	मंत्रालय के दस्तावेज

नागरिक/ग्राहक चार्टर, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार (2013–14)

शिकायत निवारण तंत्र

शिकायत दर्ज करने के लिए वैबसाइट यूआरएल http://pgportal.gov.in/

क्र. सं.	जन शिकायत अधिकारी का नाम	हैल्पलाइन संख्या	ई–मेल	मोबाइल सं.
1.	श्री सत्यब्रत साहु, संयुक्त सचिव (एनआरडीडब्ल्यूपी)	24361043	jstm@nic.in	
1.	श्री सरस्वती प्रसाद, संयुक्त सचिव (स्वच्छता)	24362705	jstsc@nic.in	

नागरिक/ग्राहक चार्टर, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार (2013–14)
स्टेक होल्डरों/ग्राहकों की सूची

क.सं.	स्टेकहोल्डर/ग्राहक

नागरिक/ग्राहक चार्टर, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार (2013–14)
जिम्मेवारी के केन्द्र और अधीनस्थ संगठन

क्र. सं.	जिम्मेवारी के केन्द्र और अधीनस्थ संगठन	दूरभाष सं.	ई–मेल	मोबाइल सं.	पता

नागरिक / ग्राहक चार्टर, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार (2013–14)
सेवाप्राप्तकर्त्ताओं से प्राप्त संकेतात्मक अपेक्षाएं

क.स.	संकेतात्मक अपेक्षाएँ

अनुलग्नक – X

सत्यमेव जयते

आर एफ डी

(परिणाम–कार्यढाँचा दस्तावेज)

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

(2014–2015)

भाग 1:
विजन, मिशन, उद्देश्य और कार्य

विजनः

ग्रामीण भारत में सभी को हमेशा स्वच्छ पेयजल और उन्नत स्वच्छता मुहैय्या कराना।

मिशनः

यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना, कि ग्रामीण आबादी की स्वच्छ एवं स्थायी पेयजल तथा उन्नत स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच हो तथा वे इसका प्रयोग करते हों जिसके लिए राज्यों को इन आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने में उनके प्रयासों को सहायता दी जाती है।

उद्देश्यः

1. सभी ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल तक पहुँच होने तथा उसके प्रयोग करने हेतु समर्थ बनाना।
2. सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालयों की सुविधा होने और उनके प्रयोग हेतु समर्थ बनाना।
3. यह सुनिश्चित करना कि सभी सरकारी विद्यालयों और आंगनवाड़ियों में स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हों।
4. पेयजल स्रोतों एवं प्रणालियों का स्थायित्व सुनिश्चित करना।
5. पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम पंचायतों/ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों, अन्य स्थानीय समितियों, स्व–सहायता समूहों तथा अन्य समूहों को उनके गांवों में अपने लिए पेयजल स्रोतों एवं प्रणालियों तथा स्वच्छता का प्रबंधन करने के लिए सहायता एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना।
6. पारदर्शिता लाने तथा जानकारी से युक्त निर्णय लेने की प्रक्रिया में सार्वजनिक डोमेन में जानकारी दर्ज करने के साथ ऑन लाइन तंत्र के माध्यम से सूचना तक पहुँच उपलब्ध कराना।
7. ग्रामीण समुदायों द्वारा ''जल गुणवत्ता'' की मॉनिटरिंग करना एवं अपने जल स्रोतों की निगरानी करना।
8. जागरूकता सृजन एवं सूचना का प्रचार–प्रसार।
9. पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं के प्रावधान हेतु पारिस्थितिकी–अनुकूलन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग।

भाग 1:
विजन, मिशन, उद्देश्य और कार्य

कार्य

1. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों की योजना तैयार करना, राज्यों को वित्तीय तथा तकनीकी सुविधा प्रदान करना तथा जाँच करना।

2. सभी राज्यों के साथ निर्धारित अवधि में कार्यनिष्पादन समीक्षा करना।

3. पेयजल तथा स्वच्छता के क्षेत्र में सभी शेयरधारकों को आर एण्ड डी, आईईसी तथा एचआरडी गतिविधियों में उपलब्ध कराना।

4. प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राज्यों को सहायता प्रदान करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी समस्याओं को कम किया जा सके।

5. ग्रामीण समुदायों के लिए स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु हमारे साझे प्रयास में अन्य क्षेत्रों के भागीदारों, संगठनों, यूएन तथा द्विपक्षीय एजेंसियों, एनजीओ, आरएण्डडी संस्थाओं, मुख्य संसाधन केन्द्रों के साथ साझेदारी स्थापित करके प्रयासों में तेजी लाना।

6. बाह्य वित–पोषण एजेन्सियों के माध्यम से संसाधन जुटाने के लिए राज्यों को सक्षम बनाना।

7. सेमिनारों, आपसी वार्ता, उत्कृष्ट कार्य प्रणालियों और नवोन्मेषी उपायों का प्रलेखीकरण करके राज्यों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।

8. अन्य विभागों/मंत्रालयों की व्यय वित्त समिति/ मंत्रिमंडल टिप्पणी अथवा बैठकों में उनकी नीतियों का निर्माण करने के लिए जरूरी इनपुट अथवा टिप्पणी देना।

9. विभाग के अनुदान के लिए मांग करना और उसकी समीक्षा करना, लेखा परीक्षा पर टिप्पणियों, वीआईपी संदर्भों और मंत्रालय के प्रशासनिक कार्यों पर प्रतिक्रिया करना।

10. ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पंचायतों को पहचान देने और उन्हें पुरस्कृत करने हेतु समर्थ बनाना।

भाग 2.

मुख्य उद्देश्यों, सफलता संकेतकों तथा लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएँ

उद्देश्य	भार	कार्य	सफलता का संकेतक	इकाई	भार	लक्ष्य/मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब
(1) सभी ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने एवं उपयोग करने हेतु समर्थ बनाना।	21.00	(1.1) एनआरडीडब्ल्यूपी के अन्तर्गत बजट अनुमान योजना आबंटन की रिलीज	(1.1.1) जारी की गई निधियों के लिए सयय ढॉचा 40% - 30 सितम्बर 67% - 31 दिसम्बर 85 % - 28 फरवरी 99% - 31 मार्च	%	4.00	99	90	80	70	60
		(1.2) आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों की कवरेज	(1.2.1) पर्याप्त स्वच्छ जल आपूर्ति वाली आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों की संख्या	संख्या	4.00	75000	70000	65000	60000	55000
		(1.3) गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की कवरेज	(1.3.1) पर्याप्त स्वच्छ जल आपूर्ति वाली गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की संख्या	संख्या	3.00	20000	18000	16000	14000	12000
		(1.4) पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा से आबादी की कवरेज	(1.4.1) पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा से कवर की गई ग्रामीण आबादी	संख्या करोड़ में	4.00	4.25	4.00	3.75	3.50	3.25
		(1.5) पाइप द्वारा जलापूर्ति से बसावटों की कवरेज	(1.5.1) पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा से कवर की गई ग्रामीण बसावटें	संख्या	3.00	45000	43000	41000	39000	37000
		(1.6) पाइप द्वारा जलापूर्ति से परिवारों की कवरेज	(1.6.1) व्यक्तिगत पाइप कनेक्शनों का प्रावधान	संख्या लाख में	2.00	20.00	19.50	19.00	18.50	18.00

भाग 2. मुख्य उद्देश्यों, सफलता संकेतकों तथा लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएँ										
उद्देश्य	भार	कार्य	सफलता का संकेतक	इकाई	भार	लक्ष्य/मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब
		(1.7) आईएपी जिलों में सौर बिजली द्वारा चालित पाइप द्वारा जलापूर्ति के माध्यम से बसावटों की कवरेज	(1.7.1) आईएपी जिलों में सौर बिजली आधारित पाइप द्वारा जलापूर्ति के माध्यम से कवर की गई बसावटों की संख्या	संख्या	1.00	1400	1200	1000	900	700
(2) सभी परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने एवं उपयोग करने के लिए समर्थ बनाना	10.00	(2.1) पारिवारिक शौचालयों का निर्माण	(2.1.1) निर्मित शौचालयों की संख्या	संख्या लाख में	2.00	50	47	44	41	38
		(2.2) स्वच्छता समूह का निर्माण	(2.2.1) निर्मित स्वच्छता समूहों की संख्या	संख्या	2.00	1500	1400	1300	1200	1100
		(2.3) निर्मल ग्राम हेतु सामुदायिक संतृप्तिबोध दृष्टिकोण अपनाना	(2.3.1) निर्मल स्तर प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या (सभी परियोजना उद्देश्यों को प्राप्त करना)	संख्या	2.00	20000	18000	16000	14000	12000
		(2.4) निर्मल ग्राम पुरस्कार एवं निर्मल भारत अभियान के तहत बजट अनुमान योजना आबंटन की रिलीज	(2.4.1) निधियों को जारी करने के लिए समय–सीमा 40 प्रतिशत– 30 सितम्बर, 67 प्रतिशत– 31 दिसम्बर, 85 प्रतिशत– 28 फरवरी, 99 प्रतिशत– 31 मार्च	प्रतिशत	4.00	99	90	80	70	60

भाग 2. मुख्य उद्देश्यों, सफलता संकेतकों तथा लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएँ										
उद्देश्य	भार	कार्य	सफलता का संकेतक	इकाई	भार	लक्ष्य/मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब
(3) यह सुनिश्चित करना है कि सभी सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध हैं।	5.00	(3.1) शौचालय ब्लॉकों का निर्माण– निर्मित की गई स्कूली इकाइयों की संख्या	(3.1.1) निर्मित की गई स्कूली इकाइयों की संख्या	संख्या लाख में	2.00	0.30	0.25	0.20	0.15	0.10
		(3.2) शौचालय ब्लॉकों का निर्माण– निर्मित की गई आंगनवाडियों की संख्या	(3.2.1) कवर की गई आंगनवाडियों की संख्या	संख्या	2.00	18000	15000	12000	9000	6000
		(3.3) जलापूर्ति की सुविधा से कवर किए गए स्कूलों की संख्या	(3.3.1) कवर किए गए स्कूलों की संख्या	संख्या	1.00	5000	4500	4000	3500	3000
(4) पेयजल स्रोतों और प्रणालियों का स्थायित्व सुनिश्चित करना	4.00	(4.1) स्थायित्व ढांचों का निर्माण	(4.1.1) स्थायित्व ढांचों की संख्या	संख्या	2.00	15000	14000	13000	12000	11000
		(4.2) गांवों को पाइप द्वारा जलापूर्ति की योजनाएँ पंचायतों को सुपुर्द करना	(4.2.1) पंचायतों को सुपुर्द की गई पाइप द्वारा जलापूर्ति की योजनाओं की संख्या	संख्या	1.00	80000	75000	70000	65000	60000
		(4.3) पेयजल स्कीमों का प्रबंधन करने में वीडब्लूएससी और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को प्रशिक्षण देना	(4.3.1) प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके वीडब्लूएससी और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की संख्या	संख्या	1.00	230000	220000	210000	200000	1900000

भाग 2. मुख्य उद्देश्यों, सफलता संकेतकों तथा लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएँ										
उद्देश्य	भार	कार्य	सफलता का संकेतक	इकाई	भार	लक्ष्य/मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब
5. पंचायती राज संस्थाओं, पेयजल स्रोतों और प्रणालियों एवं स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का अपने गांवों में स्वयं प्रबंधन कर सकें	13.50	(5.1) एनआरडीडब्ल्यू प्रशिक्षण कार्यक्रम	(5.1.1) विधियों का उपयोग	%	0.50	99	90	80	70	60
		(5.3) एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत एचआरडी गतिविधियां– राज्यों में क्षेत्र पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन कार्यशालाएं	(5.3.1) राज्यों में क्षेत्र पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन कार्यशालाएं	सं.	1.00	5	4	3	2	1
		(5.4) एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत एचआरडी गतिविधियाँ – क्षेत्रों में शुरू किए गए क्षेत्र स्तरीय अनुभव भागदारी प्रदर्शन दौरे	(5.4.1) क्षेत्रों में शुरू किए गए क्षेत्र स्तरीय अनुभव भागदारी प्रदर्शन दौरे	सं.	1.00	6	5	4	3	2
		(5.5) एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत एचआरडी गतिविधियाँ – आयोजित राष्ट्रीय/ क्षेत्र स्तरीय कार्यशालाएं/ सेमिनार	(5.5.1) आयोजित राष्ट्रीय/ क्षेत्र स्तरीय कार्यशालाएं/ सेमिनार	सं.	1.50	5	4	3	2	1

भाग 2. मुख्य उद्देश्यों, सफलता संकेतकों तथा लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएँ										
उद्देश्य	भार	कार्य	सफलता का संकेतक	इकाई	भार	लक्ष्य/मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब
		(5.6) एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत एचआरडी गतिविधियां – आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशालाएं/सेमिनार	(5.6.1) आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशालाएं/सेमिनार	सं.	1.00	5	4	3	2	1
		(5.7) एनबीए के अंतर्गत एचआरडी कार्यशालाएं – राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं।	(5.7.1) राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं।	सं.	4.00	5	4	3	2	1
		(5.8) एनबीए के अंतर्गत एचआरडी कार्यशालाएं – राज्यों के लिए कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित किए गए।	(5.8.1) राज्यों के लिए कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित किए गए (संख्या 3)	सं.	3.00	01.02.2015	15.02.2015	28.02.2015	15.03.2015	30.03.2015

भाग 2. मुख्य उद्देश्यों, सफलता संकेतकों तथा लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएँ										
उद्देश्य	भार	कार्य	सफलता का संकेतक	इकाई	भार	लक्ष्य/मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब
(6) पारदर्शिता लाने एवं प्रबुद्ध निर्णय लेने की प्रकिया हेतु पब्लिक डोमेन में सूचना डालने सहित ऑन लाइन रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराना	4.00	(6.1) वार्षिक कार्य योजना लक्ष्यों (सभी घटकों) के लिए 31 मई, 2014 तक ऑनलाइन डाटा अनुसूची के अनुसार डाटा प्रविष्टि करने वाले राज्यों का प्रतिशत	(6.1.1) 31 मई, 2014 तक किया जाना है।	%	1.00	80	70	60	55	50
		(6.2) आरडब्ल्यूएस प्रत्येक महीने की 17 तारीख तक प्रगति को नियमित रूप से अद्यतन करना। अनुसूची के अनुसार प्रविष्टि करने वाले जिलों का प्रतिशत	(6.2.1) आगामी महीने की 17 तारीख तक किया जाना है।	%	1.50	80	70	60	55	50

भाग 2. मुख्य उद्देश्यों, सफलता संकेतकों तथा लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएँ										
उद्देश्य	भार	कार्य	सफलता का संकेतक	इकाई	भार	लक्ष्य/मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब
		(6.3) स्वच्छता– प्रत्येक महीने की 17 तारीख तक प्रगति को नियमित रूप से अद्यतन करना। अनुसूची के अनुसार प्रविष्टि करने वाले जिले	(6.3.1) आगामी महीने की 17 तारीख तक किया जाना है।	%	1.50	80	70	60	55	50
(7) ग्रामीण समुदायों को उनके पेयजल स्रोतों की जाँच करने और उस पर निगरानी रखने में सबल बनाना	6.00	(7.1) जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए ग्राम स्तर पर व्यक्तियों का प्रशिक्षण	(7.1.1) फील्ड जांच किटों का प्रयोग करते हुए जल गुणवत्ता की निगरानी करने हेतु प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	संख्या	1.00	400000	390000	380000	370000	360000
		(7.2) जिला और उप प्रभागीय स्तरों पर गुणवत्ता के लिए जांचे गए जल के नमूनों की संख्या	(7.2.1) गुणवत्ता संबंधी परीक्षणों की संख्या	संख्या लाख में	1.00	25	24	23	22	21
		(7.3) उन बसावटों की संख्या जहां कम से कम एक स्रोत का परीक्षण किया गया हो	(7.3.1) उन बसावटों की संख्या जहां स्रोतों का परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के माध्यम से किया गया हो	संख्या लाख में	2.00	5.00	4.75	4.50	4.25	4.00

भाग 2. मुख्य उद्देश्यों, सफलता संकेतकों तथा लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएँ										
उद्देश्य	भार	कार्य	सफलता का संकेतक	इकाई	भार	लक्ष्य/मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब
		(7.4) पंचायत/ ग्राम स्तरों पर गुणवत्ता हेतु जांचे गए जल नमूनों की संख्या	(7.4.1) गुणवत्ता की दृष्टि से की गई जांचों की संख्या	संख्या लाख में	1.00	25	24	23	22	21
		(7.5) स्थापित की गई उप प्रभागीय प्रयोगशालाओं की संख्या	(7.5.1) स्थापित की गई प्रयोगशालाओं की संख्या	संख्या	1.00	250	225	200	175	150
(8) जागरूकता सृजन और सूचना का प्रचार–प्रसार	19.50	(8.1)आईईसी गतिविधियां (एनआरडीडब्ल्यूपी) निधियों का उपयोग	(8.1.1) निधियों का उपयोग	%	0.50	99	90	80	70	60
		(8.2) आईईसी गतिविधियां (एनआरडीडब्ल्यूपी) – रेडियों पर स्वच्छ जल पर जागरूकता अभियान शुरू करना	(8.2.1) रेडियों पर स्वच्छ जल पर जागरूकता अभियान शुरू करना	तारीख	1.00	15.09.2014	01.10.2014	15.10.2014	01.11.2014	15.11.2014
		(8.3) आईईसी गतिविधियां (एनआरडीडब्ल्यूपी) – दूरदर्शन पर स्वच्छ जल पर जागरूकता अभियान शुरू करना	(8.3.1) दूरदर्शन पर स्वच्छ जल पर जागरूकता अभियान शुरू करना	तारीख	1.00	15.09.2014	01.10.2014	15.10.2014	01.11.2014	15.11.2014

भाग 2. मुख्य उद्देश्यों, सफलता संकेतकों तथा लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएँ										
उद्देश्य	भार	कार्य	सफलता का संकेतक	इकाई	भार	लक्ष्य/मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब
		(8.4) आईईसी गतिविधियां (एनआरडीडब्ल्यूपी) – राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल जागरूकता सप्ताह का स्मरणोत्सव	(8.4.1) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल जागरूकता सप्ताह का स्मराणोत्सव	तारीख	1.00	15.03.2015	18.03.2015	21.03.2015	24.03.2015	27.03.2015
		(8.5) एमएंडई गतिविधियां (एनआरडीडब्ल्यूपी) – मूल्यांकन अध्ययन शुरू किए गए	(8.5.1) मूल्यांकन अध्ययन शुरू किए गए	तारीख	1.00	01.02.2015	15.02.2015	28.02.2015	15.03.2015	30.03.2015
		(8.6) एमएंडई गतिविधियां (एनआरडीडब्ल्यूपी) – सचिव एवं संयुक्त सचिव द्वारा राज्यों के साथ समीक्षा दौरे	(8.6.1) सचिव एवं संयुक्त सचिव द्वारा राज्यों के साथ समीक्षा दौरे	सं.	1.00	20	18	16	14	12
		(8.7) एम एंड एमई गतिविधियां (एनआरडीडब्ल्यूपी) – राज्यों के साथ समीक्षा बैठकें	(8.7.1) राज्यों के साथ समीक्षा बैठकें	सं.	1.00	7	6	5	4	3

भाग 2. मुख्य उद्देश्यों, सफलता संकेतकों तथा लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएँ										
उद्देश्य	भार	कार्य	सफलता का संकेतक	इकाई	भार	लक्ष्य/मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब
		(8.8) प्रलेखीकरण (एनआरडीडब्ल्यूपी) – पाइप द्वारा जलापूर्ति योजनाओं में बेहतर कार्यों का प्रकाशन, आरडब्ल्यूएस योजनाओं में सामुदायिक भागीदारी, बीआरसी और सीआरसी पर मैनुअल तथा अन्य विभागीय मैनुअल/प्रलेख	(8.8.1) पाइप द्वारा जलापूर्ति योजनाओं में बेहतर कार्यों का प्रकाशन, आरडब्ल्यूएस योजनाओं में सामुदायिक भागीदारी, बीआरसी और सीआरसी पर मैनुअल तथा अन्य विभागीय मैनुअल/प्रलेख	तारीख	1.00	01.02.2015	15.02.2015	28.02.2015	15.03.2015	30.03.2015
		(8.9) आईईसी गतिविधियां (एनबीए) – संचार कार्यनीति/ मीडिया योजना तैयार करना	(8.9.1) संचार कार्यनीति/ मीडिया योजना तैयार करना	तारीख	5.00	15.09.2014	30.09.2014	15.10.2014	31.10.2014	15.11.2014
		(8.10) आईसी गतिविधियां (एनबीए) – निधियों का उपयोग	(8.10.1) निधियों का उपयोग	%	2.00	99	90	80	70	60
		(8.11) प्रलेखीकरण (एबीए) – ग्रामीण स्वच्छता पर केस अध्ययनों/ बेहतर कार्यों/ नीतिगत मुद्दों का प्रकाशन	(8.11.1) ग्रामीण स्वच्छता पर केस अध्ययनों/ बेहतर कार्यों/ नीतिगत मुद्दों का प्रकाशन	तारीख	1.00	01.02.2015	15.02.2015	28.02.2015	15.03.2015	30.03.2015

भाग 2. मुख्य उद्देश्यों, सफलता संकेतकों तथा लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएँ										
उद्देश्य	भार	कार्य	सफलता का संकेतक	इकाई	भार	लक्ष्य/मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब
		(8.12) एम एंड ई (एनबीए) – अध्ययन शुरू करना	(8.12.1) अध्ययन शुरू करना	तारीख	1.50	01.02.2015	15.02.2015	28.02.2015	15.03.2015	30.03.2015
		(813) एम एंड ई (एनबीए) – एनबीए दिशा निर्देशों की समीक्षा	(813.1) एनबीए दिशा निर्देशों की समीक्षा	तारीख	1.00	15.09.2014	01.10.2014	15.10.2014	01.11.2014	15.11.2014
		(8.14) एम एंड ई (एनबीए) – ग्रामीण स्वच्छता में हुई प्रगति का आकलन करने हेतु समीक्षा बैठकें तथा सही उपाय करना	(8.14.1) ग्रामीण स्वच्छता में हुई प्रगति का आकलन करने हेतु समीक्षा बैठकें तथा सही उपाय करना	सं.	0.50	5	4	3	2	1
		(8.15) एम एंड ई (एनबीए) – राज्यों में समीक्षा बैठकें	(8.15.1) राज्यों में समीक्षा बैठकें	सं.	1.50	6	5	4	3	2
(9) पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं के लिए पारिस्थितिकी अनुकूलन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग	2.00	(9.1) आर एंड डी गतिविधियों (एनआरडीडब्ल्यू पी) – अनुमोदित परियोजनाएं	(9.1.1) आरएंडडी गतिविधियां (एनआरडीडब्ल्यूपी) – आर एंड डी अनुमोदित परियोजनाए	सं.	1.00	5	4	3	2	1
		(9.2) अनुसंधान एवं विकास (एनबीए) – ग्रामीण स्वच्छता में अभिनव पहलों पर अनुमोदित परियोजनाएं/ कम लागत	(9.2.1) एनबीए के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां – ग्रामीण स्वच्छता में अभिनव पहलों पर अनुमोदित परियोजनाएं/ कम लागत वाली	तारीख	2.00	01.02.2015	15.02.2015	28.02.2015	15.03.2015	30.03.2015

भाग 2.
मुख्य उद्देश्यों, सफलता संकेतकों तथा लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएँ

उद्देश्य	भार	कार्य	सफलता का संकेतक	इकाई	भार	लक्ष्य/मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब
		वाली स्वच्छता प्रौद्योगिकियों पर अनुमोदित परियोजनाएं	स्वच्छता प्रौद्योगिकियों पर अनुमोदित परियोजनाएं							
*आरएफडी प्रणाली का कुशल परिचालन	3.00	अनुमोदन हेतु (आरएफडी 2015–16) मसौदे को समय पर प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुतीकरण	तारीख	2.0	05.03.2015	06.03.2015	09.03.2015	10.03.2015	11.03. 2015ल
		2013–14 के परिणामों का समय से प्रस्तुतीकरण	समय पर प्रस्तुतीकरण	तारीख	1.0	01.05.2014	02.05.2014	03.05.2014	06.05.2014	07.05.2014
*मंत्रालय/ विभाग की आन्तरिक दक्षता / अनुक्रियाशीलता / पारदर्शिता/ सेवा सुपुर्दगी में सुधार करना	3.00	नागरिक/ ग्राहक चार्टर (सीसीसी) के कार्यान्वयन का स्वतंत्र रूप से लेखा परीक्षण	सीसीसी में प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन की प्रतिशत	%	2.0	100	95	90	85	80
		लोक शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन का स्वतंत्र रूप से लेखा परीक्षण	जीआरएम के कार्यान्वयन में सफलता का प्रतिशत	%	1.0	100	95	90	85	80
प्रशासनिक सुधार	8.00	संशोधित प्राथमिकताओं के साथ मिलान करने हेतु विभागीय कार्यनीति को अद्यतन करना	तारीख	तारीख	2.0	01.11.2014	02.11.2014	03.11.2014	04.11.2014	05.11.2014

भाग 2. मुख्य उद्देश्यों, सफलता संकेतकों तथा लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएँ										
उद्देश्य	भार	कार्य	सफलता का संकेतक	इकाई	भार	लक्ष्य/मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब
		भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने के लिए राहत पहुँचाने वाली कार्यनीतियों का कार्यान्वयन	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	1.0	100	90	80	70	60
		अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार आईएसओ 9001 का कार्यान्वयन	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	2.0	100	95	90	85	80
		आरएफएमएस में आरएफडी के साथ जिम्मवारी केन्द्रों का प्रतिशत	कवर किए गए जिम्मेवारी केन्द्र	%	1.0	100	95	90	85	80
		नवोन्मेषी कार्य योजना (आईएपी) को कार्यान्वित करना	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	2.0	100	90	80	70	60
*वित्तीय जिम्मेवारी फ्रेमवर्क के साथ अनुपालन में सुधार	1.00	सी एंड एजी के आडिट पैरा पर एटीएन का समय पर प्रस्तुतीकरण	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से तय तारीख (4 माह) के भीतर प्रस्तुत की गई एटीएन का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	60

भाग 2. मुख्य उद्देश्यों, सफलता संकेतकों तथा लक्ष्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएँ										
उद्देश्य	भार	कार्य	सफलता का संकेतक	इकाई	भार	लक्ष्य/मापदण्ड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब
		पीएसी रिपोर्टों पर पीएसी सचिवालय को एटीआर को समय पर प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से तय तारीख (6 माह) के भीतर प्रस्तुत की गई एटीआरएएस का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	60
		31.03.2014 के पूर्व संसद को प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों पर अनुवर्ती एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया एटीएन का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	60
		31.03.2014 के पूर्व संसद को प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों पर अनिर्णीत एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए और बकाया एटीआर का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	60

* अनिवार्य उद्देश्य

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के लिए परिणाम–कार्यढांचा दस्तावेज (आरएफडी) – (2014–15)

भाग–3 सफलता संकेतकों का रूझान मूल्य								
उद्देश्य	**कार्य**	**सफलता का संकेतक**	**इकाई**	**वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वास्तविक मूल्य**
(1) सभी ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने एवं उपयोग करने हेतु समर्थ बनाना।	(1.1) एनआरडीडब्लूपी के अन्तर्गत बजट अनुमान योजना आबंटन जारी करना	(1.1.1) जारी की गई निधियों के लिए सयय ढॉचा 40% - 30 सितम्बर 67% - 31 दिसम्बर 85 % - 28 फरवरी 99% - 31 मार्च	%	100	99.90	99	99	99
	(1.2) आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों की कवरेज	(1.2.1) पर्याप्त स्वच्छ जल आपूर्ति वाली आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों की संख्या	संख्या	112898	117399	75000	70000	65000
	(1.3) गुणवत्ता प्रभावित बसावटों का कवरेज	(1.3.1) पर्याप्त स्वच्छ जल आपूर्ति वाली गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की संख्या	संख्या	19397	22000	20000	18000	16000
	(1.4) पाइप द्वारा जलापूर्ति सहित आबादी का कवरेज	(1.4.1) पाइप द्वारा जलापूर्ति से कवर की गई ग्रामीण आबादी	संख्या करोड़ में	4.83	4.25	4.25	4.25	4.25
	(1.5) पाइप द्वारा जलापूर्ति सहित बसावटों का कवरेज	(1.5.1) पाइप द्वारा जलापूर्ति से कवर की गई ग्रामीण बसावटें	संख्या	–	40000	45000	50000	55000

भाग–3 सफलता संकेतकों का रूझान मूल्य								
उद्देश्य	**कार्य**	**सफलता का संकेतक**	**इकाई**	**वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वास्तविक मूल्य**
	(1.6) पाइप द्वारा जलापूर्ति सहित परिवारों का कवरेज	(1.6.1) व्यक्तिगत पाइप कनेक्शनों का प्रावधान	संख्या लाखों में	–	3.0	20.00	20.00	20.00
	(1.7) आईएपी जिलों में सौर ऊर्जा पर आधारित पाइप द्वारा जलापूर्ति सहित बसावटों का कवरेज	(1.7.1) आईएपी जिलों में सौर ऊर्जा पर आधारित पाइप द्वारा जलापूर्ति से कवर की गई बसावटों की संख्या	संख्या	–	800	1400	1400	1400
(2) सभी परिवारों को पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं उपयोग करने हेतु समर्थ बनाना।	(2.1) पारिवारिक शौचालयों का निर्माण	(2.1.1) बनाए गए शौचालयों की संख्या	संख्या लाखों में	45.59	4800	50	50	50
	(2.2) स्वच्छता समूहों का निर्माण	(2.2.1) बनाए गए स्वच्छता समूहों की संख्या	संख्या	–	1500	1500	1500	1500
	(2.3) निर्मल ग्राम हेतु सामुदायिक संतृप्तिबोध दृष्टिकोण अपनाना	(2.3.1) निर्मल स्थिति प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या (सभी परियोजनाओं, उद्देश्यों को प्राप्त करना)	संख्या	17346	20000	20000	20000	20000

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के लिए परिणाम–कार्यढांचा दस्तावेज (आरएफडी) – (2014–15)

भाग–3 सफलता संकेतकों का रूझान मूल्य								
उद्देश्य	**कार्य**	**सफलता का संकेतक**	**इकाई**	**वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वास्तविक मूल्य**
	(2.4) एनजीपी तथा एनबीए के अंतर्गत बजट अनुमान योजना के आबंटन को जारी करना	(2.4.1) निधियों के जारी करने की समय सीमा 40% - 30 सितम्बर 67% - 31 दिसम्बर 85 % - 28 फरवरी 99% - 31 मार्च	%	99.92	97.86	99	99	99
(3) सभी सरकारी स्कूलों तथा आंगनवाडियों को उपयोग योग्य शौचालयों, मूत्रालयों एवं स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान करना सुनिश्चित करना	(3.1) शौचालय ब्लॉक का निर्माण– कवर की गई स्कूली एककों की संख्या	(3.1.1) कवर किए गए स्कूली एककों की संख्या	संख्या लाख में	0.76	0.37	0.30	0.25	0.25
	(3.2) शौचालय ब्लॉक का निर्माण– कवर की गई आंगनवाडियों की संख्या	(3.2.1) कवर किए गए आंगनवाडियों की संख्या	संख्या	36677	22000	18000	18000	18000
	(3.3) जलापूर्ति से कवर किए गए स्कूलों की संख्या	कवर किए गए स्कूलों की संख्या	संख्या	37358	5000	5000	–	–
(4) पेयजल स्रोतों तथा प्रणालियों की निरंतरता सुनिश्चित करना	(4.1) दीर्घकालिक ढांचा निर्माण	(4.1.1) बनाए गए दीर्घकालिक ढांचों की संख्या	संख्या	28219	20000	15000	15000	10000

भाग–3 सफलता संकेतकों का रूझान मूल्य								
उद्देश्य	**कार्य**	**सफलता का संकेतक**	**इकाई**	**वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वास्तविक मूल्य**
	(4.2) ग्रामीण पाइप द्वारा जलापूर्ति योजनाओं को पंचायतों को सौंपना	(4.2.1) पंचायतों को सौंपे गए पाइप द्वारा जलापूर्ति योजनाओं की संख्या	संख्या	113175	80000	80000	80000	80000
	(4.3) पेयजल योजनाओं के प्रबंधन के लिए वीडब्लूएससी तथा पीआरआई सदस्यों को प्रशिक्षण	(4.3.1) प्रशिक्षित वीडब्लूएससी तथा पीआरआई सदस्यों की संख्या	संख्या	456077	200000	23000	24000	25000
5. पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम पंचायतों/ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों, अन्य स्थानीय समुदायों, स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य समूहों को उनके गावों में उनके निजी पेयजल स्रोतों और प्रणालियों तथा स्वच्छता के लिए सुलभ सहायता एवं पर्यावरण उपलब्ध कराना।	(5.1) एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत एचआरडी गतिविधियां	(5.1.1) निधियों का उपयोग	%	98	99	99	99	99
	(5.2) एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत एचआरडी गतिविधियां– एचआरडी गतिविधि के लिए मुख्य संसाधन केन्द्रों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	(5.2.1) एचआरडी गतिविधि के लिए मुख्य संसाधन केन्द्रों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	सं.	50	75	85	10	100

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के लिए परिणाम–कार्यढांचा दस्तावेज (आरएफडी) – (2014–15)

भाग–3 सफलता संकेतकों का रूझान मूल्य								
उद्देश्य	**कार्य**	**सफलता का संकेतक**	**इकाई**	**वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वास्तविक मूल्य**
	(5.3) एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत एचआरडी गतिविधियां– राज्यों में क्षेत्र पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन कार्यशालाएं	(5.3.1) राज्यों में क्षेत्र पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन कार्यशालाएं	सं.	5	5	5	5	5
	(5.4) एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत एचआरडी गतिविधियां–क्षेत्रों में शुरू किए गए क्षेत्र स्तरीय अनुभव भागीदारी प्रदर्शन दौरे	(5.4.1) क्षेत्रों में शुरू किए गए क्षेत्र स्तरीय अनुभव भागीदारी प्रदर्शन दौरे	सं.	—	—	6	6	6
	(5.5) एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत एचआरडी गतिविधिया ं – आयोजित राष्ट्रीय / क्षेत्र स्तरीय कार्यशालाएं / सेमिनार	(5.5.1) आयोजित राष्ट्रीय / क्षेत्र स्तरीय कार्यशालाएं / सेमिनार	सं.	5	5	5	5	5

भाग–3 सफलता संकेतकों का रूझान मूल्य								
उद्देश्य	**कार्य**	**सफलता का संकेतक**	**इकाई**	**वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वास्तविक मूल्य**
	(5.6) एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत एचआरडी गतिविधियां – आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशालाएं/ सेमिनार	(5.6.1) आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशालाएं/ सेमिनार	सं.	5	5	5	5	5
	(5.7) एनबीए के अंतर्गत एचआरडी कार्यशालाएं – राष्ट्रीय/ क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं।	(5.7.1) राष्ट्रीय/ क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं।	सं.	5	5	5	5	5
	(5.8) एनबीए के अंतर्गत एचआरडी कार्यशालाएं – राज्यों के लिए कार्यशालाएं/ सेमिनार आयोजित किए गए।	(5.8.1) राज्यों के लिए कार्यशालाएं/ सेमिनार आयोजित किए गए (संख्या 3)	तारीख	01.02.2013	01.02.2014	01.02.2015	01.02.2016	01.02.2017
(6) पारदर्शिता लाने एवं सूचित निर्णय लेने की प्रक्रिया हेतु पब्लिक डोमेन में सूचना डालने सहित ऑन लाइन रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से	(6.1) वार्षिक कार्य लक्ष्यों (सभी घटकों) के लिए 31 मई, 2014 तक ऑनलाइन डाटा अनुसूची के अनुसार डाटा प्रविष्टि करने वाले राज्यों का	(6.1.1) 31 मई, 2014 तक किया जाना है।	%	100	80	80	80	80

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के लिए परिणाम–कार्यढांचा दस्तावेज (आरएफडी) – (2014–15)

भाग–3 सफलता संकेतकों का रूझान मूल्य								
उद्देश्य	**कार्य**	**सफलता का संकेतक**	**इकाई**	**वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वास्तविक मूल्य**
सूचना उपलब्ध कराना	प्रतिशत							
	(6.2) आरडब्ल्यूएस प्रत्येक महीने की 17 तारीख तक प्रगति को नियमित रूप से अद्यतन करना। अनुसूची के अनुसार प्रविष्टि कर रहे जिलों का प्रतिशत	(6.2.1) आगामी महीने की 17 तारीख तक किया जाना है।	%	80	80	80	80	80
	(6.3) स्वच्छता –प्रत्येक महीने की 17 तारीख तक प्रगति को नियमित रूप से अद्यतन करना। अनुसूची के अनुसार प्रविष्टि कर रहे जिलों का प्रतिशत	(6.3.1) आगामी महीने की 17 तारीख तक किया जाना है।	%	100	80	80	80	80
(7) ग्रामीण समुदायों को उनके पेयजल स्रोतों के निरीक्षण तथा निगरानी सुनिश्चित करना	(7.1) जल गुणवत्ता जांच के लिए ग्रामीण स्तर पर व्यक्तियों को प्रशिक्षण	(7.1.1) फील्ड टेस्ट किट के प्रयोग से जल गुणवत्ता निगरानी में प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की संख्या	संख्या	422882	100000	400000	400000	400000

भाग–3 सफलता संकेतकों का रूझान मूल्य								
उद्देश्य	**कार्य**	**सफलता का संकेतक**	**इकाई**	**वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वास्तविक मूल्य**
	(7.2) जिला तथा उप जिला स्तर पर गुणवत्ता हेतु जांच किए गए जल के नमूनों की संख्या	(7.2.1) किए गए गुणवत्ता जांच की संख्या	संख्या लाखों में	21.45	10.00	25.00	26.00	27.00
	(7.3) उन बसावटों की संख्या जहां कम से कम एक स्रोत की जांच की गई है	(7.3.1) उन बसावटों की संख्या जहां स्रोतों की जांच प्रयोगशाला जांच द्वारा की गई है	संख्या लाख में	–	4.00	5.00	6.00	7.00
	(7.4) पंचायत/ग्राम स्तर पर गुणवत्ता हेतु जांचे गए जल के नमूनों की संख्या	(7.4.1) गुणवत्ता संबंधी किए गए परीक्षणों की संख्या	संख्या लाख में	29.19	15.00	25.00	26.00	27.00
	(7.5) स्थापित की गई उप प्रभागीय प्रयोगशालाओं की संख्या	(7.5.1) स्थापित की गई प्रयोगशालाओं की संख्या	संख्या	201	200	250	250	100
(8) जागरूकता सृजन और सूचना का प्रचार–प्रसार	(8.1)आईईसी गतिविधियां (एनआरडीडब्ल्यूपी) निधियों का उपयोग	(8.1.1) निधियों का उपयोग	%	99	99	99	99	99

भाग–3 सफलता संकेतकों का रूझान मूल्य								
उद्देश्य	**कार्य**	**सफलता का संकेतक**	**इकाई**	**वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वास्तविक मूल्य**
	(8.2) आईईसी गतिविधियां (एनआरडीडब्ल्यूपी) – रेडियों पर स्वच्छ जल पर जागरूकता अभियान शुरू करना	(8.2.1) रेडियों पर स्वच्छ जल पर जागरूकता अभियान शुरू करना	तारीख	15.09.2012	15.09.2013	15.09.2014	15.09.2015	15.09.2016
	(8.3) आईईसी गतिविधियां (एनआरडीडब्ल्यूपी) – दूरदर्शन पर स्वच्छ जल पर जागरूकता अभियान शुरू करना	(8.3.1) दूरदर्शन पर स्वच्छ जल पर जागरूकता अभियान शुरू करना	तारीख	15.09.2012	15.09.2013	15.09.2014	15.09.2015	15.09.2016
	(8.4) आईईसी गतिविधियां (एनआरडीडब्ल्यूपी) – राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल जागरूकता सप्ताह का स्मरणोत्सव	(8.4.1) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल जागरूकता सप्ताह का स्मराणोत्सव	तारीख	––	––	15.03.2015	15.03.2016	15.03.2017
	(8.5) एम एंड एमई गतिविधियां (एनआरडीडब्ल्यूपी) – मूल्यांकन अध्ययन शुरू किए गए	(8.5.1) मूल्यांकन अध्ययन शुरू किए गए	तारीख	01.02.2013	01.02.2014	01.02.2015	01.02.2016	01.02.2017

भाग–3 सफलता संकेतकों का रूझान मूल्य								
उद्देश्य	**कार्य**	**सफलता का संकेतक**	**इकाई**	**वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वास्तविक मूल्य**
	(8.6) एमएंडई गतिविधियां (एनआरडीडब्ल्यूपी) – सचिव एवं संयुक्त सचिव द्वारा राज्यों के समीक्षा दौरे	(8.6.1) सचिव एवं संयुक्त सचिव द्वारा राज्यों के समीक्षा दौरे	सं.	20	20	20	20	20
	(8.7) एम एंड एमई गतिविधियां (एनआरडीडब्ल्यूपी) – राज्यों के साथ समीक्षा बैठकें	(8.7.1) राज्यों के साथ समीक्षा बैठकें	सं.	7	7	7	7	7
	(8.8) प्रलेखीकरण (एनआरडीडब्ल्यूपी) – पाइप द्वारा जलापूर्ति योजनाओं में बेहतर कार्यों का प्रकाशन, आरडब्ल्यूएस योजनाओं में सामुदायिक भागीदारी, बीआरसी और सीआरसी पर मैनुअल तथा अन्य विभागीय मैनुअल/प्रलेख	(8.8.1) पाइप द्वारा जलापूर्ति योजनाओं में बेहतर कार्यों का प्रकाशन, आरडब्ल्यूएस योजनाओं में सामुदायिक भागीदारी, बीआरसी और सीआरसी पर मैनुअल तथा अन्य विभागीय मैनुअल/प्रलेख	तारीख	01.02.2013	01.02.2014	01.02.2015	01.02.2016	01.02.2017

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के लिए परिणाम–कार्यढांचा दस्तावेज (आरएफडी) – (2014–15)

भाग–3 सफलता संकेतकों का रूझान मूल्य								
उद्देश्य	**कार्य**	**सफलता का संकेतक**	**इकाई**	**वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वास्तविक मूल्य**
	(8.9) आईईसी गतिविधियां (एनबीए) – संचार कार्यनीति/ मीडिया योजना तैयार करना	(8.9.1) संचार कार्यनीति/ मीडिया योजना तैयार करना	तारीख	15.09.2012	15.09.2013	15.09.2014	15.09.2015	15.09.2016
	(8.10) आईईसी गतिविधियां (एनबीए) – निधियों का उपयोग	(8.10.1) निधियों का उपयोग	%	99	99	99	99	99
	(8.11) प्रलेखीकरण (एबीए) – ग्रामीण स्वच्छता पर केस अध्ययनों/ बेहतर कार्यों/ नीतिगत मुद्दों का प्रकाशन	(8.11.1) ग्रामीण स्वच्छता पर केस अध्ययनों/ बेहतर कार्यों/ नीतिगत मुद्दों का प्रकाशन (1 संख्या)	तारीख	01.02.2013	01.02.2014	01.02.2015	01.02.2016	01.02.2017
	(8.12) एम एंड ई (एनबीए) – अध्ययन शुरू करना	(8.12.1) अध्ययन शुरू करना (1 संख्या)	तारीख	01.02.2013	01.02.2014	01.02.2015	01.02.2016	01.02.2017
	(8.13) एम एंड ई (एनबीए) – एनबीए दिशा निर्देशों की समीक्षा	(8.13.1) एनबीए दिशा निर्देशों की समीक्षा	तारीख	15.07.2012	15.09.2013	15.09.2014	15.09.2015	15.09.2016
	(8.14) एम एंड ई (एनबीए) – ग्रामीण स्वच्छता	(8.14.1) ग्रामीण स्वच्छता में हुई प्रगति का	सं.	5	5	5	5	5

भाग–3 सफलता संकेतकों का रूझान मूल्य								
उद्देश्य	**कार्य**	**सफलता का संकेतक**	**इकाई**	**वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वास्तविक मूल्य**
	में हुई प्रगति का आकलन करने हेतु समीक्षा बैठकें तथा सही उपाय करना	आकलन करने हेतु समीक्षा बैठकें तथा सही उपाय करना						
	(8.15) एम एंड ई (एनबीए) – राज्यों में समीक्षा बैठकें	(8.15.1) राज्यों में समीक्षा बैठकें	सं.	6	6	6	6	6
(9) पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं के लिए पारिस्थितिकी अनुकूलन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग	(9.1) आर एंड डी गतिविधियों (एनआरडीडब्ल्यूपी) – अनुमोदित परियोजनाएँ	(9.1.1) आर एंड डी गतिविधियों (एनआरडीडब्ल्यूपी) – आर एंड डी अनुमोदित परियोजनाएँ	सं.	5	5	5	5	5
	(9.2) अनुसंधान एवं विकास (एनबीए) – ग्रामीण स्वच्छता में अभिनव पहलों पर अनुमोदित परियोजनाएं/ कम लागत वाली स्वच्छता प्रौद्योगिकियों पर अनुमोदित परियोजनाएं	(9.2) एनबीए के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां – ग्रामीण स्वच्छता में अभिनव पहलों पर अनुमोदित परियोजनाएं/ कम लागत वाली स्वच्छता प्रौद्योगिकियों पर अनुमोदित परियोजनाएं (2 संख्या)	तारीख	01.02.2013	01.02.2014	01.02.2015	01.02.2016	01.02.2017

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के लिए परिणाम–कार्यढांचा दस्तावेज (आरएफडी) – (2014–15)

भाग–3 सफलता संकेतकों का रूझान मूल्य								
उद्देश्य	**कार्य**	**सफलता का संकेतक**	**इकाई**	**वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वास्तविक मूल्य**
*आरएफडी प्रणाली का कुशल परिचालन	अनुमोदन हेतु (आरएफडी 2015–16) मसौदे को समय पर प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुतीकरण	तारीख	05.03.2013	05.03.2014	05.03.2015	05.03.2016	05.03.2016
	2013–14 के परिणामों का समय से प्रस्तुतीकरण	समय पर प्रस्तुतीकरण	तारीख	01.05.2013	01.05.2014	01.05.2015	01.05.2016	01.05.2017
*मंत्रालय/विभाग की आन्तरिक दक्षता/ अनुक्रियाशीलता / पारदर्शिता/ सेवा अदायगी में सुधार करना	नागरिक/ ग्राहक चार्टर (सीसीसी) के कार्यान्वयन का स्वतंत्र रूप से लेखा परीक्षण	सीसीसी में प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन की प्रतिशत	%	68.00	95	95	—	—
	लोक शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन का स्वतंत्र रूप से लेखा परीक्षण	जीआरएम के कार्यान्वयन में सफलता का प्रतिशत	%	63.74	95	95	–	–
*प्रसाशनिक सुधार	संशोधित प्राथमिकताओं के साथ मिलान करने हेतु विभागीय कार्यनीति को अद्यतन करना	तारीख	तारीख	—	—	01.01.2014	—	—
	भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने के लिए राहत पहुँचाने वाली कार्यनीतियों का कार्यान्वयन	कार्योन्वयन का प्रतिशत	%	100	95	90	—	—

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के लिए परिणाम–कार्यढांचा दस्तावेज (आरएफडी) – (2014–15)

भाग–3 सफलता संकेतकों का रूझान मूल्य								
उद्देश्य	**कार्य**	**सफलता का संकेतक**	**इकाई**	**वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वास्तविक मूल्य**
	अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार आईएसओ 9001 का कार्यान्वयन	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	100	95	95	—	—
	आरएफएमएस में आरएफडी के साथ जिम्मवारी केन्द्रों का प्रतिशत	कवर किए गए जिम्मेवारी केन्द्र	%	—	—	95	—	—
	नवोन्मेषी कार्य योजना (आईएपी) को कार्यान्वित करना	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	—	—	95	—	—
*वित्तीय जिम्मेवारी फ्रेमवर्क के साथ अनुपालन में सुधार	सी एंड एजी के आडिट पैरा पर एटीएन का समय पर प्रस्तुतीकरण	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से तय तारीख (4 माह) के भीतर प्रस्तुत की गई एटीएन का प्रतिशत	%	100	—	90	—	—
	पीएसी रिपोर्टों पर पीएसी सचिवालय को एटीआर को समय पर प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से तय तारीख (6 माह) के भीतर प्रस्तुत की गई एटीआरएएस का प्रतिशत	%	100	—	90	—	—

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के लिए परिणाम–कार्यढांचा दस्तावेज (आरएफडी) – (2014–15)

भाग–3 सफलता संकेतकों का रूझान मूल्य								
उद्देश्य	**कार्य**	**सफलता का संकेतक**	**इकाई**	**वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक मूल्य**	**वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वास्तविक मूल्य**
	31.03.2014 के पूर्व संसद को प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों पर अनुवर्ती एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया एटीएन का प्रतिशत	%	100	––	90	––	––
	31.03.2014 के पूर्व संसद को प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों पर अनिर्णीत एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए और बकाया एटीआर का प्रतिशत	%	100	––	90	––	––

*अनिवार्य उद्देश्य

भाग 4 : प्रथमाक्षर

क्र.सं.	प्रथमाक्षर	विवरण
1.	एफटीके	क्षेत्र परीक्षण किट
2.	जीपी	ग्राम पंचायल
3.	एचजीएम	हाइड्रो जियोमॉरफोलॉजिकल मानचित्र
4.	एचआरडी	मानव संसाधन विकास
5.	आईएपी	समेकित कार्य योजना
6.	आईईसी	सूचना शिक्षा संप्रेषण
7.	केआरसी	ज्ञान संसाधन केन्द्र
8.	एनबीए	निर्मल भारत अभियान
9.	एनजीपी	निर्मल ग्राम पुरस्कार
10.	एनआरडीडब्लूपी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
11.	पीसी	आंशिक रूप से कवर
12.	पीआरआई	पंचायती राज संस्थाएँ
13.	क्यूए	गुणवत्ता प्रभावित

भाग 4 : प्रथमाक्षर

क्र.सं.	प्रथमाक्षर	विवरण
14.	आरडी	अनुसंधान एवं विकास
15.	आरडब्लूएस	ग्रामीण जलापूर्ति
16.	टीएनए	प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन
17.	टीएससी	संपूर्ण स्वच्छता अभियान
18.	वीडब्लूएससी	ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति

भाग 4 : सफलता संकेतकों और प्रस्तावित मापन पद्धति का विवरण और परिभाषा

क्र.सं.	सफलता संकेतक	विवरण	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियाँ
1.	(1.1.1) जारी की गई निधियों के लिए समय–सीमा 40%–30 सितम्बर, 67%–31 दिसम्बर, 85%–28 फरवरी, 99%–31 मार्च	इस संकेतक से मंत्रालय की स्कीम के तहत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा राज्यों को एनआरडीडब्लूपी से संबंधित निधियाँ जारी करने के लिए समय–सीमा तय करने में सहायता मिलेगी।		संकेतक के लिए लक्षित तिथियों की निगरानी	वित्त मंत्रालय द्वारा जैसा निर्धारित किया गया है, तदनुसार, तिथियाँ रखी गई हैं।
2.	(1.2.1) पर्याप्त मात्रा में निरापद पेयजल आपूर्ति की सुविधा से आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों की संख्या	इस संकेतक से उन आंशिक रूप से कवर की गई उन बसावटों की वास्तविक संख्या का मापन हो सकेगा (संरचनागत ढांचा अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है और इसी कारण कम पानी उपलब्ध करा रहा है) जहां निरापद पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक संरचनागत ढांचा उपलब्ध कराया गया है। लक्षित मूल्यों से एक गिरता हुआ रुझान प्राप्त होने की आशा है जो कि और अधिक निरंतरता से संबंधित उपाय किए जा रहे हैं।		राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ जिलों से प्राप्त ऑन लाइन रिपोर्ट	
3.	(1.4.1) पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा से कवर की गई ग्रामीण आबादी	इस संकेतक से उस वास्तविक आबादी का मापन हो सकेगा जिन्हें कि पाइप द्वारा जलापूर्ति के माध्यम से निरापद पेयजल उपलब्ध कराया गया है। लक्षित मूल्यों में बढ़ता हुआ रुझान देखे जाने की उम्मीद है चूंकि और अधिक राज्यों द्वारा पाइप द्वारा जलापूर्ति स्कीमों को शुरू किया जा रहा है।		राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ जिलों से प्राप्त ऑन लाइन रिपोर्ट	

भाग 4 : सफलता संकेतकों और प्रस्तावित मापन पद्धति का विवरण और परिभाषा

क्र.सं.	सफलता संकेतक	विवरण	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियाँ
4.	(1.5.1) पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा से कवर की गई ग्रामीण बसावटें	इस संकेतक से उन ग्रामीण बसावटों की संख्या का मापन हो सकेगा जिन्हें पाइप द्वारा जलापूर्ति के माध्यम से कवर किया गया।		राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ जिलों से प्राप्त ऑन लाइन रिपोर्ट	
5.	(1.6.1) व्यक्तिगत पाइप कनेक्शनों का प्रावधान	इस संकेतक से बसावटों में उन परिवारों की संख्या का मापन हो सकेगा जहां व्यक्तिगत पारिवारिक नल के कनेक्शनों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।		राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ जिलों से प्राप्त ऑन लाइन रिपोर्ट	
6.	(1.7.1) आईएपी जिलों में सौर ऊर्जा आधारित पाइप द्वारा जलापूर्ति के माध्यम से कवर की गई बसावटों की संख्या	इस संकेतक से एनआरडीडब्लूपी और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि के तहत अनुमोदित परियोजना के अंतर्गत कवर की गई बसावटों में सौर आधारित पाइप द्वारा जलापूर्ति से कवर की गई बसावटों की संख्या पता चलती है।		राज्यों द्वारा आईएमआईएस पर ऑन लाइन सूचना	
7.	(2.1.1) निर्मित शौचालयों की संख्या	शौचालयों की सुविधा वाले परिवारों को इस संकेतक की गणना करने के लिए शामिल किया जाएगा।		प्रस्तावित मापन कार्य पद्धति, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ जिलों से प्राप्त ऑन लाइन रिपोर्ट	
8.	(2.2.1) निर्मित किए गए स्वच्छता परिसरों की संख्या	इस संकेतक कार्य की गणना करने हेतु निर्मित किए गए परिसरों की संख्या भी शामिल की जाएगी।		निर्मल ग्राम के लिए चयन की प्रक्रिया के चलते राज्यों से प्राप्त ऑन लाइन रिपोर्टों के माध्यम से निर्मल पंचायतों की पहचान करना।	
9.	(2.3.1) निर्मल ग्राम स्तर प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या (सभी परियोजनाओं/उद्देश्यों को प्राप्त करना)	ऐसी ग्राम पंचायतों को जिनके सभी परिवारों में स्वच्छता सुविधाएँ हैं उन्हें इस संकेतक की गणना हेतु शामिल किया जाएगा।		निर्मल ग्रामों की पहचान, राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई ऑन लाइन रिपोर्टों के आधार पर की जाएगी।	

भाग 4 : सफलता संकेतकों और प्रस्तावित मापन पद्धति का विवरण और परिभाषा

क्र.सं.	सफलता संकेतक	विवरण	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियाँ
10.	(2.4.1) जारी की गई निधियों के लिए समय–सीमा 40%–30 सितम्बर, 67%–31 दिसम्बर, 85%–28 फरवरी, 99%–31 मार्च	इस संकेतक से मंत्रालय से स्कीम के तहत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा राज्यों को एनबीए से संबंधित निधियाँ जारी करने हेतु लगने वाले समय सीमा का पता लगेगा।		संकेतक के लिए लक्षित तिथियों की मॉनीटरिंग	लक्षित तिथियां वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित अनुसार ही हैं।
11.	(3.1.1) कवर की गई स्कूली इकाइयों की संख्या	इस संकेतक से आंगनवाडियों में बनाई गई शौचालय इकाइयों की संख्या का मापन किया जाएगा। इन लक्ष्यों की अनुमोदित परियोजनाओं में पहचान की गई है। जैसे ही इनका कार्यान्वयन किया जाएगा, शेष में कमी आती रहेगी, इस प्रकार से रुझान मूल्यों में गिरावट दिखाई देगी।		राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ जिलों से प्राप्त ऑन लाइन रिपोर्ट	
12.	(3.2.1) कवर की गई आंगनवाड़ियों की संख्या	इस संकेतक से आंगनवाडियों में बनाई गए शौचालय इकाइयों की संख्या का मापन किया जाएगा। इन लक्ष्यों की अनुमोदित परियोजनाओं में पहचान की गई है। जैसे ही इनका कार्यान्वयन किया जाएगा, शेष में कमी आती रहेगी, इस प्रकार से रुझान मूल्यों में गिरावट दिखाई देगी।		राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ जिलों से प्राप्त ऑन लाइन रिपोर्ट	
13.	(3.3.1) कवर की गई स्कूलों की संख्या	इस संकेतक से पीने, शौचालय के उपयोग, हाथ धोने आदि के लिए जलापूर्ति की सुविधा प्रदत्त स्कूलों की संख्या का पता लगेगा। मौजूदा स्कूलों की कवरेज के कारण संकेतक घटता हुआ रुझान दर्शाता है।		राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ जिलों से प्राप्त ऑन लाइन रिपोर्ट	

भाग 4 : सफलता संकेतकों और प्रस्तावित मापन पद्धति का विवरण और परिभाषा

क्र.सं.	सफलता संकेतक	विवरण	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियाँ
14.	(4.1.1) निर्मित स्थाई ढांचों की संख्या	इस संकेतक से निर्मित स्थाई ढांचों की संख्या का मापन होगा। स्थायित्व ढांचों को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेयजल योजनाएं स्कीमों की अभिकल्पित समग्र अवधि के दौरान स्वच्छ पेयजल की सार्वभौमिक पहुंच से निचली श्रेणी में न चली जाएं। पेयजल स्रोतों और योजनाओं का स्थायित्व एक प्रकिया है जो पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में मौजूदा/नई पेयजल आपूर्ति योजनाओं को सुविधा प्रदान करती है, यहां तक कि कमी की अवधि में भी, और इस प्रकिया से भू–जल, सतही जल तथा छत पर वर्षा जल संग्रहण के संयुक्त प्रयोग के माध्यम से इक्विटी, जेंडर, संवेदनशीलता, सुविधा तथा उपभोक्ता की पसंद के मुद्दों का विधिवत समाधान		राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ जिलों से प्राप्त ऑन लाइन रिपोर्ट	
15.	(4.2.1) पंचायतों को सुपुर्द की गई पाइप द्वारा जलापूर्ति स्कीमों की संख्या	इस संकेतक से निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए स्रोतों और स्कीमों के प्रबंधन में पंचायतों को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें सुपुर्द की गई ग्रामीण स्तर की पाइप द्वारा जलापूर्ति की स्कीम		राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ जिलों से प्राप्त ऑन लाइन रिपोर्ट	

भाग 4 : सफलता संकेतकों और प्रस्तावित मापन पद्धति का विवरण और परिभाषा

क्र.सं.	सफलता संकेतक	विवरण	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियाँ
16.	(4.3.1) प्रशिक्षण प्राप्त वीडब्लूएससी और पीआरआई सदस्यों की संख्या	इस संकेतक से पेयजल आपूर्ति स्कीमों का प्रबंधन करने में वीडब्लूएससी और पंचायती राज संस्था के सदस्यों की क्षमताओं में हुई वृद्धि का मापन किया जाएगा।		राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ जिलों से प्राप्त ऑन लाइन रिपोर्ट	
17.	(5.2.1) एचआरडी गतिविधि के लिए मुख्य संसाधन केन्द्रों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	यह संकेतक मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एवं निर्धारित केआरसी द्वारा आयोजित इंजीनियरों, प्रशासकों, पीआरआई प्रतिनिधियों, निचले स्तर के कामगारों आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या का मापन करता है।		इस मंत्रालय के एनबीए प्रभाग के प्रभागों में रिकार्ड रखा गया है।	
18.	(5.5.1) आयोजित राष्ट्रीय क्षेत्र स्तरीय कार्यशालाएं / सेमिनार	यह संकेतक मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/ राज्य स्तर पर आयोजित कार्यशालाओं/सेमिनारों की संख्या का मापन करता है।		इस प्रकार की गतिविधियों की गणना	
19.	(6.1.1) 31 मई, 2014 तक किया जाना	संकेतक राज्यों द्वारा वार्षिक योजना में लक्षित बसावटों के स्कीमवार ऑन लाइन डाटा एन्टरी की तारीख का पता लगाता है।		उन राज्यों के प्रतिशत की उन राज्यों के प्रतिशत की मॉनीटरिंग जो कि आईएमआईएस पर लक्षित तिथि तक सभी घटकों से संबंधित डाटा की एन्टरी करते हैं	
20.	(6.2.1) आगामी माह की 17 तारीख तक किया जाना	संकेतक जिलों द्वारा प्रगति से संबंधित डाटा एन्टरी की तिथि का पता लगाता है।		उन जिलों की प्रतिशत की मॉनीटरिंग जहां कि आईएमआईएस पर लक्षित तिथि तक मासिक रिपोर्ट दर्ज की जाती है।	

भाग 4 : सफलता संकेतकों और प्रस्तावित मापन पद्धति का विवरण और परिभाषा					
क्र.सं.	सफलता संकेतक	विवरण	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियाँ
21.	(6.3.1) आगामी माह की 17 तारीख तक किया जाना	यह संकेतक प्रत्येक माह की 17 तारीख से पहले अथवा 17 तारीख तक वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धि के संबंध में समवर्ती मासिक प्रगति से संबंधित राज्यों से प्राप्त सूचना का मापन करता है।		आईएमआईएस डाटा एन्टरी	
22.	(7.1.1) प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की संख्या	यह संकेतक गांवों के लोगों की संख्या का मापन करता है। ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्रोतों की जल गुणवत्ता की जांच के लिए क्षेत्र परीक्षण किटों का प्रयोग करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। 2.5 लाख पंचायतों में से लगभग प्रत्येक में से 5 व्यक्तियों को देश में प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण, वर्ष 2006–07 में शुरू किया गया। जैसे ही राज्यों द्वारा आईएमआईएस पर अधिक से अधिक पंचायतों से अधिकाधिक संख्या में लोगों को प्रशिक्षित किए जाने संबंधी सूचना दी जाएगी, वैसे ही यह संकेतक सर्वप्रथम बढ़ता हुआ रुझान दर्शाएगा और तत्पश्चात् जब तक कि देश भर की सभी पंचायतों में 5 व्यक्तियों को प्रशिक्षित नहीं कर लिया जाता, तब तक घटता हुआ रुझान दर्शाएगा।		राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ जिलों से प्राप्त ऑन लाइन रिपोर्ट	

भाग 4 : सफलता संकेतकों और प्रस्तावित मापन पद्धति का विवरण और परिभाषा

क्र.सं.	सफलता संकेतक	विवरण	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियाँ
23.	(7.2.1) गुणवत्ता संबंधी की गई जांच परीक्षणों की संख्या	यह संकेतक जिला/उप प्रभागीय प्रयोगशालाओं द्वारा तथा ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर क्षेत्र परीक्षण किटों द्वारा जांच किए गए जल के नमूनों की संख्या का मापन करता है।		राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ जिलों से प्राप्त ऑन लाइन रिपोर्ट	
24.	(7.3.1) बसावटों की संख्या जहां स्रोतों का परीक्षण प्रयोगशाला परीक्षण के माध्यम से किया जाता है	यह संकेतक उन बसावटों की संख्या का मापन करता है जहां कम से कम एक पेयजल स्रोत में परीक्षण का कार्य जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता है।		राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ जिलों से प्राप्त ऑन लाइन रिपोर्ट	
25.	(7.5.1) स्थापित की गई प्रयोगशालाओं की संख्या	यह संकेतक राज्यों द्वारा स्थापित किए गए उप प्रभागीय/ब्लॉक/उप जिला स्तर की प्रयोगशालाओं का मापन करता है।		राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ जिलों से प्राप्त ऑन लाइन रिपोर्टें	
26.	(8.2.1) रेडियो पर निरापद पेयजल पर जागरूकता अभियान की शुरूआत	यह संकेतक ऑडियो (श्रव्य) जागरूकता सृजन अभियान को शुरू करने की तारीख का मापन करता है।		संकेतक के लिए लक्ष्य तारीख की निगरानी	
27.	(8.3.1) टेलीविजन पर निरापद पेयजल पर जागरूकता अभियान की शुरूआत	यह संकेतक वीडियो (दृश्य) जागरूकता सृजन अभियान को शुरू करने की तारीख का मापन करता है।		संकेतक के लिए लक्ष्य तारीख की निगरानी	
28.	(8.6.1) सचिव एवं संयुक्त सचिव द्वारा राज्यों के समीक्षा दौरे	यह संकेतक सचिव / संयुक्त सचिवों द्वारा राज्यों के किए गए समीक्षा दौरों की संख्या का मापन करता है।		प्रस्तावित मापन कार्य पद्धति इस प्रकार की गतिविधियों की गणना की निगरानी	
29.	(8.9.1) संचार कार्यनीति / मीडिया योजना तैयार करना	यह संकेतक ग्रामीण पेयजल के लिए संचार कार्यनीति तैयार करता है और उसका प्रकाशन करता है।		गतिविधियों की गणना	
30.	(9.1.1) एनआरडीडब्ल्यूपी – अनुमोदित आर एण्ड डी परियोजनाएं	यह संकेतक मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या का मापन करता है।		ऐसी परियोजनाओं की गणना	

भाग–5 :
अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य निष्पादन अपेक्षाएं

क्षेत्र का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संगत सफलता संकेतक	आपकी आवश्यकता क्या है ?	आपको इसकी आवश्यकता क्यों है ?	आपकी आवश्यकता कितनी है ?	यदि यह आप प्राप्त नहीं करते हैं तब क्या होता है
केन्द्रीय सरकार		विभाग	ग्रामीण विकास विभाग	(5.5.1) राष्ट्र / क्षेत्र स्तरीय कार्यशालाएं / सेमिनारों का आयोजन किया गया	रिक्त पदों पर व्यक्तियों की तैनाती देने के लिए रिक्त पदों पर व्यक्तियों की तैनाती	ग्रामीण विकास विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण हैं	100 प्रतिशत	कार्य निष्पादन प्रभावित होता है।
			भूमि संसाधन विभाग	(1.4.1) ग्रामीण आबादी को पाइप द्वारा जल आपूर्ति से कवर किया गया।	समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन	जल संरक्षण एवं पुनर्भरण में सहायता करना जिससे कि कवर की गई बसावटों को निचली स्थिति में लौट आने से तथा एएमपी; तथा भू–जल के संदूषण से बचाया जा सके।	100 प्रतिशत	जल के घटते हुए स्तर के कारण कवर की गई बसावटें पूर्व स्थिति में आती रहेंगी।

भाग–5 :
अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य निष्पादन अपेक्षाएं

क्षेत्र का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संगत सफलता संकेतक	आपकी आवश्यकता क्या है ?	आपको इसकी आवश्यकता क्यों है ?	आपकी आवश्यकता कितनी है ?	यदि यह आप प्राप्त नहीं करते हैं तब क्या होता है
				(1.5.1) ग्रामीण आबादी को पाइप द्वारा जल आपूर्ति से कवर किया गया।	समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन	जल संरक्षण एवं पुनर्भरण में सहायता करना जिससे कि कवर की गई बसावटों को निचली स्थिति में लौट आने से तथा एएमपी; तथा भू–जल के संदूषण से बचाया जा सके।	100 प्रतिशत	जल के घटते हुए स्तर के कारण कवर की गई बसावटें पूर्व स्थिति में आती रहेंगी।
			कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	(5.5.1) राष्ट्रीय / क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाओं / सेमिनारों का आयोजन किया गया	रिक्त स्थानों पर व्यतिक्यों की तैनाती	ग्रामीण विकास विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण हैं	100 प्रतिशत	कार्य निष्पादन प्रभावित होता है।
				(5.7.1) राष्ट्रीय / क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाओं / सेमिनारों का आयोजन किया गया	रिक्त स्थानों पर व्यतिक्यों की तैनाती	ग्रामीण विकास विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण है	100 प्रतिशत	कार्य निष्पादन प्रभावित होता है।

भाग–5 :

अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य निष्पादन अपेक्षाएं

क्षेत्र का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संगत सफलता संकेतक	आपकी आवश्यकता क्या है ?	आपको इसकी आवश्यकता क्यों है ?	आपकी आवश्यकता कितनी है ?	यदि यह आप प्राप्त नहीं करते हैं तब क्या होता है
			कृषि एवं सहकारिता विभाग	(1.2.1) उन आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों की संख्या जहां पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल की आपूर्ति उपलब्ध है	जल उत्पादक पद्धतियों का प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन जैसे कि उर्वरक का इष्टतम उपयोग, अत्यधिक सिंचाई में कमी करना, फसलों पर पड़ने वाले दबाव का प्रबंधन करना	पेयजल स्रोतों में रसायनों का अत्यधिक उपयोग एवं रसायनों के जल स्रोतों में घुलकर मिल जाने की स्थिति में कमी लाना	100 प्रतिशत	पेयजल उद्देश्यों के लिए जल की उपलब्धता में कमी होती रहेगी जिसके फलस्वरूप कवर की गई बसावटें पूर्व स्थिति में लौट आएगी। गुणवत्ता से प्रभावित जल के स्रोतों की संख्या बढ़ती जाएगी।

भाग–5 :
अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य निष्पादन अपेक्षाएं

क्षेत्र का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संगत सफलता संकेतक	आपकी आवश्यकता क्या है ?	आपको इसकी आवश्यकता क्यों है ?	आपकी आवश्यकता कितनी है ?	यदि यह आप प्राप्त नहीं करते हैं तब क्या होता है
				(1.3.1) गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की संख्या जहां पर्याप्त मात्रा में निरापद जल की आपूर्ति उपलब्ध है	जल उत्पादक पद्धतियों का प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन जैसे कि उर्वरक का इष्टतम उपयोग, अत्यधिक सिंचाई में कमी करना, फसलों पर पड़ने वाले दबाव का प्रबंधन करना	पेयजल स्रोतों में रसायनों का अत्यधिक उपयोग एवं रसायनों के जल स्रोतों में घुलकर मिल जाने की स्थिति में कमी लाना	100 प्रतिशत	पेयजल उद्देश्यों के लिए जल की उपलब्धता में कमी होती रहेगी जिसके फलस्वरूप कवर की गई बसावटें पूर्व स्थिति में लौट आएगी। गुणवत्ता से प्रभावित जल के स्रोतों की संख्या बढ़ती जाएगी।

भाग–5 :
अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य निष्पादन अपेक्षाएं

क्षेत्र का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संगत सफलता संकेतक	आपकी आवश्यकता क्या है ?	आपको इसकी आवश्यकता क्यों है ?	आपकी आवश्यकता कितनी है ?	यदि यह आप प्राप्त नहीं करते हैं तब क्या होता है
				(1.4.1) पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा से कवर की गई ग्रामीण आबादी	जल उत्पादक पद्धतियों का प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन जैसे कि उर्वरक का इष्टतम उपयोग, अत्यधिक सिंचाई में कमी करना, फसलों पर पड़ने वाले दबाव का प्रबंधन करना	पेयजल स्रोतों में रसायनों का अत्यधिक उपयोग एवं रसायनों के जल स्रोतों में घुलकर मिल जाने की स्थिति में कमी लाना	100 प्रतिशत	पेयजल उद्देश्यों के लिए जल की उपलब्धता में कमी होती रहेगी जिसके फलस्वरूप कवर की गई बसावटें पूर्व स्थिति में लौट आएगी। गुणवत्ता से प्रभावित जल के स्रोतों की संख्या बढ़ती जाएगी।

भाग–5 :
अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य निष्पादन अपेक्षाएं

क्षेत्र का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संगत सफलता संकेतक	आपकी आवश्यकता क्या है ?	आपको इसकी आवश्यकता क्यों है ?	आपकी आवश्यकता कितनी है ?	यदि यह आप प्राप्त नहीं करते हैं तब क्या होता है
				(1.5.1) पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा से कवर की गई ग्रामीण आबादी	जल उत्पादक पद्धतियों का प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन जैसे कि उर्वरक का इष्टतम उपयोग, अत्यधिक सिंचाई में कमी करना, फसलों पर पड़ने वाले दबाव का प्रबंधन करना	पेयजल स्रोतों में रसायनों का अत्यधिक उपयोग एवं रसायनों के जल स्रोतों में घुलकर मिल जाने की स्थिति में कमी लाना	100 प्रतिशत	पेयजल उद्देश्यों के लिए जल की उपलब्धता में कमी होती रहेगी जिसके फलस्वरूप कवर की गई बसावटें पूर्व स्थिति में लौट आएगी। गुणवत्ता से प्रभावित जल के स्रोतों की संख्या बढ़ती जाएगी।

भाग–5 :
अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य निष्पादन अपेक्षाएं

क्षेत्र का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संगत सफलता संकेतक	आपकी आवश्यकता क्या है ?	आपको इसकी आवश्यकता क्यों है ?	आपकी आवश्यकता कितनी है ?	यदि यह आप प्राप्त नहीं करते हैं तब क्या होता है
		मंत्रालय	जल संसाधन मंत्रालय	(1.2.1) आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों में पर्याप्त मात्रा में निरापद पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध कराना	जल भण्डारण, संरक्षण एवं जल के पुनर्भण्डारण के लिए कार्यक्रमों का प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन। स्रोतों के स्थायित्व से संबंधित गतिविधियों में तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण	पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भू एवं सतही जल के स्रोतों की उपलब्धता एवं स्थायित्व सुनिश्चित करना जिससे कि कवरेज के कार्य में सहयोग दिया जा सके और कवर की गई बसावटों को पूर्व स्थिति में लौट आने से बचाया जा सके	100 प्रतिशत	भू–जल एवं सतही जल के स्रोतों की उपलब्धता में कमी आने के कारण बसावटों की कवरेज और जलापूर्ति की निरंतरता को बनाए रखना कठिन हो जाता है

भाग–5 :

अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य निष्पादन अपेक्षाएं

क्षेत्र का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संगत सफलता संकेतक	आपकी आवश्यकता क्या है ?	आपको इसकी आवश्यकता क्यों है ?	आपकी आवश्यकता कितनी है ?	यदि यह आप प्राप्त नहीं करते हैं तब क्या होता है
				(1.3.1) गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में पर्याप्त मात्रा में निरापद पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध कराना	जल भण्डारण, संरक्षण एवं जल के पुनर्भण्डारण के लिए कार्यक्रमों का प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन। स्रोतों के स्थायित्व से संबंधित गतिविधियों में तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण	पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भू एवं सतही जल के स्रोतों की उपलब्धता एवं स्थायित्व सुनिश्चित करना जिससे कि कवरेज के कार्य में सहयोग दिया जा सके और कवर की गई बसावटों को पूर्व स्थिति में लौट आने से बचाया जा सके	100 प्रतिशत	भू–जल एवं सतही जल के स्रोतों की उपलब्धता में कमी आने के कारण बसावटों की कवरेज और जलापूर्ति की निरंतरता को बनाए रखना कठिन हो जाता है

भाग–5 :

अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य निष्पादन अपेक्षाएं

क्षेत्र का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संगत सफलता संकेतक	आपकी आवश्यकता क्या है ?	आपको इसकी आवश्यकता क्यों है ?	आपकी आवश्यकता कितनी है ?	यदि यह आप प्राप्त नहीं करते हैं तब क्या होता है
				(1.4.1) पाइप द्वारा जलापूर्ति से कवर ग्रामीण आबादी	जल भण्डारण, संरक्षण एवं जल के पुनर्भण्डारण के लिए कार्यक्रमों का प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन। स्रोतों के स्थायित्व से संबंधित गतिविधियों में तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण	पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भू एवं सतही जल के स्रोतों की उपलब्धता एवं स्थायित्व सुनिश्चित करना जिससे कि कवरेज के कार्य में सहयोग दिया जा सके और कवर की गई बसावटों को पूर्व स्थिति में लौट आने से बचाया जा सके	100 प्रतिशत	भू–जल एवं सतही जल के स्रोतों की उपलब्धता में कमी आने के कारण बसावटों की कवरेज और जलापूर्ति की निरंतरता को बनाए रखना कठिन हो जाता है

भाग–5 :
अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य निष्पादन अपेक्षाएं

क्षेत्र का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संगत सफलता संकेतक	आपकी आवश्यकता क्या है ?	आपको इसकी आवश्यकता क्यों है ?	आपकी आवश्यकता कितनी है ?	यदि यह आप प्राप्त नहीं करते हैं तब क्या होता है
				(1.5.1) पाइप द्वारा जलापूर्ति से कवर ग्रामीण बसावटें	जल भण्डारण, संरक्षण एवं जल के पुनर्भण्डारण के लिए कार्यक्रमों का प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन। स्रोतों के स्थायित्व से संबंधित गतिविधियों में तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण	पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भू एवं सतही जल के स्रोतों की उपलब्धता एवं स्थायित्व सुनिश्चित करना जिससे कि कवरेज के कार्य में सहयोग दिया जा सके और कवर की गई बसावटों को पूर्व स्थिति में लौट आने से बचाया जा सके	100 प्रतिशत	भू–जल एवं सतही जल के स्रोतों की उपलब्धता में कमी आने के कारण बसावटों की कवरेज और जलापूर्ति की निरंतरता को बनाए रखना कठिन हो जाता है

भाग–5 :
अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य निष्पादन अपेक्षाएं

क्षेत्र का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संगत सफलता संकेतक	आपकी आवश्यकता क्या है ?	आपको इसकी आवश्यकता क्यों है ?	आपकी आवश्यकता कितनी है ?	यदि यह आप प्राप्त नहीं करते हैं तब क्या होता है
			वित्त मंत्रालय	(1.7.1) आईएपी जिलों में सौर ऊर्जा आधारित पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा से कवर की गई बसावटों की संख्या	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से निधियों की रिलीज	परियोजना के कार्यान्वयन और कवरेज प्राप्त करने हेतु	100 प्रतिशत	बसावटों को सौर पंप आधारित पाइप द्वारा जलापूर्ति से कवर नहीं किया जाएगा
राज्य सरकार	सभी राज्य	अन्य	अन्य	(1.2.1) पर्याप्त स्वच्छ जलापूर्ति वाली आंशिक रूप से कवर बसावटों की संख्या	निष्पादन और एएमपी; सूचित	वे कार्यान्वयन एजेंसी हैं	100 प्रतिशत	कार्य निष्पादन प्रभावित होता है

भाग–5 :
अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य निष्पादन अपेक्षाएं

क्षेत्र का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संगत सफलता संकेतक	आपकी आवश्यकता क्या है ?	आपको इसकी आवश्यकता क्यों है ?	आपकी आवश्यकता कितनी है ?	यदि यह आप प्राप्त नहीं करते हैं तब क्या होता है
				(1.3.1) पर्याप्त स्वच्छ जलापूर्ति से कवर गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की संख्या	निष्पादन और एएमपी; सूचित	वे कार्यान्वयन एजेंसी हैं	100 प्रतिशत	कार्य निष्पादन प्रभावित होता है
				(1.4.1) पाइप द्वारा जलापूर्ति से कवर ग्रामीण आबादी	निष्पादन और एएमपी; सूचित	वे कार्यान्वयन एजेंसी हैं	100 प्रतिशत	कार्य निष्पादन प्रभावित होता है

भाग–5 :
अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य निष्पादन अपेक्षाएं

क्षेत्र का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संगत सफलता संकेतक	आपकी आवश्यकता क्या है ?	आपको इसकी आवश्यकता क्यों है ?	आपकी आवश्यकता कितनी है ?	यदि यह आप प्राप्त नहीं करते हैं तब क्या होता है
				(1.5.1) पाइप द्वारा जलापूर्ति से कवर ग्रामीण बसावटें	निष्पादन और एएमपी; सूचित	वे कार्यान्वयन एजेंसी हैं	100 प्रतिशत	कार्य निष्पादन प्रभावित होता है
				(1.6.1) वैयक्तिक पाइप जल कनैक्शनों का प्रावधान	निष्पादन और एएमपी; सूचित	वे कार्यान्वयन एजेंसी हैं	100 प्रतिशत	कार्य निष्पादन प्रभावित होता है
				(1.7.1) सौर आधारित पाइप द्वारा जलापूर्ति वाले आईएपी जिलों में कवर की गई बसावटों की संख्या	निष्पादन और एएमपी; सूचित	वे कार्यान्वयन एजेंसी हैं	100 प्रतिशत	कार्य निष्पादन प्रभावित होता है

भाग–5 :
अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य निष्पादन अपेक्षाएं

क्षेत्र का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संगत सफलता संकेतक	आपकी आवश्यकता क्या है ?	आपको इसकी आवश्यकता क्यों है ?	आपकी आवश्यकता कितनी है ?	यदि यह आप प्राप्त नहीं करते हैं तब क्या होता है
				(2.1.1) निर्मित शौचालयों की संख्या	निष्पादन और एएमपी; सूचित	वे कार्यान्वयन एजेंसी हैं	100 प्रतिशत	कार्य निष्पादन प्रभावित होता है
				(2.2.1) निर्मित स्वच्छता परिसरों की संख्या	निष्पादन और एएमपी; सूचित	वे कार्यान्वयन एजेंसी हैं	100 प्रतिशत	कार्य निष्पादन प्रभावित होता है
				(4.1.1) निर्मित स्थायित्व ढांचों की संख्या	निष्पादन और एएमपी; सूचित	वे कार्यान्वयन एजेंसी हैं	100 प्रतिशत	कार्य निष्पादन प्रभावित होता है

भाग–6 विभाग/मंत्रालय के परिणाम/प्रभाव								
विभाग/मंत्रालय के परिणाम/ प्रभाव	**निम्नलिखित विभागों/मंत्रालयों के साथ इस परिणाम/प्रभाव को प्रभावित करने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेवार**	**सफलता के संकेतक**	**इकाई**	**वित्त वर्ष 2012–13**	**वित्त वर्ष 2013–14**	**वित्त वर्ष 2014–15**	**वित्त वर्ष 2015–16**	**वित्त वर्ष 2016–17**
1. स्वच्छ एवं स्थाई पेयजल आपूर्ति की सुविधा में सुधार	राज्य सरकार, जल संसाधन मंत्रालय; सीजीडब्लूबी; ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी); योजना आयोग; व्यय विभाग; भूमि संसाधन विभाग; स्वास्थ्य मंत्रालय ; पर्यावरण एवं वन मंत्रालय; कृषि मंत्रालय	ग्रामीण आबादी जिसे स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल की सुविधा प्राप्त है (आईएमआईएस के अनुसार बसावटों का प्रतिशत)	%	68.60	75	80	85	90
		पाइप द्वारा जल आपूर्ति की सुविधा प्राप्त ग्रामीण आबादी (आईएमआईएस के अनुसार)	%	41.75	45.00	48.83	52.66	56.49

भाग–6 विभाग/मंत्रालय के परिणाम/प्रभाव								
विभाग/मंत्रालय के परिणाम/ प्रभाव	**निम्नलिखित विभागों/मंत्रालयों के साथ इस परिणाम/प्रभाव को प्रभावित करने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेवार**	**सफलता के संकेतक**	**इकाई**	**वित्त वर्ष 2012–13**	**वित्त वर्ष 2013–14**	**वित्त वर्ष 2014–15**	**वित्त वर्ष 2015–16**	**वित्त वर्ष 2016–17**
		रासायनिक सन्दूषण से मुक्त पेयजल स्रोतों वाली ग्रामीण बसावटें (मार्च, 2014 के अनुसार) राज्यों ने सूचित किया है कि 70,769 बसावटें जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से प्रभावित हैं जैसे कि फ्लोराइड (13082), आर्सेनिक (1397),	%	96.80	97.00	98.00	99.00	100.00

भाग–6 विभाग/मंत्रालय के परिणाम/प्रभाव								
विभाग/मंत्रालय के परिणाम/ प्रभाव	**निम्नलिखित विभागों/मंत्रालयों के साथ इस परिणाम/प्रभाव को प्रभावित करने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेवार**	**सफलता के संकेतक**	**इकाई**	**वित्त वर्ष 2012–13**	**वित्त वर्ष 2013–14**	**वित्त वर्ष 2014–15**	**वित्त वर्ष 2015–16**	**वित्त वर्ष 2016–17**
		लौह (35987), खारापन (17848) तथा नाइट्रेट (2455)। इस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ''पेयजल शोधन प्रौद्योगिकी पर हैंडबुक'' में शोधन प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा दिया गया है।						
		पेयजल आपूर्ति वाले सरकारी ग्रामीण विद्यालय	%	98	100	100	100	100

भाग–6 विभाग/मंत्रालय के परिणाम/प्रभाव								
विभाग/मंत्रालय के परिणाम/ प्रभाव	**निम्नलिखित विभागों/मंत्रालयों के साथ इस परिणाम/प्रभाव को प्रभावित करने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेवार**	**सफलता के संकेतक**	**इकाई**	**वित्त वर्ष 2012–13**	**वित्त वर्ष 2013–14**	**वित्त वर्ष 2014–15**	**वित्त वर्ष 2015–16**	**वित्त वर्ष 2016–17**
2. पेयजल के स्थायित्व में सुधार	जल संसाधन मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	"स्थायित्व ढॉचों की संख्या जिनसे निर्मित पेयजल स्रोतों को लाभ हो रहा है "	सं.	20000	20000	15000	15000	10000
3. सभी ग्रामीण परिवारों में संपूर्ण स्वच्छता की स्थिति प्राप्त करने हेतु उन्हें सबल बनाना	सम्पूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने हेतु सभी ग्रामीण परिवारों को समर्थ बनाना, राज्य सरकार के विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य सरकार के विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राज्य सरकार, मंत्रालय	ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना उद्देश्यों की तुलना में स्वच्छता कवरेज का प्रतिशत	%	72.87	76.69	80.67	84.65	88.62

भाग–6 विभाग/मंत्रालय के परिणाम/प्रभाव								
विभाग/मंत्रालय के परिणाम/ प्रभाव	**निम्नलिखित विभागों/मंत्रालयों के साथ इस परिणाम/प्रभाव को प्रभावित करने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेवार**	**सफलता के संकेतक**	**इकाई**	**वित्त वर्ष 2012–13**	**वित्त वर्ष 2013–14**	**वित्त वर्ष 2014–15**	**वित्त वर्ष 2015–16**	**वित्त वर्ष 2016–17**
		ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पहचाने गए परियोजना उद्देश्यों की तुलना में स्वच्छता कवरेज का प्रतिशत	%	94.57	97.26	99.44	100.00	100.00
		परियोजना उद्देश्यों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में पहचान किए गए सरकारी आंगनवाड़ियों में स्वच्छता कवरेज का प्रतिशत	%	83.79	87.90	91.27	94.63	98.00

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के लिए परिणाम–कार्यढांचा दस्तावेज (आरएफडी) – (2014–15)

भाग–6 विभाग/मंत्रालय के परिणाम/प्रभाव								
विभाग/मंत्रालय के परिणाम/ प्रभाव	**निम्नलिखित विभागों/मंत्रालयों के साथ इस परिणाम/प्रभाव को प्रभावित करने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेवार**	**सफलता के संकेतक**	**इकाई**	**वित्त वर्ष 2012–13**	**वित्त वर्ष 2013–14**	**वित्त वर्ष 2014–15**	**वित्त वर्ष 2015–16**	**वित्त वर्ष 2016–17**
		सम्पूर्ण स्वच्छता में कार्यरत निर्मल ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	%	18	26	34	42	50

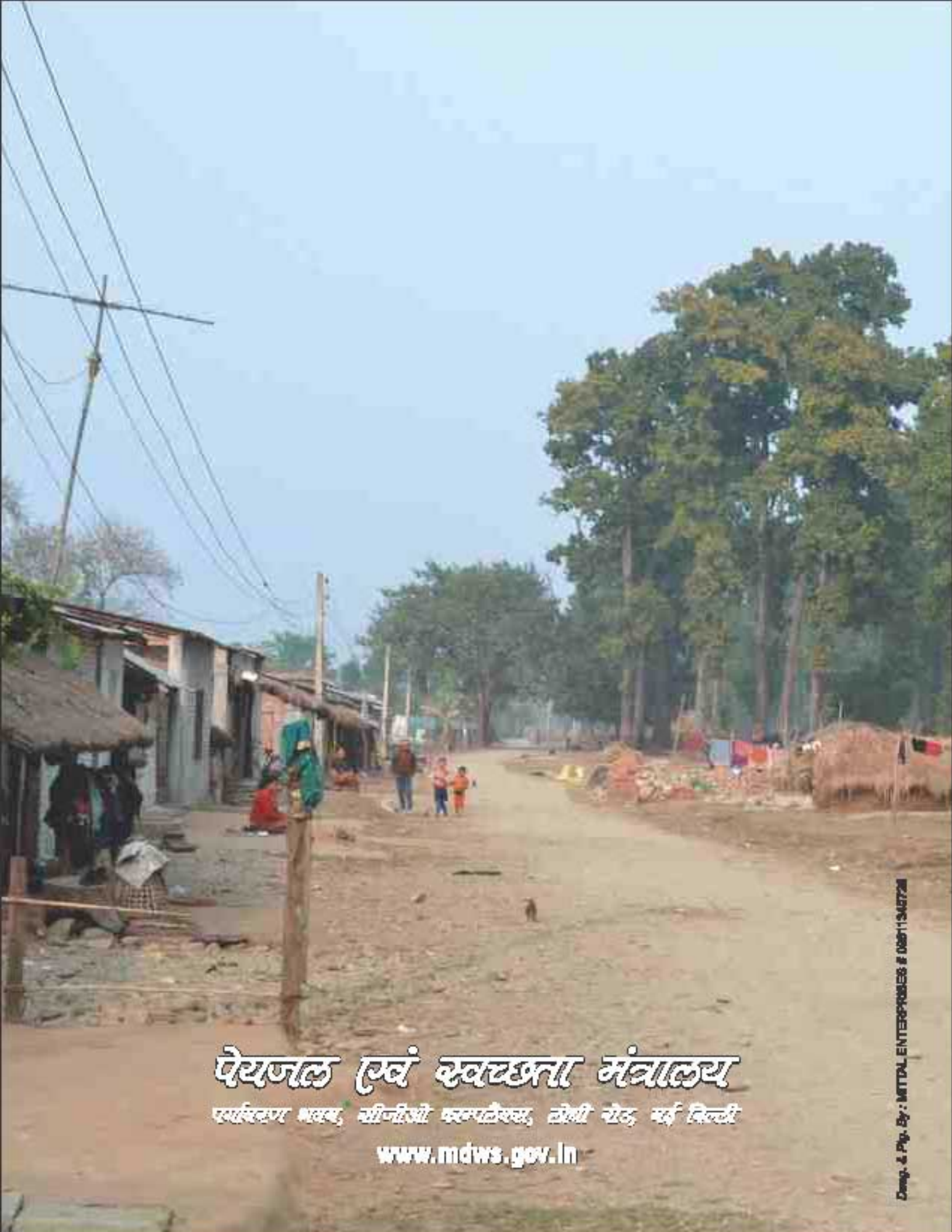

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
www.mdws.gov.in
Desg. & Prtg. By : MITTAL ENTERPRISES